

09 : मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

8) सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार

7) प्रमुख मौलिक अधिकार

6) अनुच्छेद 13

5) अनुच्छेद 12



1) सामान्य परिचय

2) मौलिक अधिकार की परिभाषा

3) मौलिक अधिकारों का उद्भव

4) मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

Chapter 09 : The Fundamental Rights

8) Armed Forces and Fundamental Rights

7) Major Fundamental Rights

6) Article 13

5) Article 12



1) General Introduction

2) Definition

3) Origin

4) Characteristics

1) सामान्य परिचय (General introduction)

भाग 03

अनुच्छेद 12 से 35

अमेरिका का 'Bill of Rights'

भारत का मैगनाकार्टा

अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त वैध दावे, शक्तियां तथा स्वतंत्रता

उद्देश्य - स्वतंत्रता, सम्मान व सर्वांगीण विकास



नैतिक अधिकार

कानूनी अधिकार

प्राकृतिक अधिकार

मानव अधिकार

मौलिक अधिकार

1) General introduction

Part 03

Articles 12 to 35

America's 'Bill of Rights'

India's Magna Carta

Rights are the legal claims, powers and freedoms available to a person.

Purpose – Freedom, dignity and all-round development.



Moral Rights

Legal Rights

Natural Rights

Human Rights

Fundamental Rights



अधिकार (Rights) : प्रमुख विचारकों की परिभाषाएँ



➤ Important Definitions for Polity / Political Theory ➤

1 हेरोल्ड लास्की (Harold Laski) के अनुसार

अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपना पूर्ण और सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता।

Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.



2 बर्नार्ड बोसांके (Bernard Bosanquet) के अनुसार

अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।

A right is a claim recognized by society and enforced by the state.



3 टी. एच. ग्रीन (T. H. Green) के अनुसार

अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो एक नैतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आंतरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं।

Rights are powers necessary for the fulfillment of man's vocation as a moral being.



4 जॉन सॉमंड (John Salmond) के अनुसार (कानूनी दृष्टिकोण)

अधिकार वह हित (Interest) है जिसे कानून द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। यदि इस हित का उल्लंघन होता है, तो वह एक कानूनी अपराध माना जाता है।



A right is an interest recognized and protected by a rule of right.

5 थॉमस एर्स्किन हॉलैंड (T. E. Holland) के अनुसार

अधिकार किसी व्यक्ति की वह क्षमता है, जिससे वह राज्य की शक्ति और सहमति के माध्यम से दूसरों के कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है।

A right is one man's capacity of influencing the acts of another, by means, not of his own strength, but of the opinion or the force of society.





Rights: Definitions by Major Thinkers



Important Definitions for Polity / Political Theory

1. Harold Laski

Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.



2. Bernard Bosanquet

A right is a claim recognized by society and enforced by the state.



3. T. H. Green

Rights are powers necessary for the fulfillment of man's vocation as a moral being.



4. John Salmond (Legal Viewpoint)

A right is an interest recognized and protected by a rule of right.



5. T. E. Holland

A right is one man's capacity of influencing the acts of another, by means, not of his own strength, but of the opinion or the force of society.



1) नैतिक अधिकार (Moral Rights)

- व्यक्ति की चेतना और उचित-अनुचित की भावना पर आधारित अधिकार
- इन अधिकारों के पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं होती।
- यदि कोई इनका उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जा सकती।

2) प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights)

- मनुष्य को किसी राज्य, समाज या संविधान ने नहीं दिए हैं, बल्कि वे मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं।
- मुख्य अवधारणा → **जॉन लॉक (John Locke)**
 - ✓ राज्य या सरकार के बनने से पहले भी मनुष्य के पास ये अधिकार थे। इन्हें मनुष्य से छीना नहीं जा सकता।
 - ✓ उदाहरण → जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति

3) कानूनी या वैधानिक अधिकार (Legal Rights)

- राज्य द्वारा मान्यता और देश के कानून द्वारा लागू।
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय
- उदाहरण → मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार (RTI)

4) मानव अधिकार (Human Rights)

- वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं।
- ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से मिलते हैं।
- **10 दिसंबर 1948** → संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
 - ✓ 10 दिसंबर → मानव अधिकार दिवस
 - ✓ उदाहरण → सम्मान, स्वतंत्रता और समानता

1) Moral Rights

- Rights based on a person's conscience and sense of right and wrong.
- There is no legal force behind these rights.
- If someone violates them, they cannot be punished by a court.

2) Natural Rights

- These are not given by any state, society or constitution, but are received by humans from nature at birth.
- Main concept → **John Locke**
 - ✓ Humans had these rights even before the formation of a state or government. They cannot be taken away from a person.
 - ✓ Examples → Life, liberty and property.

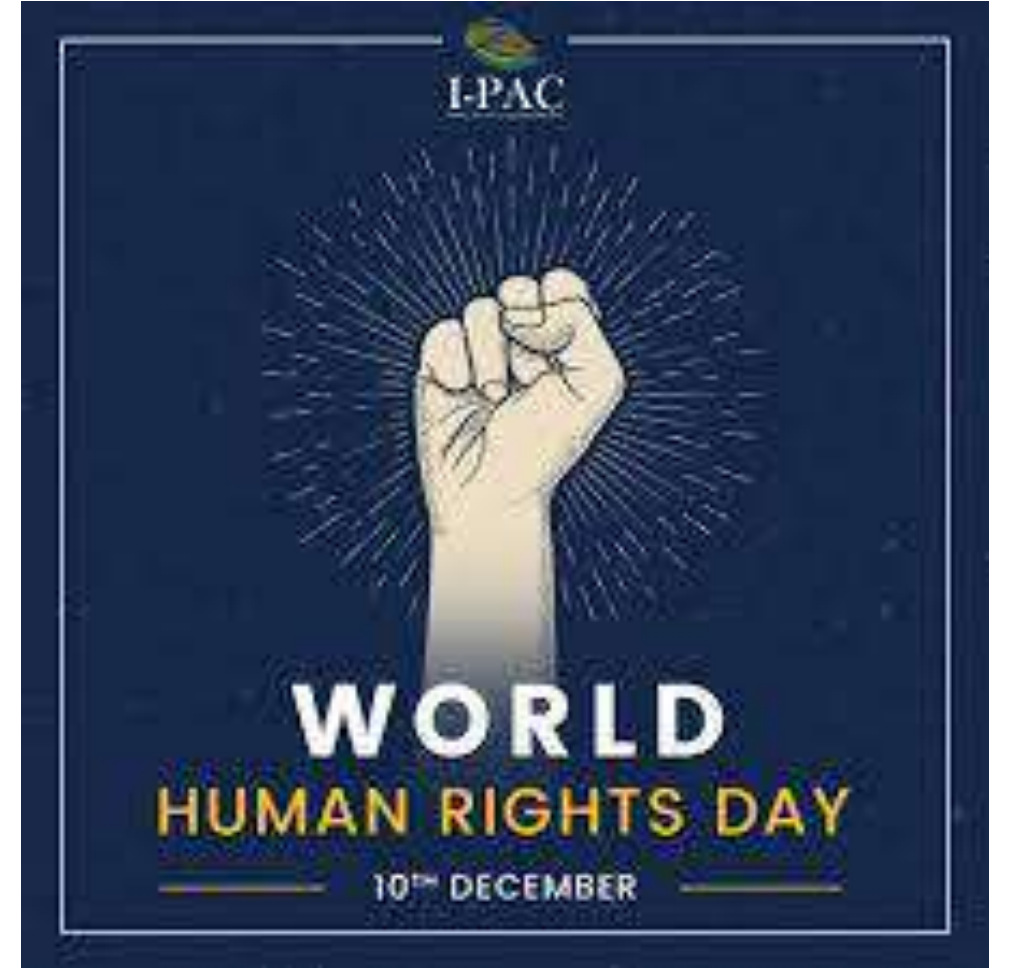
3) Legal Rights

- Recognised by the state and enforced by the law of the country.
- Enforceable by courts.
- Examples → Right to vote, right to property, Right to Information (RTI)

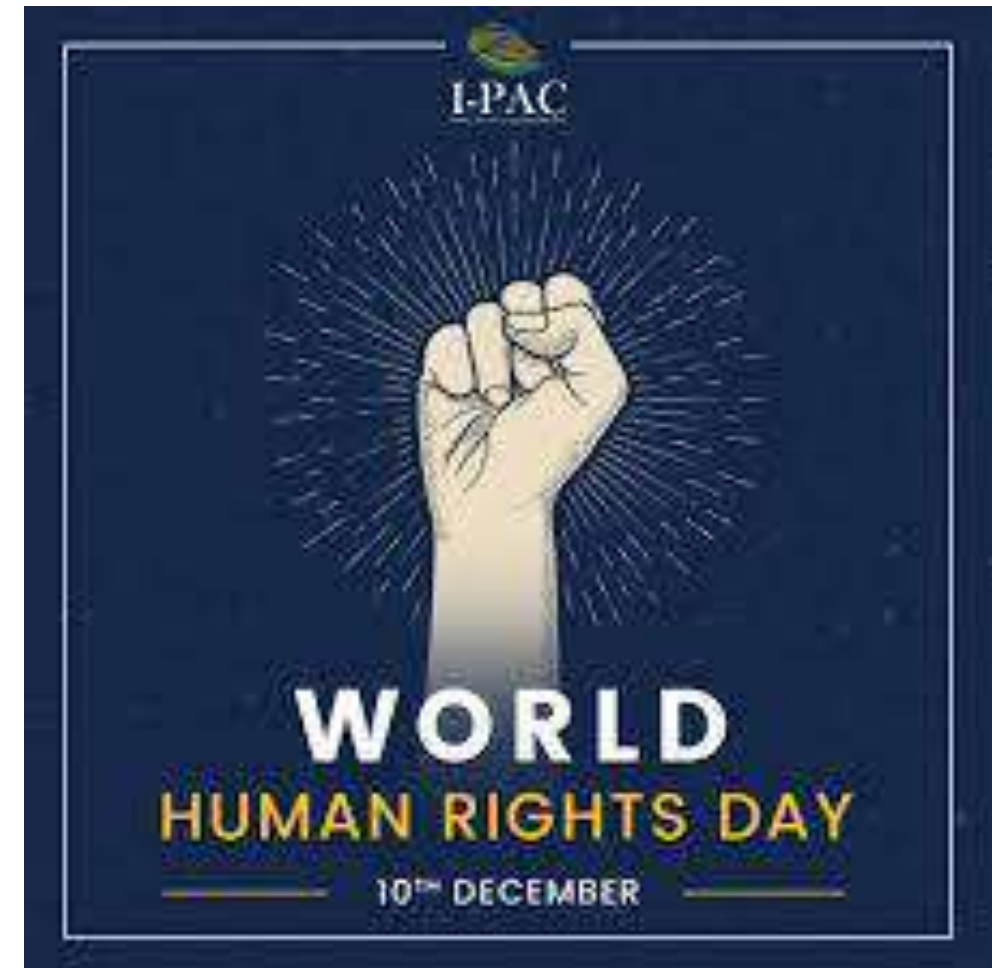
4) Human Rights

- These are universal rights that every person receives simply by virtue of being human.
- These rights are available equally to all without discrimination on the basis of caste, religion, gender, language, nationality or any other ground.
- 10 December 1948 → UN Universal Declaration of Human Rights
 - ✓ 10 December → Human Rights Day.
 - ✓ Examples → Dignity, liberty and equality.

आधार	मौलिक अधिकार	कानूनी अधिकार
स्रोत	संविधान (भाग-3)	सामान्य कानून / अन्य अनुच्छेद
संरक्षण	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित (अनु. 32)	साधारण न्यायालय द्वारा संरक्षित
संशोधन	संविधान संशोधन से ही	साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से
उदाहरण	समता, स्वतंत्रता आदि	संपत्ति का अधिकार (अनु. 300क)



Basis	Fundamental Rights	Legal Rights
Source	Constitution (Part-3)	Ordinary law / Other articles
Protection	Protected by Supreme Court (Art. 32)	Protected by ordinary courts
Amendment	Only by Constitutional Amendment	By ordinary legislative process
Example	Equality, Freedom, etc.	Right to Property (Art. 300A)



2) मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार → वे विशिष्ट कानूनी अधिकार हैं जिन्हें देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है और जिन्हें सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।

- भारतीय संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन
- व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक
- सामान्य कानूनी अधिकारों की तुलना में इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है।
- न्यायालय द्वारा संरक्षित तथा प्रवर्तनीय → उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
- ये राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध नागरिकों को दी गई गारंटी हैं।

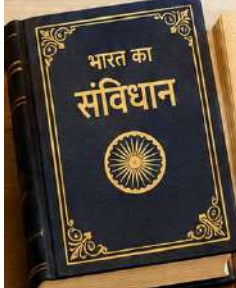


सत्यमेव जयते

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के प्रमुख अधिकार

-  **समानता का अधिकार —**
अनुच्छेद 14 से 18
-  **स्वतंत्रता का अधिकार —**
अनुच्छेद 19 से 22
-  **शोषण के विरुद्ध अधिकार —**
अनुच्छेद 23 से 24
-  **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार —**
अनुच्छेद 25 से 28
-  **सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार —**
अनुच्छेद 29 से 30
-  **संवैधानिक उपचारों का अधिकार —**
अनुच्छेद 32



2) Fundamental Rights

Fundamental Rights → These are specific legal rights granted to citizens by the Constitution of the country and which enjoy the highest legal protection

- Described in Part-III of the Indian Constitution from Articles 12 to 35.
- Extremely essential for the all-round development of a person.
- These are much more difficult to change compared to ordinary legal rights.
- Protected and enforceable by courts → On violation, a person can directly approach the Supreme Court or High Court.
- These are guarantees given to citizens against the arbitrary power of the state.



अधिकार	अनुच्छेद
समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)	14) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)। 15) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)। 16) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)। 17) अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)। 18) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।

Right	Article
Right to equality (Articles 14-18)	14) Equality before law and equal protection of laws (Article 14). 15) Prohibition of discrimination on the religion, race, caste, sex, or place of birth (15) 16) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16). 17) Abolition of untouchability and prohibition of its practice (Article 17). 18) Abolition of all titles except military and academic distinctions (Article 18).

अधिकार	अनुच्छेद
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)	19) छह अधिकार → वाक् एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन बनाना, संचरण, निवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता। 20) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 21) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण. 21A → प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 22) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
Right	Article
Right to Freedom (Article 19-22)	19) Protection of six freedoms → Speech and expression, peaceful assembly, association/union, movement, residence, and profession/occupation. 20) Protection in respect of conviction for offences: 21) Protection of life and personal liberty: Article 21A → Right to Education: 22) Protection against arrest and detention:

अधिकार	अनुच्छेद
शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)	23) मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध 24) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध
Right	Article
Right against Exploitation (Article 23-24)	23) Prohibition of traffic in human beings and forced labour. 24) Prohibition of child labour in hazardous employment.

संपत्ति का अधिकार — हटा दिया गया (Most Important)

- ≈ मूल रूप से 7वाँ अधिकार संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) था।
- ≈ इसे **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
- ≈ अब यह **भाग-12 के अनुच्छेद 300क** के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।
- ≈ इसी कारण अब मौलिक अधिकार **6 (छह)** रह गए हैं।

<i>Right</i>	<i>Article</i>
<i>Right against Exploitation (Article 23-24)</i>	<i>23) Prohibition of traffic in human beings and forced labour.</i> <i>24) Prohibition of child labour in hazardous employment.</i>

Right to Property — Removed (Most Important)

- ≈ Originally the 7th right was the Right to Property (Article 31).
- ≈ It was removed from the list of Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.
- ≈ Now it is a legal right under Article 300A of Part-12.
- ≈ Due to this, Fundamental Rights now remain 6 (six).

अधिकार	अनुच्छेद
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)	25) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 26) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 27) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता 28) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

Right	Article
Right to Freedom of Religion(Article 25-28)	25) Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion. 26) Freedom to manage religious affairs by religious denominations. 27) Freedom from payment of taxes for promotion of any particular religion. 28) Freedom from religious instruction in certain educational institutions.

अधिकार	अनुच्छेद
संस्कृति और शिक्षा (अनुच्छेद 29-30)	29) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा 30) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

Right	Article
Cultural and Educational Rights (Article 29-30)	29) Protection of interests of minorities → Language, script, and culture 30) Right of minorities to establish and administer educational institutions

अधिकार	अनुच्छेद
सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)	- मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। 5 Writ → बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा - डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा।

Right to Constitutional Remedies (Article 32)	- Right to move the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights. 5 Writs → Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto. - Dr. B. R. Ambedkar called Article 32 the "Heart and Soul of the Constitution."
---	---

3) मौलिक अधिकारों का उद्भव (The Emergence)



वर्ष	घटना	विवरण
1215	मैग्राकार्टा (Magna Carta)	इंग्लैंड के राजा जॉन (King John) ने जारी किया
1789	फ्रांस का घोषणापत्र	मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा
1791	अमेरिका : Bill of Rights	1789 में प्रस्तावित → विश्व का प्रथम संविधान जिसने नागरिकों को लिखित मौलिक अधिकार दिए।

3) The Emergence of Fundamental Rights



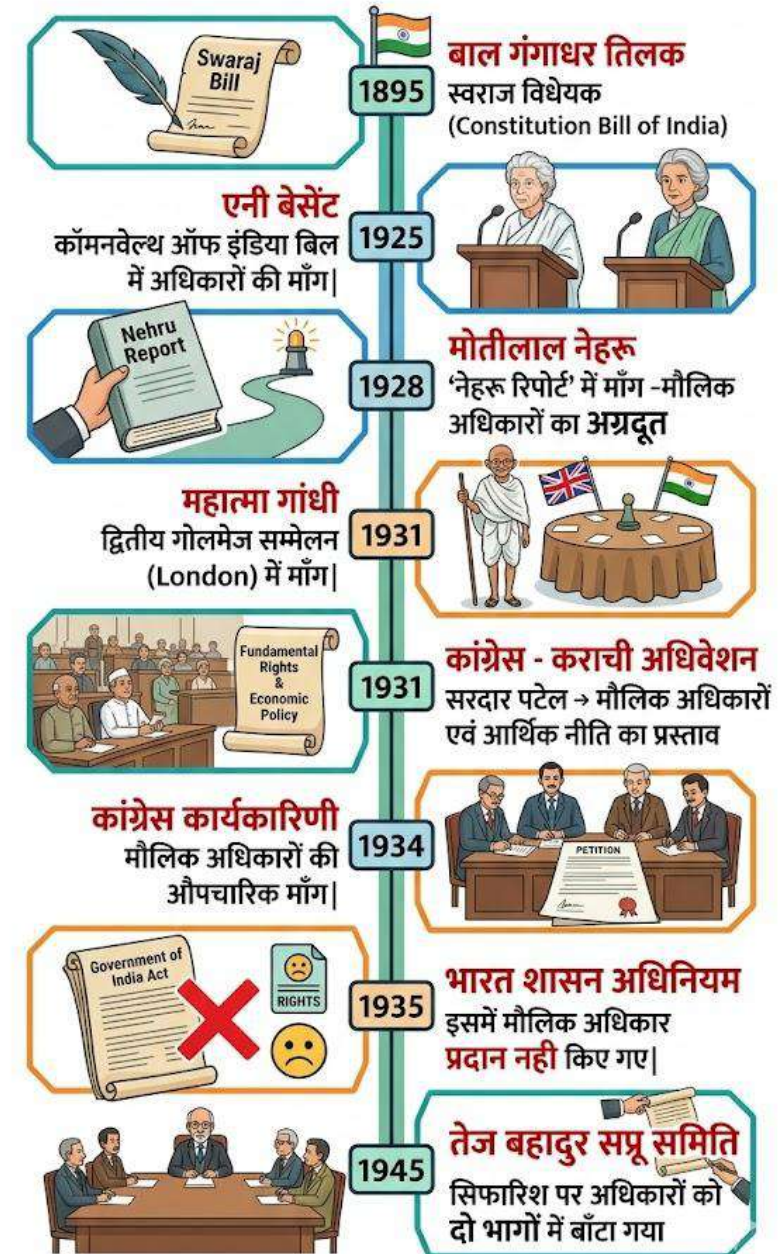
Year	Event	Description
1215	Magna Carta	Issued by King John of England
1789	French Declaration	Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
1791	America : Bill of Rights	Proposed in 1789 → The world's first constitution that gave citizens written fundamental rights

वर्ष	निकाय	घटना
1895	बाल गंगाधर तिलक	○ स्वराज विधेयक (Constitution Bill of India)
1925	एनी बेसेंट	○ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में अधिकारों की माँग।
1928	मोतीलाल नेहरू	○ 'नेहरू रिपोर्ट' में माँग —मौलिक अधिकारों का अग्रदूत
1931	महात्मा गांधी	○ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (London) में माँग।
1931	कांग्रेस — कराची अधिवेशन	○ सरदार पटेल → मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव
1934	कांग्रेस कार्यकारिणी	○ मौलिक अधिकारों की औपचारिक माँग।
1935	भारत शासन अधिनियम	○ इसमें मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए।
1945	तेज बहादुर सप्रू समिति	○ सिफारिश पर अधिकारों को दो भागों में बाँटा गया

सप्रू समिति (1945) → अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया

- न्यायालय में वाद-योग्य अधिकार → **मौलिक अधिकार (भाग-3)**
- न्यायालय में वाद-योग्य नहीं → **राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग-4)**

भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों का विकास - एक समयरेखा

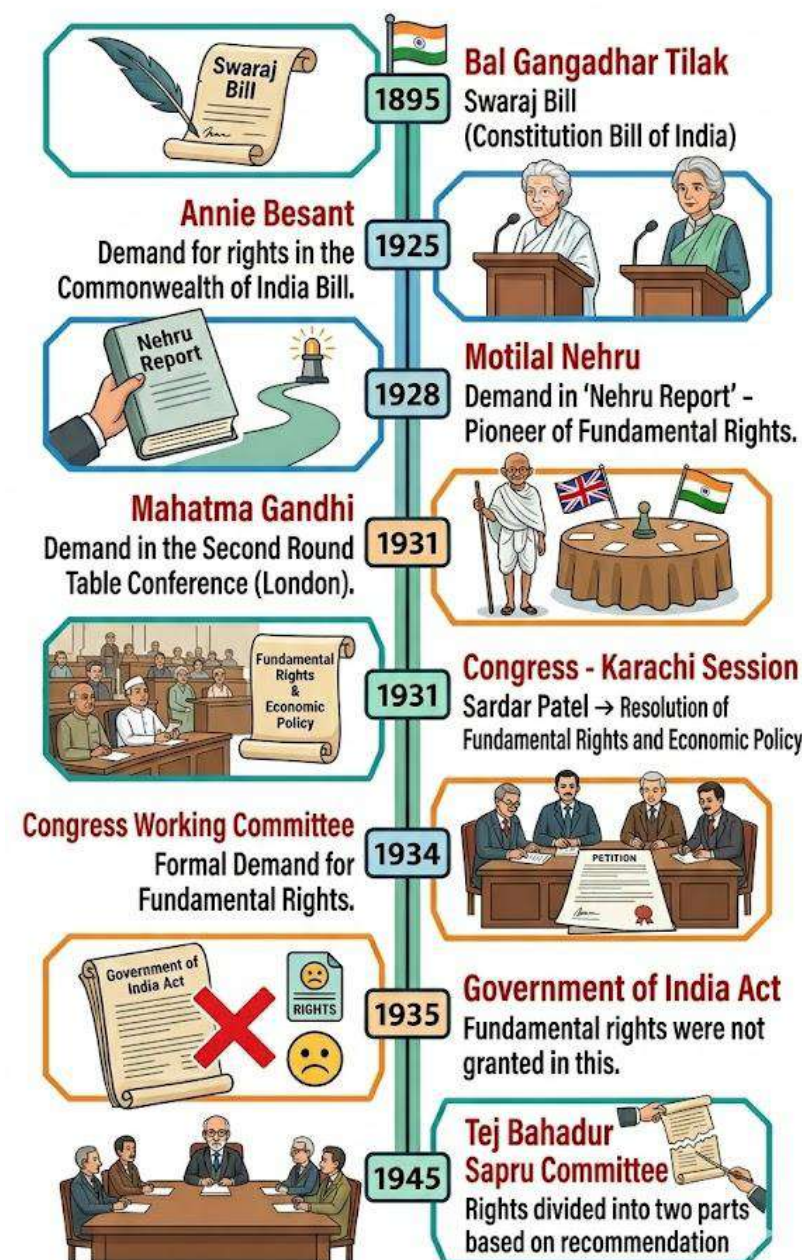


Year	Body	Event
1895	Bal Gangadhar Tilak	○ Swaraj Bill (Constitution Bill of India)
1925	Annie Besant	○ Demand for rights in the Commonwealth of India Bill
1928	Motilal Nehru	○ Demand in 'Nehru Report' — Pioneer of FRI
1931	Mahatma Gandhi	○ Demand at the Second Round Table Conference
1931	Congress — Karachi Session	○ Sardar Patel → Resolution on Fundamental Rights and Economic Policy
1934	Congress Working Committee	○ Formal demand for Fundamental Rights
1935	Government of India Act	○ Fundamental Rights were not granted in it
1945	Tej Bahadur Sapru Committee	○ Rights were divided into two parts on its recommendation

Sapru Committee (1945) → Divided rights into two categories

- Justiciable rights → **Fundamental Rights (Part-3).**
- Non-justiciable → **Directive Principles of State Policy (Part-4).**

DEVELOPMENT OF INDIA'S CONSTITUTION & FUNDAMENTAL RIGHTS - A TIMELINE



4) मौलिक अधिकारों की विशेषताएं (Characteristics)

- 1) सबके लिए समान नहीं :
 - कुछ अधिकार केवल नागरिकों को
 - कुछ सभी व्यक्तियों को (नागरिक, विदेशी तथा कंपनी)
- 2) असीमित नहीं, परंतु वाद-योग्य (Justiciable) :
 - राज्य इन पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगा सकता है;
 - प्रतिबंध उचित है या नहीं — इसका निर्णय न्यायालय करता है।
- 3) मुख्यतः राज्य के विरुद्ध :
 - ये अधिकार सरकार के एकपक्षीय निर्णयों के विरुद्ध हैं;
 - कुछ अधिकार (जैसे अनु. 17, 23) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।
- 4) कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक :
 - कुछ राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं (नकारात्मक),
 - कुछ व्यक्तियों को विशेष सुविधा देते हैं (सकारात्मक)।
- 5) न्यायोचित (Justiciable)
 - उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित : अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है
- 6) कुछ पर संवैधानिक सीमाएँ : अनुच्छेद 31क, 31ख तथा 31ग इनके क्रियान्वयन को सीमित करते हैं।

4) Features of Fundamental Rights

1) Not equal for all :

- Some rights only for citizens.
- Some for all persons (citizens, foreigners and companies).

2) Not absolute, but justiciable :

- The state can impose 'reasonable restrictions' on these.
- Whether the restriction is reasonable or not — is decided by the court.

3) Mainly against the state :

- These rights are against unilateral decisions of the government.
- Some rights (such as Art. 17, 23) are also available against private individuals.

4) Some negative, some positive :

- Some limit the power of the state (negative).
- Some provide special privileges to individuals (positive)

5) Justiciable

- **Protected by the Supreme Court** : Can directly approach the Supreme Court under Article 32.

6) Some have constitutional limitations : Articles 31A, 31B and 31C restrict their implementation.

- 7) **स्थायी नहीं :** संसद संविधान संशोधन द्वारा इनमें कटौती या परिवर्तन कर सकती है — परंतु 'मूल ढाँचे' को प्रभावित किए बिना।
- 8) **आपातकाल में निलंबन :**
- राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
 - अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर स्वतः निलंबित होते हैं — सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) पर नहीं।
- 9) **सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध :** अनुच्छेद 33 के तहत संसद सेना, अर्द्ध-सैनिक, पुलिस, गुप्तचर सेवाओं के लिए इन अधिकारों को सीमित कर सकती है।
- 10) **सैन्य शासन वाले क्षेत्रों में रोक :** अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू क्षेत्र में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है।
- 11) **अधिकांश स्वतः-प्रवर्तित :**
- अधिकांश अधिकार स्वतः लागू हैं;
 - कुछ को लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत केवल संसद कानून बनाती है, विधानमंडल नहीं।

- 7) **Not permanent** : Parliament can curtail or modify them by constitutional amendment — but without affecting the 'Basic Structure'.
- 8) **Suspension during Emergency** :
- During National Emergency, rights other than Articles 20 and 21 can be suspended.
 - Rights under Article 19 are automatically suspended only during war/external aggression — not during armed rebellion (internal emergency).
- 9) **Restrictions on Armed Forces** : Under Article 33, Parliament can restrict these rights for the army, para-military, police and intelligence services.
- 10) **Restriction in Areas under Martial Law** : Under Article 34, their implementation can be suspended in an area under Martial Law.
- 11) **Mostly Self-Executing** :
- Most rights are self-executing.
 - For implementing some, only Parliament makes laws under Article 35, not the state legislature.

केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार	नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार (शत्रु देश के अलावा)
1) केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)। 2) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)। 3) विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)। 4) अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29)। 5) अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार (अनुच्छेद 30)।	1) विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) 2) अपराधों के लिये दोषसिद्धी के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)। 3) जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)। 4) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 क)। 5) कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण (अनुच्छेद 22)। 6) बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)। 7) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)। 8) धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)। 9) धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)। 10) किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट (अनुच्छेद 27)। 11) कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

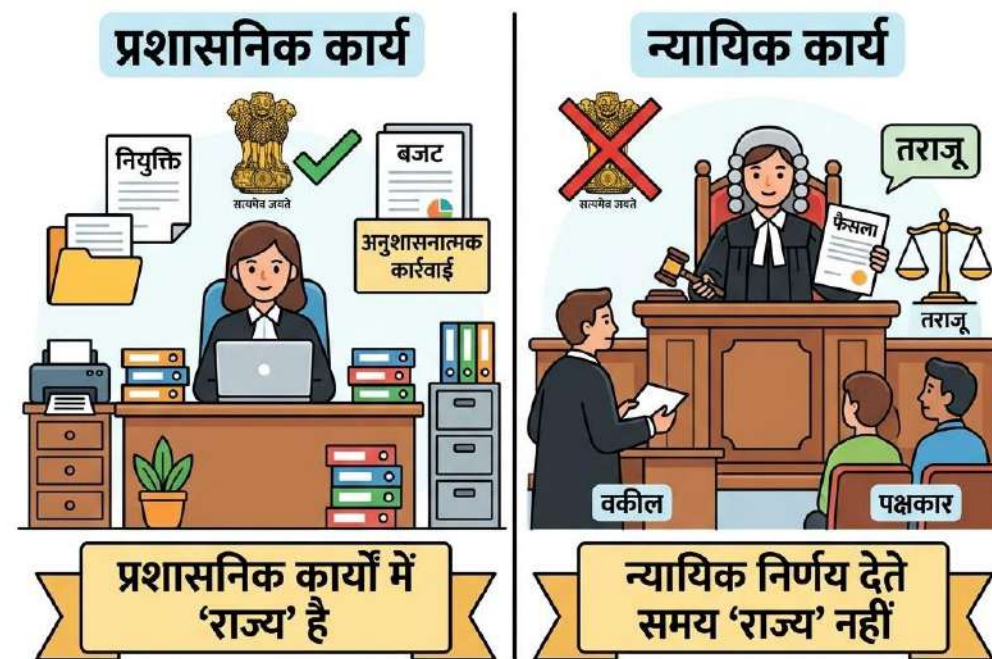
Fundamental Rights Available Only to Citizens	Rights Available to Citizens and Foreigners (Except Enemy Aliens)
1) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them (Article 15) 2) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16) 3) Freedom of speech and expression, peaceful assembly, movement, residence and the right to form associations (Article 19) 4) Rights of minorities regarding education and culture (Article 29) 5) Right of minorities to establish educational institutions for the propagation of their religion (Article 30)	1) Equality before law and equal protection of laws (Article 14) 2) Protection in respect of conviction for offences (Article 20) 3) Protection of life and personal liberty (Article 21) 4) Right to elementary education (Article 21A) 5) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22) 6) Prohibition of forced labour and illegal human trafficking (Article 23) 7) Prohibition of employment of children in factories etc. (Article 24) 8) Freedom to profess, practice and propagate religion (Article 25) 9) Freedom to manage religious institutions (Article 26) 10) Exemption from taxes for promotion of any religion (Article 27) 11) Freedom as to attendance at religious instruction in certain educational institutions (Article 28)

5) अनुच्छेद 12 — 'राज्य' की परिभाषा (Definition of State)

वर्ग	इसमें शामिल
संघ सरकार	- भारत सरकार (कार्यपालिका) - भारत की संसद (विधायिका)।
राज्य सरकार	- राज्य की कार्यपालिका - राज्य विधानमंडल (विधायिका)।
स्थानीय निकाय	- नगरपालिका, पंचायत, - जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि।
अन्य प्राधिकरण	- विधिक या गैर-संवैधानिक प्राधिकरण - LIC, ONGC, SAIL, BSNL, GAIL।

BCCI तथा **NCERT** को 'राज्य' नहीं माना जाता (क्योंकि इन पर राज्य का गहन नियंत्रण/वित्तपोषण नहीं है)।

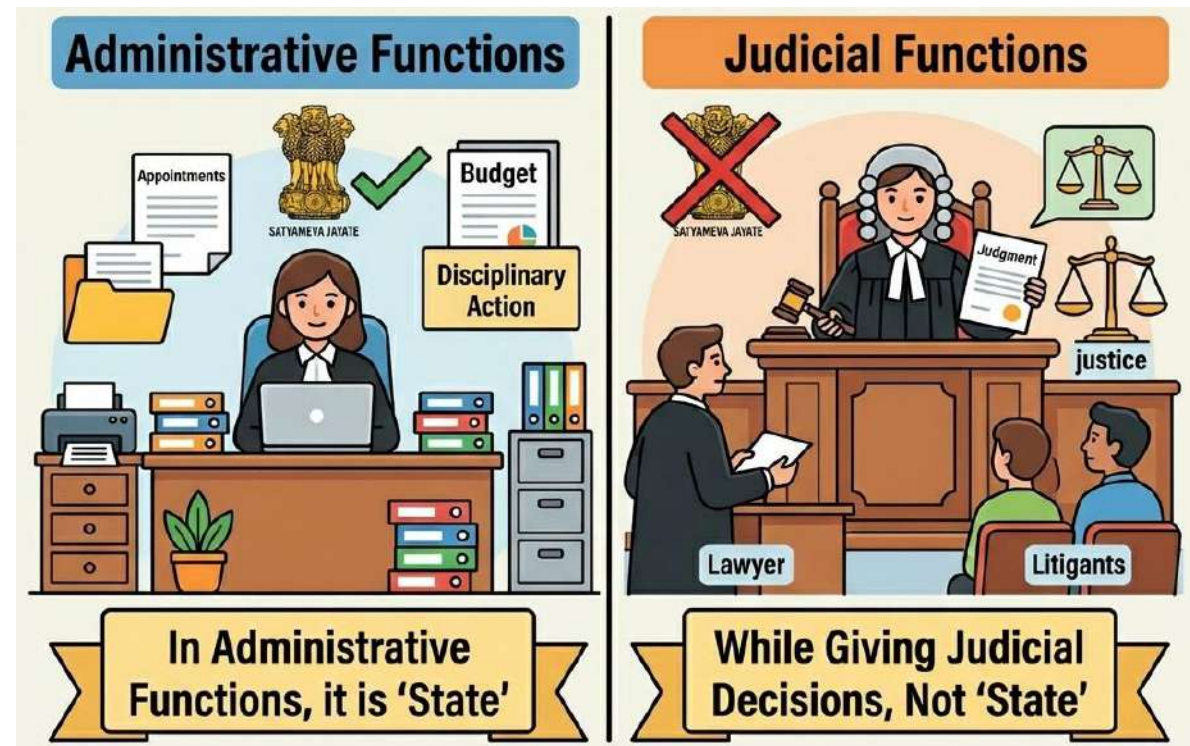
- सोमप्रकाश रेखी बनाम भारत संघ, 1981 → 'राज्य' की श्रेणी में रखने के मुख्य कसौटियां —
 - सरकार का गहरा और व्यापक
 - राज्य द्वारा वित्तपोषण (State Funding)



5) Article 12 — Definition of 'State'

Category	Includes
Union Government	- Government of India (Executive) - Parliament of India (Legislature)
State Government	- State Executive - State Legislature
Local Bodies	- Municipality, Panchayat - District Board, Improvement Trust, etc.
Other Authorities	- Statutory or Non-Constitutional Authorities - LIC, ONGC, SAIL, BSNL, GAIL

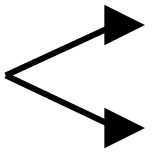
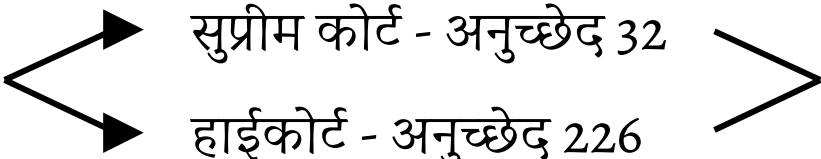
- **Somprakash Rekhi v. Union of India, 1981** → Main criteria for placing in the category of 'State': -
 - Deep and pervasive government control.
 - State Funding.



BCCI and NCERT are not considered 'State' (because there is no deep state control/funding over them).

6) अनुच्छेद 13 — असंगत या उनका अल्पीकरण

1) अनुच्छेद 13 : मूल भाव

- राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो 
 - मौलिक अधिकारों को छीने
 - मौलिक अधिकारों को कम करे
- अप्रत्यक्ष रूप से "न्यायिक पुनरावलोकन" का आधार
- संरक्षण 
 - सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 32
 - हाईकोर्ट - अनुच्छेद 226 रिट द्वारा
- विधि की परिभाषा → 13(3)
- संविधान संशोधन से संबंधित [13(4)] ⇒ सबसे विवादित



भारतीय संविधान

अनुच्छेद 13 के प्रमुख प्रावधान

मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य



1. पूर्व-संवैधानिक कानून
संविधान लागू होने से पहले के वे सभी कानून, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।



2. संविधानोत्तर कानून
राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनका संक्षेपण करता हो। ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।



3. 'कानून' का व्यापक अर्थ
अनुच्छेद 13 में 'कानून' के अंतर्गत अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना तथा प्रथा/रूढ़ि भी शामिल हैं, यदि उन्हें विधि का बल प्राप्त हो।



4. 'प्रचलित कानून' (Laws in Force)
संविधान प्रारंभ से पहले बने और निरस्त न किए गए वे सभी कानून, जो प्रभावी हैं, 'प्रचलित कानून' माने जाते हैं।



5. शून्यता की सीमा
कोई कानून पूर्णतः नहीं, बल्कि केवल मौलिक अधिकारों से टकराने वाली सीमा तक अमान्य होता है।



6. महत्वपूर्ण प्रभाव
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित करता है और न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का आधार प्रदान करता है।



★ परीक्षा हेतु विशेष ★

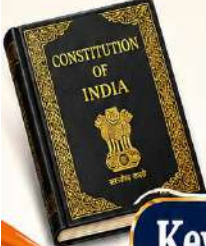
- अनुच्छेद 13 = मौलिक अधिकारों का संरक्षक प्रावधान
- राज्य के मनमाने कानूनों पर नियंत्रण
- न्यायपालिका को समीक्षा की शक्ति का आधार

Indian Polity | Exam Notes

6) Article 13 – Inconsistency or Abridgement

1) Article 13 : Core Essence

- The State shall not make any law which
 - ↳ Takes away Fundamental Rights
 - ↳ Abridges / diminishes Fundamental Rights
- Implicitly forms the basis of "Judicial Review"
- Protection
 - ↳ Supreme Court — Article 32
 - ↳ High Court — Article 226
 - ↳ By means of Writs
- Definition of "Law" → Article 13(3)
- Related to Constitutional Amendment [13(4)] ⇒ Most Controversial



INDIAN CONSTITUTION

Key Provisions of Article 13

Laws inconsistent with Fundamental Rights are void

- **1. Pre-Constitution Laws**

All laws in force before the commencement of the Constitution, if inconsistent with Fundamental Rights, shall be void to the extent of such inconsistency.
- **2. Post-Constitution Laws**

The State shall not make any law which takes away or abridges Fundamental Rights. Any such law shall be void to the extent of the contravention.
- **3. Wide Meaning of 'Law'**

Under Article 13, 'law' includes Acts, Ordinances, Orders, Rules, Regulations, Bye-laws, Notifications, and customs or usages having the force of law.
- **4. 'Laws in Force'**

All laws made before the commencement of the Constitution and not previously repealed, which are still operative, are treated as 'laws in force.'
- **5. Extent of Voidness**

A law is not wholly void; it becomes void only to the extent it conflicts with Fundamental Rights.
- **6. Important Impact**

Article 13 establishes the supremacy of Fundamental Rights and forms the basis of Judicial Review.

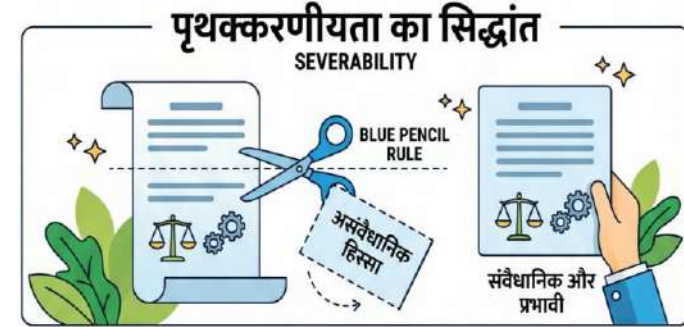
**★ EXAM SPECIAL ★**

- Article 13 = protective provision for Fundamental Rights
- Checks arbitrary laws made by the State
- Provides the basis for judicial review by the judiciary

Indian Polity | Exam Notes

2) प्रमुख सिद्धांत

- आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)
- पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)
- अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)
- भविष्यलक्षी अधिनिर्णयन का सिद्धांत



आच्छादन का सिद्धांत (Eclipse)

- संविधान लागू होने से पहले बने वे कानून, जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि वे मौलिक अधिकारों की छाया में निष्क्रिय हो जाते हैं।
- नारायण धाकड़ बनाम मध्य प्रदेश 1955

पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Severability)

- यदि किसी कानून का केवल कुछ भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पूरा कानून निरस्त नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वही असंवैधानिक भाग हटाया जाएगा।
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950

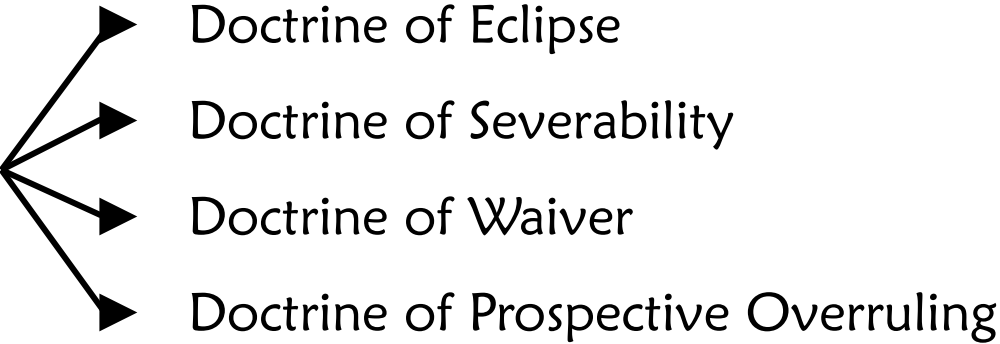
अधित्याग का सिद्धांत (Waiver)

- भारत का कोई भी नागरिक चाहकर भी अपने मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता।
- बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, 1959

भविष्यलक्षी अधिनिर्णयन

- न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य से लागू होगा, अतीत में हुए कार्यों या मामलों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967

2) Key Doctrines



Major Doctrines Related to Fundamental Rights

Easy Concept Clip Art

1

Doctrine of Eclipse

A law inconsistent with Fundamental Rights becomes inoperative, not dead.

2

Doctrine of Severability

Only the invalid part is removed; the valid part remains effective.

3

Doctrine of Waiver

Fundamental Rights cannot be waived by a person.

4

Doctrine of Prospective Overruling

A new judicial ruling applies to the future, not to the past.

Doctrine of Eclipse	Doctrine of Severability
- Laws enacted before the Constitution that conflict with FR, do not become void — they become dormant under the shadow of Fundamental Rights. - Narayan Dikshit v. State of MP, 1955	- If only part of a law violates Fundamental Rights, only that unconstitutional part is severed and removed — the entire law is not struck down. - A.K. Gopalan v. State of Madras, 195
Doctrine of Waiver	Prospective Overruling
- No citizen of India can voluntarily waive their Fundamental Rights. - Bashesar Nath v. Income Tax Commissioner, 1959	- A court judgment applies prospectively (in the future) — it does not affect past actions or previously decided cases. - Golak Nath v. State of Punjab, 1967

- 3) 13(1) → संविधान पूर्व विधियां
- 4) 13(2) → संविधान लागू होने के बाद की विधियां
- FR से असंगत ⇒ समाप्त
- ↓
- यदि पूरी विधि तो पूरी विधि समाप्त
 - यदि कोई "हिस्सा" तो मात्र वह हिस्सा समाप्त
- 5) 13(3) → विधि की परिभाषा ⇒ अत्यंत व्यापक
- स्थायी विधियाँ – संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित **अधिनियम**।
 - अस्थायी विधियाँ – राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा जारी **अध्यादेश (Ordinance)**।
 - प्रत्यायोजित विधान – **आदेश, नियम, उपविधि, विनियम, अधिसूचना**।
 - विधि के गैर-विधायी स्रोत – विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा (custom/usage)**।
- 6) 13(4) → संविधान संशोधन (अनु 368) को "भाग-3" के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा।
- ℒ 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
- ℒ वर्तमान स्थिति (केशवानंद भारती मामला - 1973) → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि वह 'मूल ढांचे' का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्यायिक समीक्षा के तहत रद्द कर सकता है।

- 3) 13(1) → Pre-Constitutional Laws
- 4) 13(2) → Laws made after Constitution came into force
- 5) 13(3) → Definition of "Law" ⇒ Extremely wide
- Inconsistent with Fundamental Rights
- ↓
- If the entire law is inconsistent, the entire law is void
 - If only a "part" is inconsistent, only that part is void

- *Permanent Laws — Acts passed by Parliament or State Legislature.*
- *Temporary Laws — Ordinances issued by the President / Governor.*
- *Delegated Legislation — Orders, Rules, Bye-laws, Regulations, Notifications.*
- *Non-legislative sources of law — Customs or usages having the force of law.*

- 6) 13(4) → Constitutional Amendment (Art. 368) shall not be considered "law" in context of Part III
- ℒ 24th Constitutional Amendment Act, 1971
- ℒ Current Position (Kesavananda Bharati Case - 1973) → Parliament can amend Fundamental Rights, but if it violates the 'Basic Structure', the Supreme Court can strike it down under Judicial Review.

वाद	वर्ष	निर्णय / प्रावधान
शंकरी प्रसाद वाद	1951	संविधान संशोधन 'विधि' नही है → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
सज्जन सिंह वाद	1965	पुनः पुष्टि — संशोधन 'विधि' नही → संसद संशोधन कर सकती है।
गोलकनाथ वाद	1967	पलटा — संशोधन को 'विधि' माना ; संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नही कर सकती।
24वाँ संशोधन	1971	संसद ने अनुच्छेद 13(4) व 368 जोड़कर स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है।
केशवानंद भारती वाद	1973	ऐतिहासिक निर्णय — संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु 'मूल ढाँचे (Basic Structure)' में परिवर्तन नहीं कर सकती।
42वाँ संविधान संशोधन	1976	अनुच्छेद 368 में संशोधन कर प्रावधान किया कि संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नही होगा।
मिनर्वा मिल्स वाद	1980	42वें संशोधन के उस प्रावधान को रद्द (असंवैधानिक घोषित) कर दिया — न्यायिक पुनर्विलोकन स्वयं मूल ढाँचे का अंग है।

वर्तमान स्थिति (Current Position)

संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है — परंतु संविधान के 'मूल ढाँचे (Basic Structure)' को परिवर्तित नहीं कर सकती।

Case	Year	Judgment / Provision
Shankari Prasad	1951	Amendment is NOT 'law' → Parliament can amend Fundamental Rights.
Sajjan Singh Case	1965	Reaffirmed — amendment is NOT 'law' → Parliament can amend.
Golak Nath Case	1967	Reversed — amendment IS 'law'; Parliament cannot amend Fundamental Rights.
24th Amendment	1971	Parliament added Articles 13(4) & 368 to explicitly clarify its power to amend Fundamental Rights.
Kesavananda Bharati Case	1973	Historic judgment — Parliament can amend Fundamental Rights, but cannot alter the 'Basic Structure' of the Constitution.
42nd Amendment	1976	Added a provision in Article 368 that amendments would NOT be subject to judicial review.
Minerva Mills Case	1980	That provision was struck down (declared unconstitutional) — judicial review is itself part of the Basic Structure.

Current Position

Parliament can amend Fundamental Rights — but cannot alter the 'Basic Structure' of the Constitution.

मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत

Indian Polity | Exam Notes

Fundamental Rights Doctrines



सत्यमेव जयते

1

आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)



संविधान-पूर्व वे कानून, जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं होते; वे केवल मौलिक अधिकारों के आच्छादन में निष्क्रिय हो जाते हैं। असंगति दूर होने पर वे पुनः प्रभावी हो सकते हैं।

► **मुख्य बिंदु:** यह सिद्धांत मुख्यतः pre-constitutional laws पर लागू होता है।



प्रमुख वाद: भिकाजी नारायण धाक्रस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955)

3

अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)



भारत में कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग (waive) नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व भी रखते हैं।

► **मुख्य बिंदु:** Fundamental Rights waivable नहीं हैं।



प्रमुख वाद: बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त (1959)

2

पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)



यदि किसी कानून का केवल एक भाग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो केवल वही भाग अमान्य होगा; शेष बौध भाग प्रभावी रहेगा, यदि उसे अलग किया जा सके।

► **मुख्य बिंदु:** पूरा कानून नहीं, केवल असंवैधानिक भाग शून्य होता है।



प्रमुख वाद: स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम एफ. एन. बलसारा (1951)

4

भविष्यलक्षी अधिनिर्णयन का सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling)



न्यायालय किसी नए संवैधानिक सिद्धांत या व्याख्या को भविष्य से लागू करता है, ताकि पूर्व में किए गए कार्य या निर्णय अप्रभावित रहें।

► **मुख्य बिंदु:** निर्णय prospective effect से लागू होता है, retrospective नहीं।



प्रमुख वाद: आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)



परीक्षा हेतु विशेष

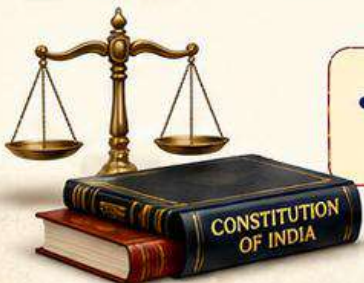


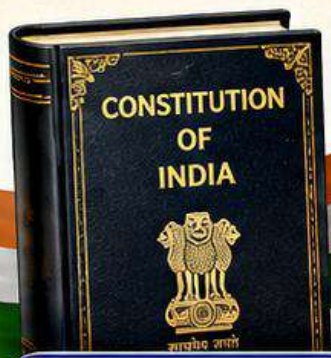
• **Eclipse** = pre-constitutional law temporarily inactive

• **Severability** = invalid part separated, valid part survives

• **Waiver** = Fundamental Rights cannot be waived

• **Prospective Overruling** = new rule applies for the future





Major Doctrines Related to Fundamental Rights

Indian Polity | Exam Notes

Fundamental Rights Doctrines



1.

1. Doctrine of Eclipse

Pre-Constitution laws that are inconsistent with Fundamental Rights are not completely dead; they remain overshadowed and become inoperative only to the extent of inconsistency. If the inconsistency is removed, they may become operative again.

 **Key Point:** This doctrine mainly applies to pre-constitutional laws.



Leading Case: Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955)

3.

3. Doctrine of Waiver



In India, a person cannot voluntarily waive Fundamental Rights, because these rights are not merely personal rights; they also serve a public purpose.

 **Key Point:** Fundamental Rights cannot be waived.



Leading Case: Basheshar Nath v. Commissioner of Income Tax (1959)

2.

2. Doctrine of Severability



If only one part of a law violates Fundamental Rights, only that offending part becomes void. The rest of the valid law remains effective, provided it can be separated.

 **Key Point:** Not the entire law, only the unconstitutional part becomes void.



Leading Case: State of Bombay v. F. N. Balsara (1951)

4.

4. Doctrine of Prospective Overruling



A court may apply a new constitutional interpretation only to the future, so that past actions and decisions remain unaffected.

 **Key Point:** The decision operates prospectively, not retrospectively.



Leading Case: I.C. Golaknath v. State of Punjab (1967)

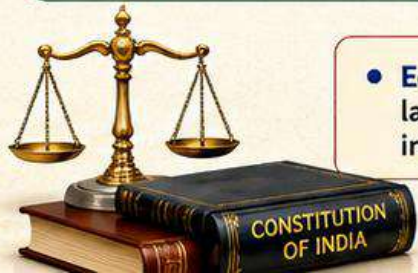
★ Exam Special ★

• **Eclipse** = pre-constitutional law remains temporarily inoperative

• **Severability** = invalid part is separated, valid part survives

• **Waiver** = Fundamental Rights cannot be waived

• **Prospective Overruling** = new rule applies only for the future



7) संविधान का मूल ढाँचा

- 1) भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
- 2) यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग करके संविधान की "आत्मा" या उसके मूलभूत दर्शन को नष्ट नहीं कर सकती।
- 3) उत्पत्ति → केशवानंद भारती केस (1973)
 - स्वामी केशवानंद भारती : केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडानीर मठ
 - केरल सरकार ने 'केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम' पारित किया, जिसके तहत सरकार ने एडानीर मठ की हजारों एकड़ जमीन ले लिया।
 - मशहूर वकील नानी पालकीवाला (Nani Palkhivala)
 - केरल के भूमि सुधार कानून को भी 29वें संशोधन के जरिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया।

केशवानंद भारती केस: भारत का ऐतिहासिक निर्णय (1973) - "संवैधानिक मूल संरचना सिद्धांत"

भूमि सुधार कानून और संविधान संशोधन

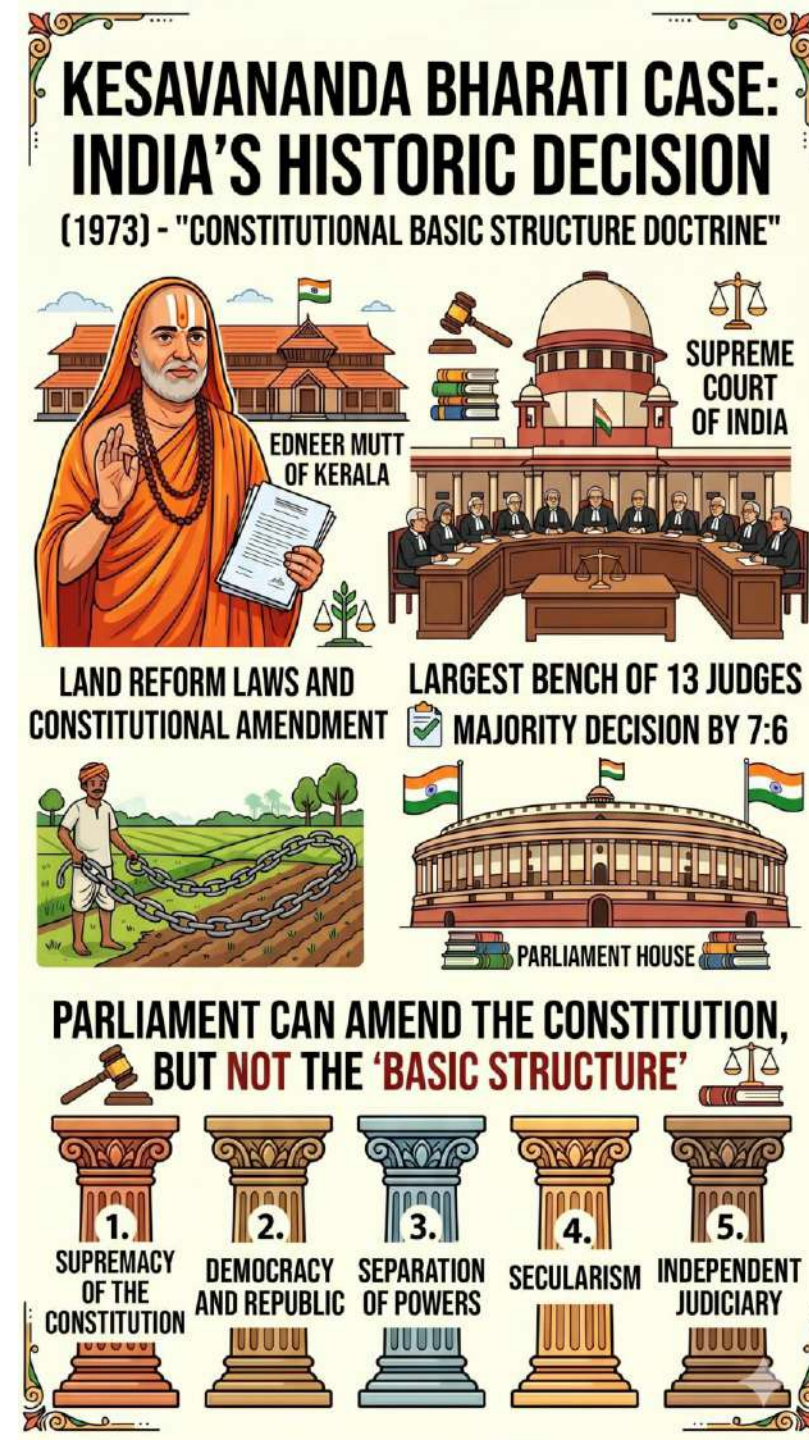
13 जजों की सबसे बड़ी पीठ
7:6 से बहुमत का फैसला

संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन **"मूल संरचना"** को नहीं

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. लोकतंत्र और गणतंत्र
3. शक्तियों का पृथक्करण
4. धर्मनिरपेक्षता
5. स्वतंत्र न्यायपालिका

7) Basic Structure of the Constitution

- 1) It is the most revolutionary and significant doctrine developed by the Indian judiciary.
- 2) This doctrine ensures that Parliament cannot destroy the "soul" or fundamental philosophy of the Constitution using its amending power.
- 3) Origin → Kesavananda Bharati Case (1973)
 - Swami Kesavananda Bharati : Head of Edneer Mutt in Kasaragod district, Kerala
 - The Kerala government passed the 'Kerala Land Reforms Amendment Act', under which thousands of acres of Edneer Mutt's land were acquired.
 - Famous lawyer Nani Palkhivala argued the case.
 - Kerala's land reform laws were also placed in the 9th Schedule of the Constitution via the 29th Amendment.



4) नया मोड़ → इंदिरा सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट

- गोलकनाथ केस (1967) → संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती।
- इंदिरा सरकार → 24वां, 25वां और 29वां संशोधन
- 24वां संशोधन (1971) → संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी और राष्ट्रपति की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया।
- 25वां संशोधन (1971) → नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी
- 29वां संशोधन (1972) → केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में।

4) 24 अप्रैल 1973 → 7-6 के बहुमत से फैसला

- मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोकरी ने 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया।
- स्वामी केशवानंद भारती अपना केस हार गए
- सरकार की जीत : कोर्ट ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।
- संविधान की जीत : संसद की संशोधन करने की शक्ति "असीमित" नहीं है। संसद संविधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती है।

4) New Turn → Indira Government vs Supreme Court

- Golaknath Case (1967) → Parliament cannot amend Fundamental Rights at all.
- Indira Government → 24th, 25th and 29th Amendments
- 24th Amendment (1971) → Gave Parliament power to amend any part of the Constitution and made Presidential assent mandatory.
- 25th Amendment (1971) → Gave Directive Principles of State Policy precedence over certain Fundamental Rights.
- 29th Amendment (1972) → Placed Kerala Land Reform laws in the 9th Schedule.

4) 24 April 1973 → Judgment by 7-6 majority

- Chief Justice S.M. Sikri constituted a 13-judge constitutional bench — the largest ever.
- Swami Kesavananda Bharati lost his case.
- Government's victory : The Court held that Parliament can amend any part of the Constitution under Article 368.
- Constitution's victory : Parliament's amending power is not "unlimited." Parliament cannot alter the "Basic Structure" of the Constitution.

4) संविधान का मूल ढाँचा : सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढाँचे की कोई एक निश्चित और अंतिम सूची नहीं दी है। न्यायालय समय-समय पर विभिन्न मुकदमों के आधार पर यह तय करता है कि कोई विशेष विशेषता मूल ढाँचे का हिस्सा है या नहीं। :

- संविधान की सर्वोच्चता
- लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति
- धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
- शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)
- संघीय स्वरूप (Federal Character)
- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)
- कानून का शासन (Rule of Law)
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली

- मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन : दोनों को एक-दूसरे का पूरक माना गया है (मिनर्वा मिल्स केस, 1980)

5) महत्व : यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक 'सुरक्षा वाल्व' (Safety Valve) की तरह काम करता है :

- संसद की तानाशाही पर रोक
- नागरिकों के अधिकारों की
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता

संक्षेप में, मूल ढाँचे का सिद्धांत यह गारंटी देता है कि समय के साथ भारत की नीतियां और कानून बदल सकते हैं, लेकिन "भारत का बुनियादी चरित्र" हमेशा वही रहेगा जिसका सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था।

4) Elements of Basic Structure : The Supreme Court has not given any single definitive and final list of the Basic Structure. The Court determines it from time to time based on different cases. :

- Supremacy of the Constitution
- Democratic and Republican nature
- Secularism
- Separation of Powers
- Federal Character
- Judicial Review
- Rule of Law
- Free and Fair Election System

- Balance between Fundamental Rights and Directive Principles : Both are considered complementary to each other (Minerva Mills Case, 1980).

5) Significance : This doctrine works as a 'Safety Valve' for Indian democracy :

- Checks parliamentary tyranny
- Protects citizens' rights
- Independence of the Judiciary

In short, the Basic Structure doctrine guarantees that India's policies and laws may change with time, but the "fundamental character of India" will always remain what the Constitution makers dreamed of.

1. पृष्ठभूमि: 24 अप्रैल 1973 का महत्व

वामन राव और आई.आर. कोएल्हो, दोनों ही वादों का आधार **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** का फैसला है। 24 अप्रैल 1973 को ही यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके '**मूल ढांचे**' को नष्ट या बदल नहीं सकती।

2. वामन राव बनाम भारत संघ (1981)

- ❑ **कट-ऑफ डेट का निर्धारण:** सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती फैसले की तारीख (24 अप्रैल 1973) को एक 'लक्ष्मण रेखा' के रूप में तय किया।
- ❑ **फैसला:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों और विनियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन, इस तारीख के बाद शामिल किए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है।

3. आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)

इसे आम तौर पर "**9वीं अनुसूची केस**" के नाम से जाना जाता है। 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से वामन राव केस के फैसले पर मुहर लगाई और उसे अधिक स्पष्टता प्रदान की।

1) Background : Significance of 24 April 1973

Both the Waman Rao and I.R. Coelho cases are based on the Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973) judgment. This landmark judgment was delivered on 24 April 1973, in which the Supreme Court stated for the first time that Parliament can amend the Constitution, but it cannot destroy or alter its 'Basic Structure'

2) Waman Rao vs. Union of India (1981)

- ❑ **Fixing the cut-off date** : The Supreme Court fixed the date of the Kesavananda Bharati judgment (24 April 1973) as a 'Lakshman Rekha' (a line not to be crossed)
- ❑ **Judgment** : Judgment: The Court clarified that Acts and Regulations included in the Ninth Schedule before 24 April 1973 cannot be challenged. However, any law included after this date can be challenged on the ground that it damages the Basic Structure of the Constitution.

3) I.R. Coelho vs. State of Tamil Nadu (2007)

This is commonly known as the "Ninth Schedule Case". A 9-judge Constitution Bench unanimously upheld the judgment in the Waman Rao case and provided further clarity to it.

8) समानता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 से 18 (Articles 14 to 18)

अनुच्छेद 14 → विधि
के समक्ष समानता
(Equality before
Law)

अनुच्छेद 15 → धर्म,
मूलवंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के
आधार पर भेदभाव
नहीं (Prohibition of
Discrimination)

अनुच्छेद 16 →
सार्वजनिक रोजगार में
अवसर की समानता
(Equality of
Opportunity in
Public Employment)

अनुच्छेद 17 →
अस्पृश्यता का अंत
(Abolition of
untouchability)

अनुच्छेद 18 →
उपाधियों का अंत
(Abolition of
Titles)

8) Right to Equality

Articles 14 to 18

Article 14 →
Equality before
law

Article 15 → No
discrimination on
grounds of religion,
race, caste, sex or
place of birth

Article 16 →
Equality of
opportunity in
public employment

Article 17 →
Abolition of
untouchability

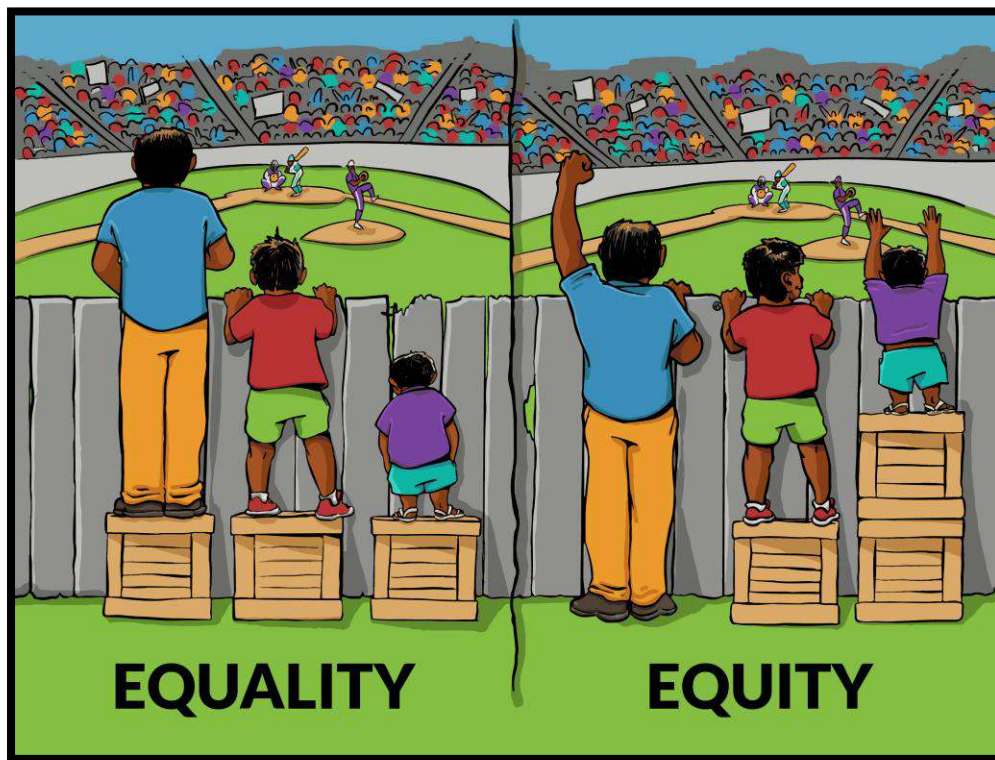
Article 18 →
Abolition of titles

अनुच्छेद 14 → विधि के समक्ष समता (Equality before law)

विधि के समक्ष समता (Equality before Law)



- ब्रिटिश (अल्बर्ट वेन डायसी)
- कानून सभी पर समान रूप से लागू
- नकारात्मक



विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)



- अमेरिका
- समान परिस्थितियों में समान व्यवहार / कानून
- सकारात्मक - युक्तियुक्त भेदभाव वर्गीकरण की अनुमति

Article 14 → Equality before law

Equality before Law

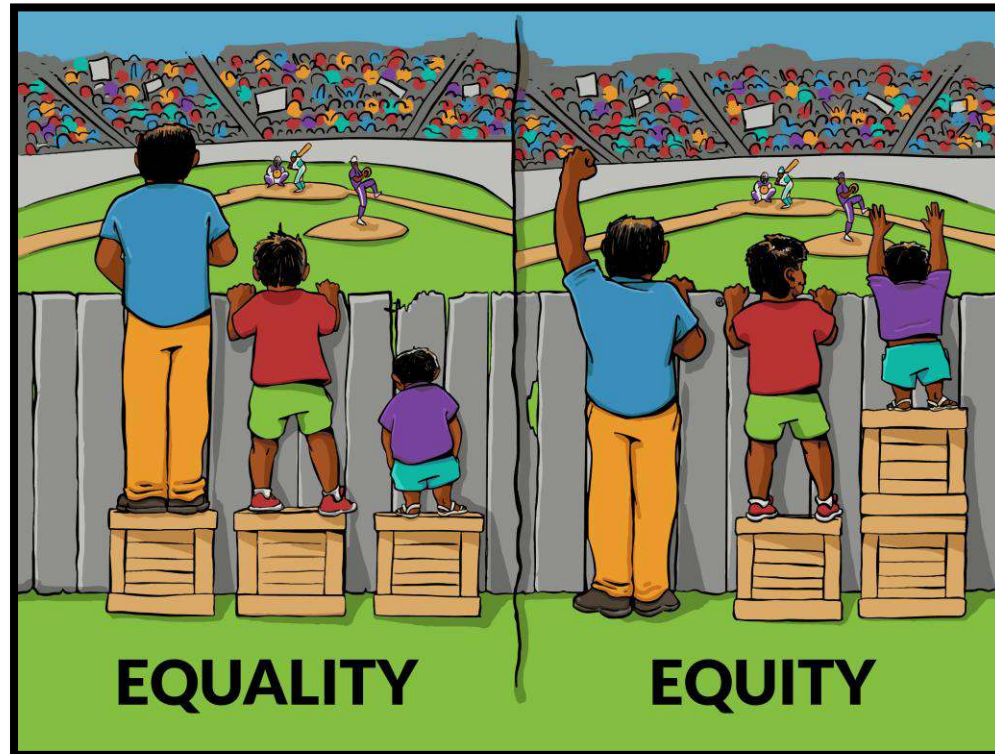


- British Concept (A.V. Dicey)
- Law applies equally to all
- Negative concept

Equal Protection of Laws



- American
- Equal treatment / law in equal circumstances
- Positive — permits reasonable discriminatory classification





सत्यमेव जयते

≡ महत्वपूर्ण संवैधानिक अवधारणाएँ ≡



1 समानता से संबंधित (अनुच्छेद 14)

कानून लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा

1 विधि के समक्ष समता (Equality before Law)

- **स्रोत**: ब्रिटिश संविधान (ए.वी. डायसी का 'विधि का शासन')।
- **प्रकृति**: नकारात्मक (Negative), क्योंकि यह राज्य को विशेषाधिकार देने से रोकता है।
- **मूल अर्थ**: कानून की नजर में सब बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
- **सरल शब्द में**: "कानून अंधा है, वह सभी पर एक समान लागू होगा।"

2 विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)

- **स्रोत**: अमेरिकी संविधान।
- **प्रकृति**: सकारात्मक, क्योंकि यह राज्य को कमजोर वर्गों के लिए विशेष नियम बनाने की अनुमति देता है।
- **मूल अर्थ**: समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसी आधार पर आरक्षण या महिलाओं/बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं।
- **सरल शब्द में**: "कानून अंधा नहीं है, वह जरूरत के हिसाब से युक्तिसंगत भेदभाव कर सकता है।"

2 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित (अनुच्छेद 21)

राज्य किसी व्यक्ति की जान या आज़ादी किस प्रक्रिया के तहत छीन सकता है



3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)

- **स्रोत**: जापानी संविधान।
- **भारतीय संविधान में स्थिति**: मूल रूप से अनुच्छेद 21 में लिखित।
- **दायरा**: संकीर्ण (Narrow)।
- **मूल अर्थ**: न्यायालय केवल यह जांचेगा कि विधाधिका (संसद) ने कानून बनाते समय सही 'प्रक्रिया' का पालन किया है या नहीं।
- **सरल शब्द में**: "प्रक्रिया सही है, तो कानून वैध है (भले ही कानून कठोर हो)।"



4 विधि की उचित/सम्यक् प्रक्रिया (Due Process of Law)

- **स्रोत**: अमेरिकी संविधान।
- **भारतीय संविधान में स्थिति**: संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन मेनका गांधी केस (1978) के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया है।
- **दायरा**: व्यापक (Broad)।
- **मूल अर्थ**: कानून केवल सही प्रक्रिया से ही पारित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह कानून न्यायपूर्ण, उचित और तार्किक (Just, Fair and Reasonable) भी होना चाहिए। यदि कानून मनमाना है, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है।
- **सरल शब्द में**: "प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए और कानून की नीयत (Intent) भी साफ और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।"



★ याद रखें: अनुच्छेद 14 समानता देता है, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। ★



Satyameva Jayate

≡ Important Constitutional Concepts ≡



1 Equality Related (Article 14)

How the law should treat people

① Equality before Law (Equality before Law)

- **Source:** British Constitution (A.V. Dicey's 'Rule of Law').
- **Nature:** Negative, because it prevents the state from granting special privileges.
- **Core Meaning:** Everyone is equal in the eyes of the law. No person is above the law.
- **In Simple Words:** "The law is blind; it applies equally to everyone."

② Equal Protection of Laws (Equal Protection of Laws)

- **Source:** American Constitution.
- **Nature:** Positive, because it allows the state to make special rules for weaker sections.
- **Core Meaning:** People in similar circumstances should be treated equally. On this basis, reservation or special provisions are made for women and children.
- **In Simple Words:** "The law is not blind; it can make reasonable distinctions according to need."

2 Protection of Life and Liberty (Article 21)

Under what process can the state take away a person's life or liberty?



③ Procedure Established by Law (Procedure Established by Law)

- **Source:** Japanese Constitution.
- **Position in the Indian Constitution:** Originally written in Article 21.
- **Scope:** Narrow.
- **Core Meaning:** The court will only examine whether the legislature (Parliament) followed the correct procedure while making the law.
- **In Simple Words:** "If the procedure is correct, the law is valid, even if the law is harsh."



④ Due Process of Law (Due Process of Law)

- **Source:** American Constitution.
- **Position in the Indian Constitution:** It is not written in the Constitution, but after the Maneka Gandhi case (1978), the Supreme Court effectively applied it.
- **Scope:** Broad.
- **Core Meaning:** A law should not only be passed through the correct procedure, but it must also be just, fair, and reasonable. If a law is arbitrary, the court can strike it down.
- **In Simple Words:** "The procedure must be correct, and the intent of the law must also be clear and just."



★ Remember: Article 14 gives equality, while Article 21 gives the right to live with dignity. ★

अनुच्छेद 14 के अपवाद

1) राष्ट्रपति और राज्यपाल (अनुच्छेद 361):

- राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
- कार्यकाल के दौरान → कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या चालू नहीं की जा सकती।
- कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
- उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी, पद पर रहते हुए उनके खिलाफ दीवानी (Civil) कार्यवाही शुरू करने से पहले 2 महीने का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।

2) **अनुच्छेद 361-A**: यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सत्य कार्यवाही का प्रकाशन करता है, तो उसके खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

3) **अनुच्छेद 105**: किसी भी संसद सदस्य द्वारा संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

4) **अनुच्छेद 194**: MLAs/MLCs

5) **अनुच्छेद 31-C**: यदि राज्य अनुच्छेद 39 (b) या (c) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा।

- सर्वोच्च न्यायालय → "जहां अनुच्छेद 31-C प्रवेश करता है, वहां से अनुच्छेद 14 बाहर चला जाता है।"

Exceptions to Article 14

1) **President and Governor (Article 361) :**

- Not answerable to any court for any act done during their term of office
- During term → No criminal proceedings can be initiated or continued
- No order for arrest or imprisonment can be issued during the term
- Even for personal acts, 2 months' prior notice mandatory before initiating civil proceedings while in office

2) **Article 361-A :** Publishing true proceedings of Parliament or State Legislature → No civil or criminal proceedings

3) **Article 105 :** No court proceedings against an MP for any speech or vote in Parliament or its committees

4) **Article 194 :** MLAs/MLCs (same protection at state level)

5) **Article 31-C :** A law made to implement Article 39(b) or (c) cannot be challenged on grounds of violation of Article 14

- Supreme Court → "Where Article 31-C enters, Article 14 exits."

6) **अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law)** के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, भारत में कुछ विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों को भारतीय कानूनों (अनुच्छेद 14 सहित) से विशेष उन्मुक्ति (immunity) प्राप्त है :-

○ **विदेशी संप्रभु और शासक (Foreign Sovereigns and Rulers) :**

विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और शासकों पर भारतीय न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।

○ **राजनयिक (Ambassadors and Diplomats) :** वियना कन्वेंशन के

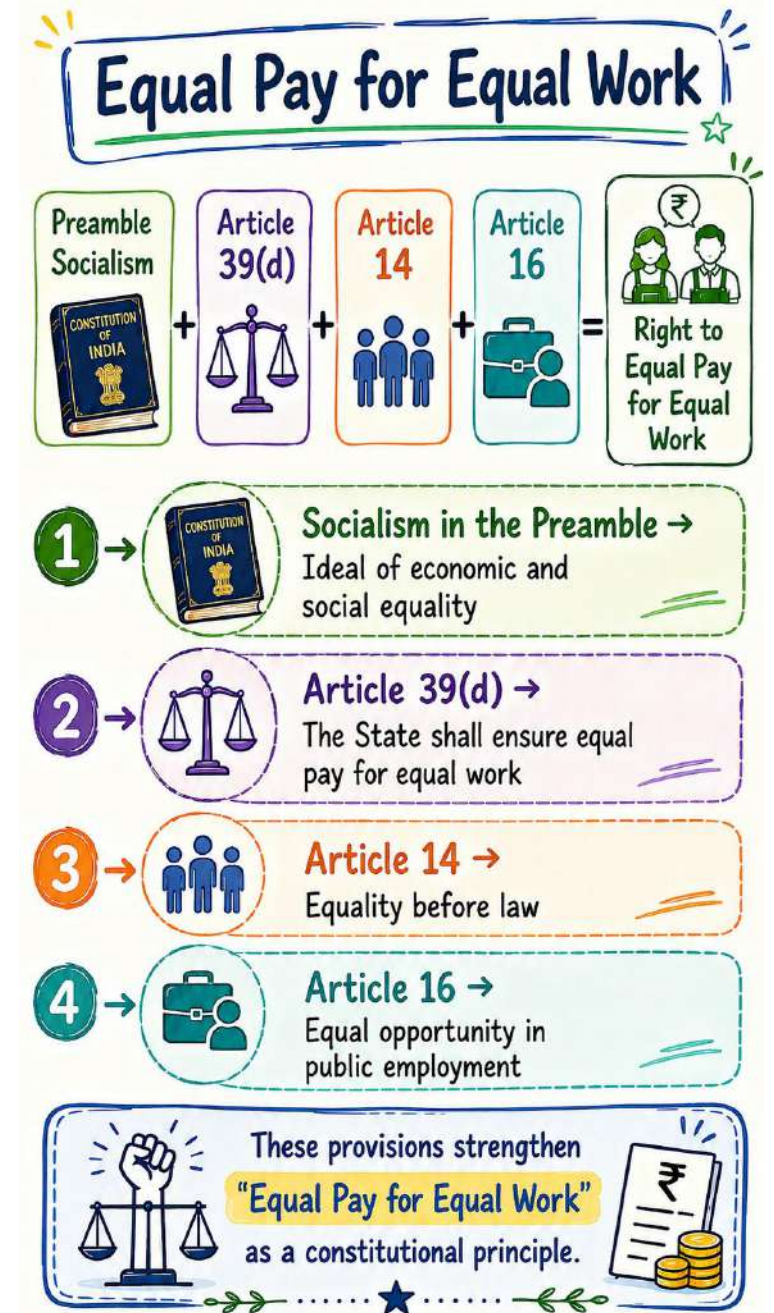
तहत, विदेशी राजदूतों और राजनयिकों को भारत के आपराधिक और दीवानी क्षेत्राधिकार से पूर्ण छूट प्राप्त है।

○ **अंतरराष्ट्रीय संगठन :** संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) और इसकी विभिन्न एजेंसियों (जैसे WHO, UNESCO आदि) को भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत राजनयिक उन्मुक्ति (Diplomatic immunity) प्राप्त होती है।



6) According to the established principles of International Law, certain foreign entities and individuals in India enjoy special immunity from Indian laws (including Article 14). :-

- **Foreign Sovereigns and Rulers** : Cannot be sued in Indian courts in civil or criminal matters
- **Ambassadors and Diplomats** : Ambassadors and Diplomats (Vienna Convention): Foreign envoys have complete immunity from India's criminal and civil jurisdiction
- **International Organizations** : UNO and its agencies (WHO, UNESCO etc.) enjoy diplomatic immunity under international agreements



★ मौलिक अधिकार : विचार, सिद्धांत और स्वर्णिम त्रिभुज

1 जवाहरलाल नेहरू

“ ‘एक मौलिक अधिकार को इस समय की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में **स्थायी** (Permanent) बनाना चाहते हैं। ”

→ नेहरू जी मौलिक अधिकारों को नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे, लेकिन साथ ही वे अधिकारों और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच **संतुलन** के पक्षधर थे।

3 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

“ ये अधिकार महज कुछ कानूनी नियम नहीं हैं, बल्कि यह देश के नागरिकों के लिए एक **वादा** (प्रतिज्ञा) और अंतराष्ट्रीय समुदाय व सभ्य दुनिया के साथ किया गया एक **समझौता** है। ”

4 मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 14**, **अनुच्छेद 19** और **अनुच्छेद 21** के समूह को ‘**गोल्डन ट्रायंगल**’ (स्वर्णिम त्रिभुज) या ‘**त्रिमूर्ति**’ कहा जाता है।



2 उदार लोकतंत्र और स्वतंत्रता की सुरक्षा

एक उदार लोकतंत्र (Liberal Democracy) में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा ‘**शक्तियों के पृथक्करण**’ (Separation of Powers) द्वारा सुनिश्चित होती है।

→ इस सिद्धांत को मूल रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक **मोंटेस्क्यू** ने प्रतिपादित किया था।



5 स्वर्णिम त्रिभुज का महत्व

→ ये तीनों एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं — किसी एक के बिना बाकी दो अधूरे हो जाते हैं।



★ Fundamental Rights: Ideas, Principles and the Golden Triangle



1 Jawaharlal Nehru



“A fundamental right should be viewed not from the standpoint of some particular difficulty of the present moment, but as something that you would like to make permanent in the Constitution.”

➔ Nehru believed that Fundamental Rights were essential for the development of citizens, but he also supported a balance between rights and social responsibility.

2 Liberal Democracy and the Protection of Liberty



In a Liberal Democracy, the best protection of citizens' liberty is ensured through the Separation of Powers.

➔ This principle was originally propounded by the French philosopher Montesquieu.



Legislature



Executive

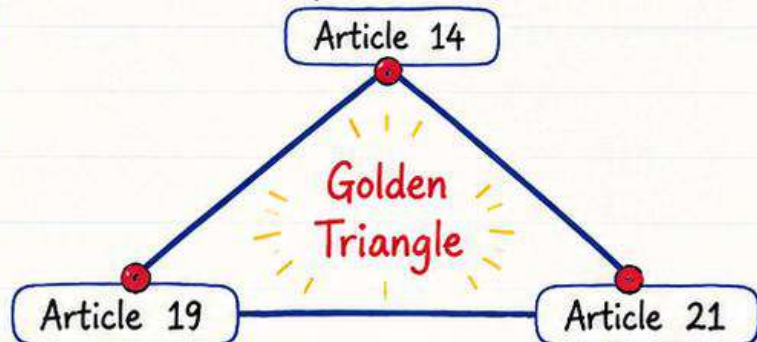


Judiciary

5 Importance of the Golden Triangle



➔ All three are completely interconnected—without any one of them, the other two become incomplete.



3 Dr. S. Radhakrishnan



“These rights are not merely a few legal rules; rather, they are a promise to the citizens of this country and an agreement made with the international community and the civilized world.”

4 Maneka Gandhi v. Union of India (1978)



In the Indian Constitution, the group of Article 14, Article 19 and Article 21 is called the 'Golden Triangle' or the 'Trinity'.



अनुच्छेद 15 → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

15 (1) ⇒ राज्य केवल

धर्म

मूलवंश

जाति

लिंग

जन्म स्थान

आधार पर भेदभाव नहीं करेगा

अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है।

भारत का संविधान
अनुच्छेद 15

भेदभाव का निषेध

पाँच आधारों पर भेदभाव मना



धर्म



मूलवंश



जाति



लिंग



जन्म स्थान

सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुँच



विशेष प्रावधान (अपवाद)

15(3): महिलाओं और बच्चों के लिए



मोतम

मुफ्त शिक्षा

15(4) और 15(5): पिछड़े वर्गों, SC/ST के लिए शिक्षा में आरक्षण



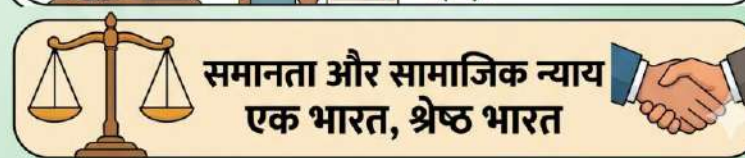
कोलेजा

शैक्षणिक संस्थान

15(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए



अवसरों की समानता की नौकवारों एवं शिक्षा



समानता और सामाजिक न्याय
एक भारत, श्रेष्ठ भारत

Article 15 → Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth

15 (1) ⇒ State only

Religion

Race

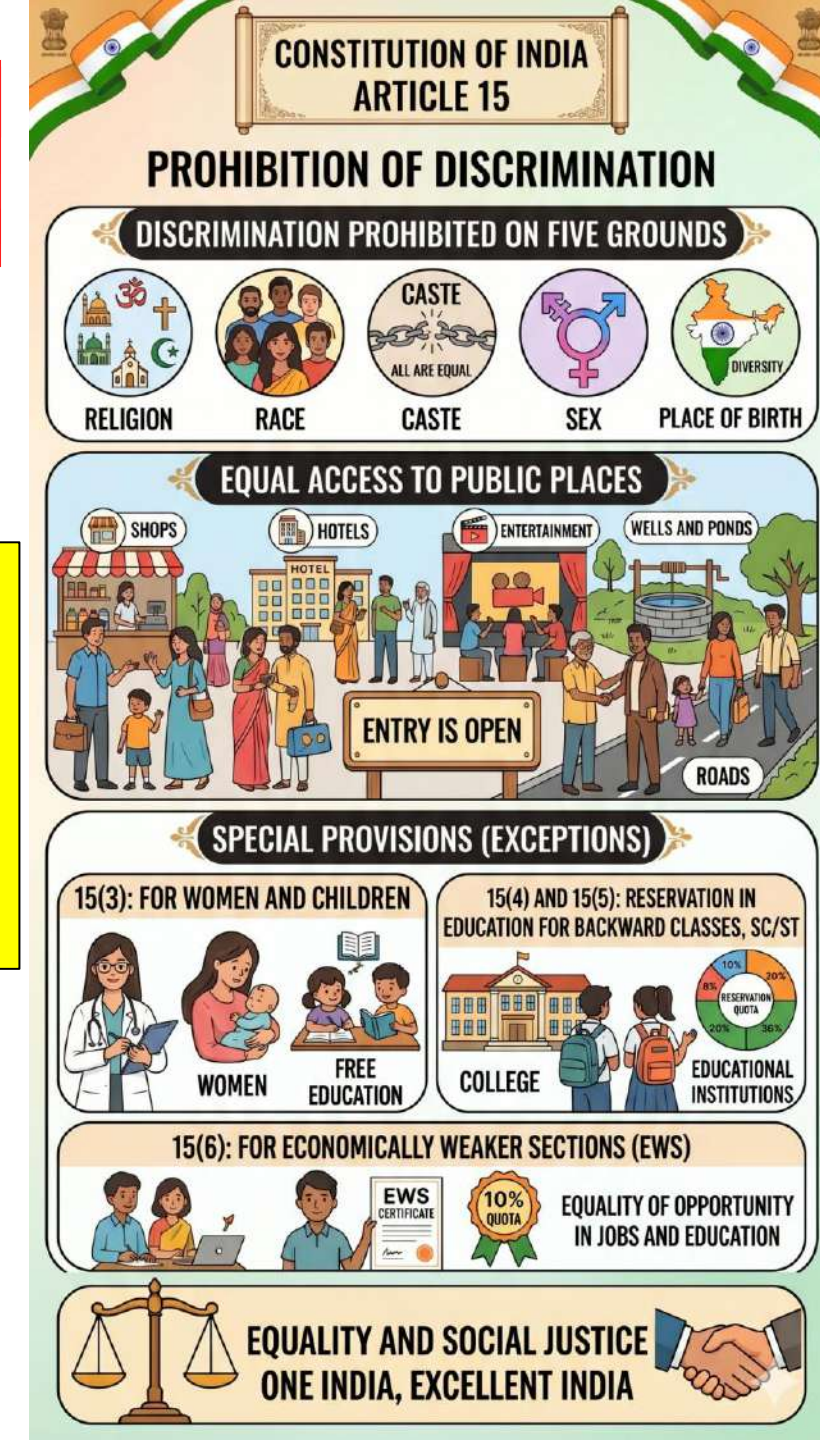
Caste

Sex

Place of Birth

The State shall not discriminate on the following grounds only

Discrimination can be made on other grounds.



15 (2)

सार्वजनिक स्थानों तक सभी की पहुंच

जाति

धर्म

लिंग

मूलवंश

जन्मस्थान

के आधार पर कोई
भेदभाव नहीं

राज्य व निजी व्यक्ति → दोनों पर लागू

⌋ क्षैतिज अधिकार = राज्य के साथ- साथ कोई नागरिक भी भेदभाव नहीं कर सकता



15 (2) + 17 + 23 + 24

15 (3)

राज्य

महिला

बच्चे

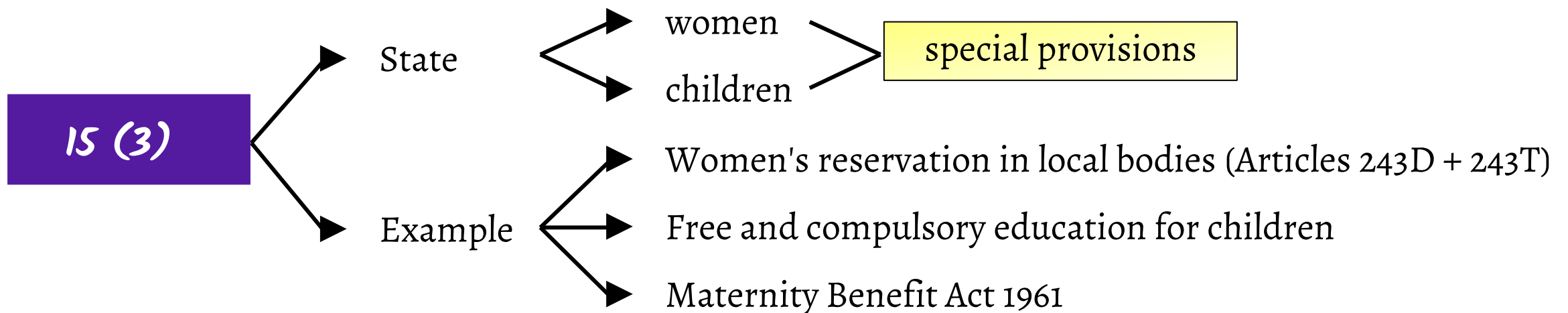
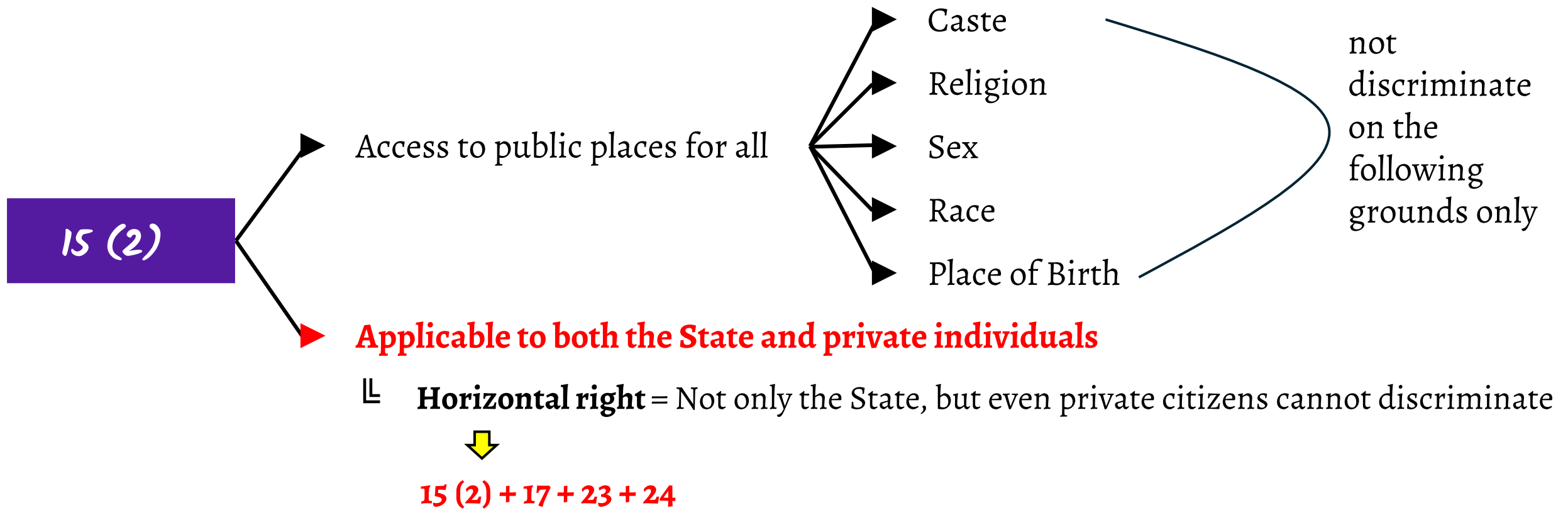
के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है

उदाहरण

स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण [243D+ 243T)

बच्चों हेतु निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961



15 (4)

प्रथम संविधान संशोधन 1951 ⇒ चम्पकम दोराईराजन वाद के बाद

राज्य

उन्नति के लिए
विशेष उपाय

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)

अनुसूचित जाति (SC)

अनुसूचित जनजाति (ST)

15 (5)

93 संविधान संशोधन 2005

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण



सामाजिक व शैक्षणिक
रूप से पिछड़े वर्ग

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008

OBC = 27% आरक्षण

क्रीमी लेयर की अवधारणा को वैधता

15 (6)

103 संविधान संशोधन 2019

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु शैक्षणिक आरक्षण ⇒ अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा

EWS ⇒ 10% आरक्षण

15 (4)

1st Constitutional Amendment 1951 ⇒ After Champakam Dorairajan Case

State ——— special provisions for

- Socially & Education Backward Classes (SEBC)
- Scheduled Castes (SC)
- Scheduled Tribes (ST)

15 (5)

93rd Constitutional Amendment 2005

Reservation in Educational Institutions



Socially & Educationally Backward Classes

Ashok Kumar Thakur Case 2008

- Socially and Educationally Backward Classes (SEBC)
- Scheduled Castes (SC)
- Scheduled Tribes (ST)

- OBC = 27% Reservation
- Validity of Creamy Layer concept

15 (6)

103rd Constitutional Amendment 2019

Educational reservation for economically backward classes ⇒ Except minority institution

EWS ⇒ 10% Reservation



अनुच्छेद 15



धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

मुख्य प्रावधान

1



राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

2



किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

3



राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।

4



राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

5



शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

6



आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी विशेष प्रावधान संभव हैं।

समानता का अधिकार



दुकानें



सार्वजनिक भोजनालय



होटल



सार्वजनिक मनोरंजन स्थल



समानता • न्याय • गरिमा



सार: अनुच्छेद 15 समानता को मजबूत करता है और भेदभाव को रोकता है!





Article 15



Satyameva Jayate

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth

Key Provisions

1



The State shall not discriminate against any citizen only on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

2



No citizen shall be denied access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment.

3



The State may make special provisions for women and children.

4



The State may make special provisions for socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes.

5

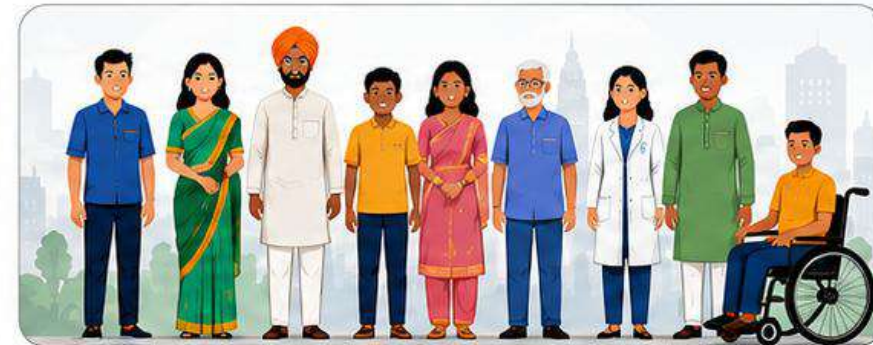


Special provisions may be made regarding admission to educational institutions.

6



Special provisions may also be made for the Economically Weaker Sections (EWS).



Right to Equality



Shops



Public Restaurants



Hotels



Places of Public Entertainment



Educational Institutions



Provisions for EWS

Summary: Article 15 strengthens equality and prevents discrimination.



अनुच्छेद 16 → लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

16 (1)

16 (2)

16 (3)

16 (4)

16 (5)

16 (6)

16 (4A)

16 (4B)

Article 16 → Equality of opportunity in matters of public employment

16 (1)

16 (2)

16 (3)

16 (4)

16 (5)

16 (6)

16 (4A)

16 (4B)

16 (1)

सरकारी नौकरी व नौकरी की शर्तें ⇒ अवसर की समानता

16 (2)

सरकारी नौकरी में "केवल" निम्न आधार पर भेदभाव नहीं

धर्म (Religion)

मूलवंश (Race)

जाति (Caste)

लिंग (Sex)

उद्भव (Descent)

जन्मस्थान

निवास

16 (3)

संसद

निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है।

सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, 1957

वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं। लेकिन यह अनुच्छेद 16(3) के तहत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 371 (D) के तहत है।

संसद "निवास" (Residence) के आधार पर शर्त लगा सकती है, लेकिन "जन्म-स्थान" (Place of Birth) के आधार पर नहीं।

16 (1)

Government jobs and conditions of service ⇒ Equality of opportunity

16 (2)

Discrimination in government employment NOT permitted ONLY on the following grounds:

Religion

Race

Caste

Sex

Descent

Place of birth

Residence

16 (3)

Parliament

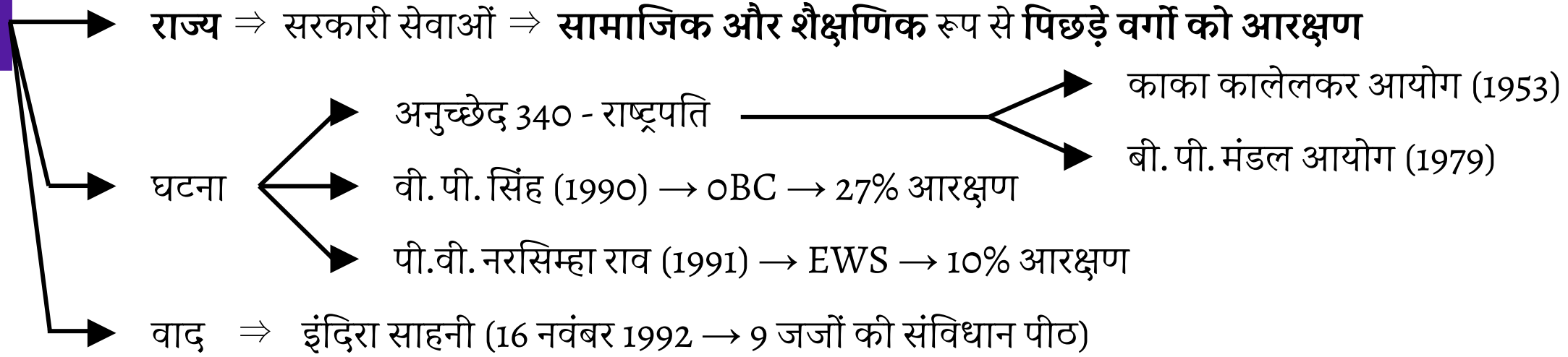
May prescribe residence as a condition for government jobs.

Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957

Currently, special residence provisions apply only to Andhra Pradesh and Telangana — but under Article 371(D), not Article 16(3).

Parliament may impose a condition based on "Residence" but NOT on "Place of Birth."

16 (4)



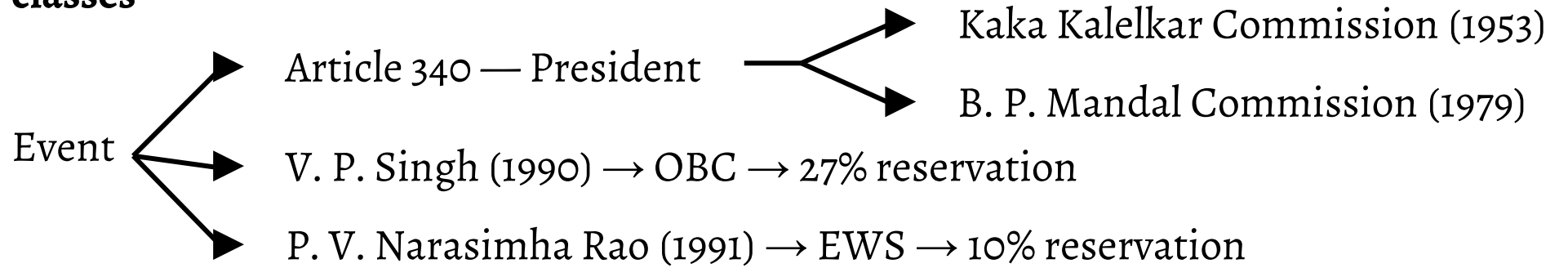
राम नंदन समिति (1993)

- क्रीमी लेयर : ओबीसी पर लागू
- पदोन्नति के मामले में SC और ST वर्ग पर भी 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू होगा।
- 1993 में ₹1 लाख थी, जिसे 2017 में बढ़ाकर 8 लाख कर दिया

- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए **10% आरक्षण** → अवैध
- 27% OBC आरक्षण → संवैधानिक रूप से वैध
- कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में कुल रिक्तियों के **50% से अधिक नहीं** होना चाहिए
- पदोन्नति में आरक्षण नहीं
- 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत
- SC/ST के पिछड़ेपन को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित माना गया। पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अलग से कोई 'मात्रात्मक आंकड़े' देने की आवश्यकता नहीं है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना

16 (4)

State ⇒ Government services ⇒ Reservation for socially and educationally backward classes



Case ⇒ **Indra Sawhney** (November 16, 1992 → 9-judge Constitutional Bench)



Ram Nandan Committee (1993)

- Creamy Layer: applicable to OBC
- In matters of promotion, the 'Creamy Layer' principle shall also apply to SC and ST.
- In 1993 the income limit was ₹1 lakh, revised upward to ₹8 lakh in 2017

- 10% reservation solely for economically weaker sections → **held invalid**
- 27% OBC reservation → **constitutionally valid**
- Total reservation must **not exceed 50%** of total vacancies under any circumstances
- No reservation in promotions
- Principle of 'Creamy Layer'
- The backwardness of SC/ST is treated as historically established. No separate quantitative data needs to prove their backwardness.
- Establishment of National Commission for Backward Classes (NCBC)

16(4)(A)

- 77वाँ संविधान संशोधन 1995
- SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण

16(4)(B)

- 81वाँ संविधान संशोधन 2000
- आरक्षण में "कैरी फारवर्ड नियम"
- बैकलॉग सीटों पर 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा लागू नहीं होती

वाद

एम. नागराज (2006)

- 16 4(A) तथा 16 4(B) → वैध
- आरक्षण का आधार

► 'क्रीमी लेयर' → SC/ST हेतु भी होनी चाहिए।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता (2018)

- SC व ST में भी क्रीमी लेयर
- 'पिछड़ेपन' → डेटा की शर्त समाप्त
- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता → डेटा की शर्तें बरकरार

SC/ST वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। डेटा निम्नलिखित तीन बातों को साबित :

- पिछड़ापन (Backwardness)
- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
- प्रशासनिक दक्षता : अनुच्छेद 335

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) → राज्य सरकारें SC/ST सूची के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचे।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए गठित 'जस्टिस जी. रोहिणी आयोग' (अक्टूबर 2017)

16(4)(A)

77th Constitutional Amendment 1995
Reservation in promotions for SC/ST

16(4)(B)

81st Constitutional Amendment 2000

"Carry Forward Rule" in reservation

The 50% ceiling on reservation does not apply to backlog/unfilled reserved posts

Case

M. Nagaraj (2006)

Articles 16(4A) and 16(4B) → valid

Basis for reservation

'Creamy Layer' → should apply to SC/ST as well.

Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (2018)

- Creamy Layer applies to SC and ST as well
- 'Backwardness' → data requirement removed
- Inadequate representation and efficiency → data requirements remain

SC Before granting reservation in promotions to SC/ST, quantitative data must be collected to establish the following three points :

- Backwardness
- Inadequate representation
- Administrative efficiency: Article 335

State of Punjab v. Davinder Singh (2024) → State governments may sub-classify within the SC/ST list so that reservation benefits reach the most deserving/needy.

Justice G. Rohini Commission (October 2017) — constituted for sub-classification within OBC

16 (5)



धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पदों के लिए उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की अनुमति

16(6)

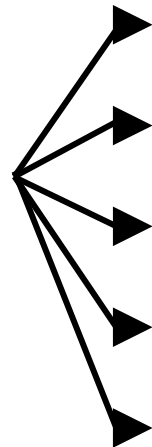


एस. आर. सिन्हो आयोग (2006) → **103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (**EWS**) के लिए आरक्षण → **10% आरक्षण**



○ केन्द्र सरकार



परिवार की वार्षिक आय ⇒ कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम

परिवार की कृषि भूमि ⇒ 5 एकड़ से कम

परिवार का आवासीय फ्लैट ⇒ 1000 वर्ग फुट से कम

आवासीय भूखंड ⇒ 100 वर्ग गज से कम (Notified Municipalities)

आवासीय भूखंड ⇒ 200 वर्ग गज से कम (Other)

वर्ग / श्रेणी	आरक्षण
(SC)	15%
(ST)	7.5%
(OBC)	27%
EWS	10%
कुल	59.5%



जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) ⇒ 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को वैध ठहराया

○ गरीबी अपने आप में पिछड़ेपन का एक कारण है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाए।

○ न्यायालय : 50% की सीमा कोई "अपरिवर्तनीय या कठोर नियम" (Inflexible rule) नहीं है।

16 (5)

Appointment of a person of the same religion is permitted for management posts in religious institutions

16(6)

S. R. Sinho Commission (2006) → **103rd Constitutional Amendment Act, 2019**

Reservation for Economically Weaker Sections (EWS) → **10% reservation**



○ Central Government

Family's annual income ⇒ total annual income less than ₹8 lakh

Family's agricultural land ⇒ less than 5 acres

Family's residential flat ⇒ less than 1000 sq. ft.

Residential plot ⇒ less than 100 sq. yards (Notified Municipalities)

Residential plot ⇒ less than 200 sq. yards (Other areas)

Category	Reservation
(SC)	15%
(ST)	7.5%
(OBC)	27%
EWS	10%
Total	59.5%

→ **Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) ⇒ 103rd Amendment upheld as valid by a 3:2 majority**

- Poverty is itself a cause of backwardness. It is the duty of the State to bring the weakest sections of society into the mainstream.
- Court held : The 50% ceiling is not an "inflexible or rigid rule."

ः क्रीमी लेयर के मापदंड एवं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामले ः

— त्वरित पुनरावृत्ति इन्फोग्राफिक —

1

क्रीमी लेयर में कौन आता है?



सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मुख्य रूप से 6 श्रेणियाँ बनाई हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के माता-पिता इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर में माना जाता है।

1



संवैधानिक पद

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, UPSC/SPSC के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), CAG आदि।

2



सेवा श्रेणी

- ग्रुप A / क्लास I: यदि माता या पिता में से कोई एक ग्रुप 'A' अधिकारी है।
- ग्रुप B / क्लास II: यदि माता-पिता दोनों ग्रुप 'B' अधिकारी हैं, या पिता ग्रुप 'B' में थे और 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप 'A' में पदोन्नत हो गए।
- PSUs, बैंकों, बीमा कंपनियों और विश्वविद्यालयों में समकक्ष पद भी शामिल हैं।

3



सशस्त्र बल

सेना में कर्नल या उससे ऊपर के अधिकारी (तथा नौसेना/वायुसेना में समकक्ष रैंक)।

4



पेशेवर

डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखक, सलाहकार आदि (यदि उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक हो)।

5



संपत्ति के स्वामी

जो लोग निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित कृषि भूमि रखते हैं, या शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवन/संपत्ति के मालिक हैं।

6



आय / संपत्ति परीक्षण

वर्तमान आय सीमा: ₹8 लाख प्रति वर्ष

पूर्व सीमा: 1993 में ₹1 लाख; 2017 में बढ़ाकर ₹8 लाख।



निष्कर्ष: यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आता है, तो उसे क्रीमी लेयर में माना जाता है।

2

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामले



1



इंद्रा साहनी मामला (मंडल केस) – 1992

SC/ST का पिछड़ापन ऐतिहासिक रूप से स्थापित माना गया। उनके पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए राज्य को अलग से मात्रात्मक आँकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

2



एम. नागराज बनाम भारत संघ – 2006

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन 3 शर्तें लगाईं: राज्य को (1) SC/ST के पिछड़ेपन, (2) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और (3) अनुच्छेद 335 के अंतर्गत प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने को सिद्ध करने हेतु मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करने होंगे।

3



जर्नेल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता – 2018

सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले की उस शर्त को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें SC/ST के पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए आँकड़ों की आवश्यकता बताई गई थी। इंद्रा साहनी (1992) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि SC/ST के पिछड़ेपन को स्थापित करने के लिए मात्रात्मक आँकड़ों की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आँकड़े अभी भी आवश्यक हैं।

⇒ Creamy Layer Criteria & Key Supreme Court Cases ⇒

• — Quick Revision Infographic — •

1 Who Comes Under the Creamy Layer?



The government has mainly created 6 categories to identify the creamy layer. If a candidate's parents fall under any of these categories, the candidate is considered to belong to the creamy layer.

1



Constitutional Posts

President, Vice President, judges of the Supreme Court and High Courts, Chairpersons and Members of UPSC/SPSC, Chief Election Commissioner (CEC), CAG, etc.

2



Service Category

- Group A / Class I: If either parent is a Group 'A' officer.
- Group B / Class II: If both parents are Group 'B' officers, or if the father was in Group 'B' and was promoted to Group 'A' before the age of 40.
- Equivalent posts in PSUs, banks, insurance companies, and universities are also included.

3



Armed Forces

Officers of the rank of Colonel or above in the Army (and equivalent ranks in the Navy/Air Force).

4



Professionals

Doctors, lawyers, engineers, chartered accountants, writers, consultants, etc., if their income is above the prescribed limit.

5



Property Owners

Those who own irrigated agricultural land above the prescribed limit, or commercial buildings/property in urban areas.

6



Income / Wealth Test

Current income limit: ₹8 lakh per year.

Earlier limit:
₹1 lakh in 1993;
raised to ₹8 lakh
in 2017.



Conclusion: If a candidate falls under any of the above categories, the candidate is considered to be in the creamy layer.

2 Key Supreme Court Cases



1



Indra Sawhney Case (Mandal Case) – 1992

The backwardness of SC/STs was treated as historically established. The State does not need to provide separate quantifiable data to prove their backwardness.

2



M. Nagaraj v. Union of India – 2006

The Supreme Court upheld reservation in promotion, but imposed 3 conditions: the State must collect quantifiable data to establish (1) backwardness of SC/STs, (2) inadequate representation, and (3) maintenance of administrative efficiency under Article 335.

3



Jarnail Singh v. Lachmi Narain Gupta – 2018

The Supreme Court declared unconstitutional the Nagaraj condition requiring data to prove the backwardness of SC/STs. Referring to Indra Sawhney (1992), the Court held that no quantifiable data is required to establish SC/ST backwardness, although data regarding inadequate representation is still necessary.



अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

(Equality of Opportunity in Public Employment)



समान अवसर
सशक्त भारत

2 अनुच्छेद 16 के प्रमुख प्रावधान

1 मुख्य भाव

- राज्य के अधीन नौकरियों और पदों में सभी नागरिकों को **समान अवसर**।
- सरकारी नियुक्ति में **निष्पक्षता**, **समानता** और **न्याय** का सिद्धांत।



3 याद रखने योग्य बातें

- ✓ यह अनुच्छेद “**सार्वजनिक रोजगार**” से संबंधित है।
- ✓ समान अवसर का अर्थ है: **निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया**।
- ✓ आरक्षण = समानता के साथ **सामाजिक न्याय**।



16(1)

सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन / नियुक्ति में अवसर की समता।



16(2)

केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं।



16(3)

संसद कुछ पदों के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है।



16(4)

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो।



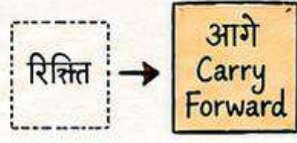
16(4A)

SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान।



16(4B)

आरक्षित रिक्तियों को आगे carry forward किया जा सकता है।



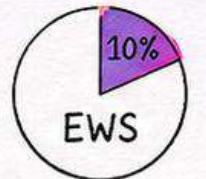
16(5)

धार्मिक संस्थाओं में संबंधित धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति संभव।



16(6)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण।

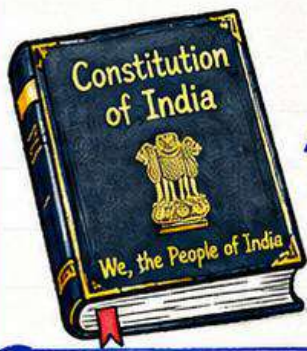


4 एक लाइन में सार



“अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर और उचित आरक्षण की संवैधानिक गारंटी देता है।”





Article 16 - Equality of Opportunity in Public Employment

(Equality of Opportunity in Public Employment)



Equal Opportunity
Empowered India

2 Key Provisions of Article 16

1 Core Idea

- All citizens must get **equal opportunity** in jobs and posts under the State.
- Public employment must follow the principles of **fairness, equality, and justice.**



3 Important Points to Remember

- ✓ This Article is related to **public employment.**
- ✓ Equal opportunity means a **fair recruitment process.**
- ✓ Reservation = Equality along with **social justice.**



16(1) Equality of opportunity for all citizens in matters of public employment / appointment.



16(2) No discrimination only on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, etc.



16(3) Parliament may prescribe residence requirements for certain posts.



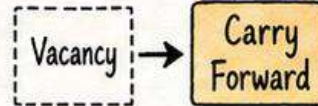
16(4) Reservation for backward classes if they are not adequately represented.



16(4A) Reservation in promotion for SC/ST.



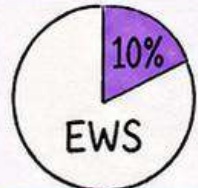
16(4B) Reserved vacancies may be carried forward.



16(5) Appointment of a person belonging to a particular religion is allowed in religious institutions.



16(6) 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS).



4 One-Line Summary



“Article 16 guarantees equal opportunity and reasonable reservation in public employment.”



अनुच्छेद 17 → अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन की व्यवस्था

- 1) अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability)
- 2) अस्पृश्यता → एक दंडनीय अपराध
- 3) पूर्ण अधिकार (Absolute Right) : यह 'निरपेक्ष' है। इसका कोई अपवाद नहीं है।
- 4) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू : यदि कोई आम नागरिक भी छुआछूत का आचरण करता है, तो वह भी दंड का भागी होगा।
- 5) संविधान में 'अस्पृश्यता' परिभाषित नहीं
- 6) अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने वाले कानून
 - अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 → नाम में बदलाव (2 सितंबर 1976) → नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**

7) मैसूर उच्च न्यायालय : देवरजैया बनाम बी.

पद्मना (1958) :-

- सामाजिक कुप्रथा, जिसमें कुछ जातियों या वर्गों को उनके जन्म के कारण हीन या अछूत माना जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति का उसके बुरे आचरण या किसी छूत की बीमारी के कारण समाज से बहिष्कार किया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय 'अस्पृश्यता' नहीं माना जाएगा।

Article 17 → Provision for complete abolition of untouchability

- 1) Abolition of untouchability
- 2) Untouchability → **a punishable offence**
- 3) Absolute Right: it is absolute in nature. There are no exceptions.
- 4) Also enforceable against private individuals: even an ordinary citizen practising untouchability is liable for punishment.
- 5) 'Untouchability' is not defined in the Constitution
- 6) Legislations giving effect to Article 17
 - Untouchability (Offences) Act, 1955 → renamed (2 September 1976) → **Protection of Civil Rights Act, 1955**
 - **SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989**
- 7) **Mysore High Court: Devarajaiah v. B. Padmanna (1958) :-**
 - A social evil by which certain castes or classes are regarded as inferior or untouchable by reason of their birth.
 - Exclusion of a person from society on account of bad conduct or a contagious disease will NOT be treated as 'untouchability' punishable under Article 17.

अनुच्छेद 18 → उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)

18 (1)

→ राज्य → केवल सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

18 (2)

→ कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि (Title) स्वीकार नहीं करेगा।

18 (3)

→ कोई विदेशी नागरिक जो भारत राज्य के अधीन कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

18 (4)

→ सरकारी नौकरी पर आसीन कोई भी व्यक्ति (भारतीय या विदेशी) राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट (Present), उपलब्धि (Emolument) या पद स्वीकार नहीं करेगा।

- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) के विपरीत, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन वर्तमान में कोई दंडनीय अपराध नहीं है
- विदेशी संस्थाओं (जैसे नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे आदि) से मिलने वाले पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं
- बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) → राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधि' (Titles) के दायरे में नहीं आते
- पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इन नामों का प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे (Prefix या Suffix) नहीं कर सकते।
- अनुच्छेद 18 केवल उन 'उपाधियों' (Titles) पर रोक लगाता है जो अनुवांशिक (Hereditary) हैं या जो अंग्रेजों द्वारा सामंती और कृत्रिम भेदभाव (जैसे- महाराजा, राजबहादुर, दीवान) पैदा करने के लिए दी जाती थीं।

Article 18 → Abolition of Titles

18 (1)



The State shall not confer any title except military and academic distinctions.

18 (2)



No Indian citizen shall accept any title from a foreign state.

18 (3)



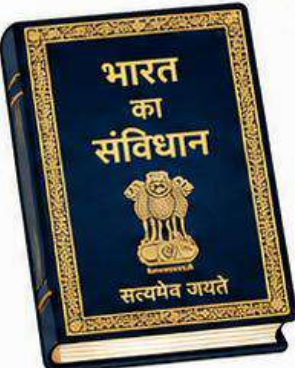
No foreign national holding office under the State shall accept any title from a foreign state without the prior consent of the President.

18 (4)



Any person holding a government office (Indian or foreign) shall not accept any present, emolument, or office from a foreign state without the President's consent.

- Unlike Article 17 (untouchability), *violation of Article 18 is currently not a punishable offence.*
- Awards from foreign bodies (such as the Nobel Prize, Ramon Magsaysay, etc.) do not fall within the category of titles.
- *Balaji Raghavan v. Union of India (1996)* → National awards (Bharat Ratna, Padma awards) do not fall within the scope of 'titles' under Article 18.
- Award recipients cannot use these names as a **prefix or suffix** to their names.
- Article 18 prohibits only those '**titles**' which are hereditary or which were conferred by the **British to create feudal and artificial distinctions** (such as Maharaja, Rai Bahadur, Diwan).



विदेशी सम्मान और अनुच्छेद 18



प्रधानमंत्री या अन्य भारतीय नेताओं को विदेशी सरकारों से मिलने वाले सम्मान असंवैधानिक क्यों नहीं हैं?



उदाहरण:

ऑर्डर ऑफ द नाइल (मिस्र) • लीजन ऑफ ऑनर (फ्रांस) • ऑर्डर ऑफ अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद (सऊदी अरब)

1. 'उपाधि' और 'सम्मान' में अंतर



- अनुच्छेद 18(2) केवल 'उपाधियों' (Titles) को स्वीकार करने पर रोक लगाता है, 'सम्मान/पुरस्कार' (Awards/Honors) पर नहीं।
- विदेशी सरकारों के ये सम्मान सामंती उपाधियों (जैसे Sir, Lord, Knighthood) नहीं हैं।
- ये दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों, आपसी सम्मान और राज्य-स्तरीय मान्यता के प्रतीक हैं।
- बालाजी राघवन वाद के तर्क के अनुसार, सम्मान देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता।

2. अनुच्छेद 18(4) और राष्ट्रपति की सहमति



- अनुच्छेद 18(4) कहता है कि राज्य के अधीन 'लाभ या विश्वास का पद' धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या सम्मान स्वीकार नहीं करेगा।
- प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी सम्मान स्वीकार करना एक आधिकारिक कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत होता है।
- यह प्रक्रिया विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रोटोकॉल के अनुसार चलती है।
- इन सम्मानों को स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है।
- इसलिए यह संविधान द्वारा अनुमत छूट के भीतर आता है।

3. नाम के साथ प्रयोग पर मनाही



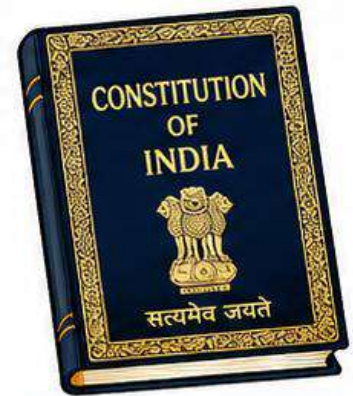
- जैसे 'भारत रत्न' को नाम के आगे/पीछे उपाधि की तरह नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही विदेशी सम्मानों का भी उपयोग नाम के साथ Prefix/Suffix के रूप में नहीं किया जा सकता।
- प्रधानमंत्री या अन्य नेता इन्हें अपने नाम के साथ आधिकारिक उपाधि की तरह नहीं जोड़ सकते।



निष्कर्ष



विदेशी सरकारों से मिलने वाले ये सम्मान 'उपाधि' नहीं, बल्कि कूटनीतिक राज्य-स्तरीय सम्मान हैं। इन्हें राष्ट्रपति की सहमति और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है।



Foreign Honors and Article 18

Why are honors conferred by foreign governments on the Prime Minister or other Indian leaders not unconstitutional?



Examples:

Order of the Nile (Egypt) • Legion of Honour (France) • Order of Abdulaziz Al Saud (Saudi Arabia)

1. Difference Between a 'Title' and an 'Honor'



- **Article 18(2)** prohibits only the acceptance of 'titles', not 'awards/honors'.
- These honors conferred by foreign governments are not feudal titles such as Sir, Lord, or Knighthood.
- They symbolize **diplomatic relations, mutual respect, and state-level recognition** between two countries.
- By the logic of the **Balaji Raghavan case**, conferring honors is not treated as a violation of the Right to Equality.

2. Article 18(4) and the President's Consent



- **Article 18(4)** says that a person holding any office of profit or trust under the State shall not accept any present or honor from a foreign State without the prior consent of the President.
- When the Prime Minister accepts a foreign honor, it is done through an official diplomatic process.
- This process is conducted according to the protocol of the **Ministry of External Affairs (MEA)**.
- Before accepting such honors, the **President's consent** is obtained.
- Therefore, it falls within the **constitutionally permitted exception**.

3. No Use Along With the Name



- Just as 'Bharat Ratna' cannot be used as a title before or after a person's name, foreign honors also cannot be used as a **Prefix/Suffix** with the name.
- The Prime Minister or any other leader cannot attach these honors to their name as an official title.



Conclusion



These honors received from foreign governments are not '**titles**'; rather, they are **diplomatic state honors**. They are accepted only with the **President's consent** and under the prescribed protocol. Therefore, they do not violate **Article 18**.

9) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 से 22 (Articles 19 to 22)

अनुच्छेद 19 → वाक-
स्वतंत्रता आदि
विषयक कुछ
अधिकारों का संरक्षण
(Rights Regarding
Freedom of
Speech, etc.)

अनुच्छेद 20 →
अपराधों के लिए
दोषसिद्धि के संबंध में
संरक्षण (Protection
in Respect of
Conviction for
Offenses)

अनुच्छेद 21 → प्राण
और दैहिक स्वतंत्रता
का संरक्षण
(Protection of Life
and Personal
Liberty)

अनुच्छेद 21A → शिक्षा
का अधिकार (Right
to Education)

अनुच्छेद 22 → कुछ
दशाओं में गिरफ्तारी
और निरोध से संरक्षण
(Protection Against
Arrest and
Detention)

9) Right to Freedom

Articles 19 to 22

Articles 19 →
Protection of
certain rights
regarding freedom
of speech, etc.

Articles 20 →
Protection in
respect of
conviction for
offences

Articles 21 →
Protection of life
and personal liberty

Articles 21A →
Right to Education

Articles 22 →
Protection against
arrest and
detention in certain
cases

अनुच्छेद 19 → वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

19 (1)

19 (2)

19 (3)

19 (4)

19 (5)

19 (6)

1) संपत्ति के अधिकार का विलोपन

- अनुच्छेद 19 के तहत सात अधिकार
- अनुच्छेद 19(1)(f) → 'संपत्ति को खरीदने का अधिकार'
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 → एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A)

2) अधिकारों की प्रयोज्यता (Applicability)

- केवल भारतीय नागरिकों और कंपनियों के शेयरधारकों को प्राप्त हैं।
- विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं

- अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों के खिलाफ संरक्षित हैं, न कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ।
- अनुच्छेद 358 → राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यह प्रावधान केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं।

3) उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- ये अधिकार असोमित (Absolute) नहीं हैं।
- राज्य अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में उल्लिखित विशिष्ट आधारों पर इन अधिकारों पर 'उक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध' लगा सकता है।

Articles 19 → Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc

19 (1)

19 (2)

19 (3)

19 (4)

19 (5)

19 (6)

1) Deletion of the Right to Property

- Seven rights under Article 19
- **Articles 19(1)(f)** → Right to acquire property'
- **44th Constitutional Amendment Act, 1978** → made it a legal right (Article 300A))

2) Applicability of Rights

- Available only to Indian citizens and shareholders of companies.
- Not available to foreign nationals

- These rights under Article 19 are protected only against actions of the State, not against private individuals
- Article 358 → When a National Emergency is declared, Article 19 is automatically suspended. This provision applies only during war or external aggression, not during armed rebellion

3) Reasonable Restrictions

- These rights are not absolute
- The State can impose 'reasonable restrictions' on these rights on specific grounds mentioned in Articles 19(2) to 19(6)

अनुच्छेद	स्वतंत्रता का अधिकार	युक्तियुक्त प्रतिबंध
19(1)(a)	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	19(2) → संप्रभुता व अखंडता।
19(1)(b)	शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता	19(3) → भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था।
19(1)(c)	संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता	19(4) → भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था।
19(1)(d)	पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता	19(5) → साधारण जनता का हित।
19(1)(e)	भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता	19(5) → साधारण जनता का हित।
19(1)(g)	कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता	19(6) → साधारण जनता का हित, राज्य द्वारा निर्धारित।

अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 के सभी अपबंधों

1. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार

3. संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार

4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार

5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार

6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार

Article	Right to Freedom	Reasonable Restrictions
19(1)(a)	Freedom of speech and expression	19(2) → Sovereignty and integrity of India
19(1)(b)	Freedom to assemble peacefully and without arms	19(3) → Sovereignty and integrity of India, public order
19(1)(c)	Freedom to form associations, unions or cooperative societies	19(4) → Sovereignty and integrity of India, public order
19(1)(d)	Freedom to move freely throughout the territory of India	19(5) → Interest of the general public
19(1)(e)	Freedom to reside and settle in any part of India	19(5) → Interest of the general public
19(1)(g)	Freedom to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business	19(6) → Interest of the general public, regulated by the State

अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19 के सभी अपबंधों

- 1. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**

- 2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार**

- 3. संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार**

- 4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार**

- 5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार**

- 6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार**


अनुच्छेद 19: वाक् आदि की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनु. 19 (1) (a):

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

अनु. 19 (1) (b):

शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के एकत्र होने का अधिकार।

अनु. 19 (1) (c):

संघ, यूनियन या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार।

अनु. 19 (1) (d):

भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का अधिकार।

अनु. 19 (1) (e):

भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।

अनु. 19 (1) (g):

कोई भी पेशा अपनाने, या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (2) के अनुसार:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
4. लोक व्यवस्था
5. शिष्टाचार / सदाचार
6. न्यायालय की अवमानना
7. मानहानि
8. अपराध हेतु उकसाना

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (3) के अनुसार:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. लोक व्यवस्था

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (4) के अनुसार:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. लोक व्यवस्था
3. सदाचार

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (5) के अनुसार:

1. सामान्य जनता का हित
2. अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (5) के अनुसार:

1. सामान्य जनता का हित
2. अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण

युक्तियुक्त प्रतिबंध अनु. 19 (6) के अनुसार:

1. सामान्य जनता का हित
2. पेशा अपनाने हेतु शैक्षिक योग्यता
3. राष्ट्रीयकरण

Article 19: Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

Art. 19 (1) (a):

Right to freedom of speech and expression.

Reasonable restrictions as per Art 19 (2):

1. Sovereignty & integrity
2. Security
3. Foreign Relations
4. Public Order
5. Decency/Morality
6. Contempt of Court
7. Defamation
8. Incitement of Offence

Art. 19 (1) (b):

Right to assemble peaceably and without arms.

Reasonable restrictions as per Art 19 (3):

1. Sovereignty & integrity
2. Public Order

Art. 19 (1) (c):

Right to form associations or unions or co-operative societies.

Reasonable restrictions as per Art 19 (4):

1. Sovereignty & integrity
2. Public Order
3. Morality

Art. 19 (1) (d):

Right to move freely throughout the territory of India.

Reasonable restrictions as per Art 19 (5):

1. General Public Interest
2. Protection of Interest of Scheduled Tribe.

Art. 19 (1) (e):

Right to reside and settle in any part of the territory of India.

Reasonable restrictions as per Art 19 (5):

1. General Public Interest
2. Protection of Interest of Scheduled Tribe.

Art. 19 (1) (g):

Right to practice any profession, or to carry on any occupation, trade, or business.

Reasonable restrictions as per Art 19 (6):

1. General Public interest
2. Regarding educational qualification to practice a profession.
3. Nationalisation

19(1)(a) → वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अपने या दूसरों के विचारों को किसी भी माध्यम (बोलकर, लिखकर, छापकर) से व्यक्त करने की आजादी।

- प्रेस तथा व्यावसायिक विज्ञापन
- पूर्व-प्रतिबंध (Pre-censorship) लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार।
- सूचना का अधिकार
- सोशल मीडिया तथा इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार
- फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार।
- शांति का अधिकार (चुप रहने का अधिकार)
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार

- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार।
- अपनी लिंग पहचान (Gender Identity) व्यक्त करने का अधिकार।
- लगाए गए आरोपों या आलोचना का जवाब देने का अधिकार।
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त (Background) ।
- प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार (हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं)।
- किसी संगठन द्वारा जबरन आयोजित 'बंद' के खिलाफ अधिकार।
- राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।

19(2) → वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार

- भारत की संप्रभुता और अखंडता (16 संशोधन अधिनियम, 1963)
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (प्रथम संशोधन, 1951)
- सार्वजनिक व्यवस्था (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951)

- शालीनता या नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना और मानहानि
- किसी अपराध के लिए उकसाना (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951)

19(1)(a) → Freedom of Speech and Expression

Freedom to express one's own or others' views through any medium — speaking, writing, or printing

- Press and commercial advertisements
- Right against imposition of pre-censorship.
- Right to information
- Right to access social media and the internet
- Right to exhibit films
- Right to silence — right to remain silent
- Right against phone tapping

- Right to choose the medium of instruction at the primary school level
- Right to express one's gender identity.
- Right to respond to allegations or criticism made against oneself
- Background (antecedents) of election candidates
- Right to demonstrate and protest (does not include the right to strike)
- Right against a forced 'bandh' (shutdown) called by any organization
- Right to hoist the national flag

19(2) → Grounds for restriction on Freedom of Speech and Expression

- Sovereignty and integrity of India (16th Amendment Act, 1963))
- (Friendly relations with foreign States (1st Amendment, 1951))
- (Public order (1st Amendment Act, 1951)

- Decency or morality
- Contempt of court and defamation
- Incitement to an offence (1st Amendment Act, 1951)

वाक् स्वतंत्रता (Freedom of Speech) में शामिल अधिकार

① सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वाक् स्वतंत्रता में शामिल अधिकार

- अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार।
(प्रसार की स्वतंत्रता) [इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, 1985]
- प्रेस की स्वतंत्रता। [रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950]
- व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। [टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 1995]
- टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को टैप करने के विरुद्ध अधिकार।
[पीपल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, 1997]
- टेलीकास्ट (प्रसारण) करने का अधिकार, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई एकाधिकार नहीं है।
[सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम सीएबी, 1995]

② 'स्वतंत्रता के अधिकार' की व्यापक समझ में शामिल अन्य अधिकार

- मौन रहने की स्वतंत्रता : न बोलने का अधिकार [बिजोय इमैनूएल बनाम केरल राज्य, 1986]
- राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त (बैकग्राउंड/इतिहास) जानने का मतदाताओं का अधिकार।
- लैंगिक पहचान (gender identity) व्यक्त करने का अधिकार। [भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2024]
- इंटरनेट/सोशल मीडिया पर जानकारी/वीडियो पोस्ट करने का अधिकार। [प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा]
- फिल्म निर्माताओं का अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार। [के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ, 1952]

19(1)(b) → शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता

शांतिपूर्वक → सार्वजनिक बैठक (Public Meetings), प्रदर्शन (Demonstrations) और जुलूस (Processions)

19(3) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

भारत की संप्रभुता
और अखंडता
(Sovereignty
and Integrity of
India)

लोक व्यवस्था
(Public Order)

गैर-कानूनी जनसमूह (Unlawful
Assembly **BNS की धारा 189**) :
पांच या उससे अधिक लोगों की सभा
को कुछ आधारों पर 'गैर-कानूनी'
(Unlawful) माना जाएगा

मजिस्ट्रेट की शक्ति (**BNSS 163**) :
किसी सभा या प्रदर्शन से मानव
जीवन को खतरा है, या दंगा भड़कने
की स्पष्ट आशंका है, तो मजिस्ट्रेट
इस पर पाबंदी लगा सकता है।

- BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) and BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
- अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत भूख हड़ताल (hunger strike) करने के अधिकार को भी शामिल माना गया है।

19(1)(b) → Freedom of Peaceful Assembly

Peacefully → public meetings, demonstrations, and processions

19(3) → Reasonable Restrictions

*Sovereignty
and Integrity
of India*

*Public
Order*

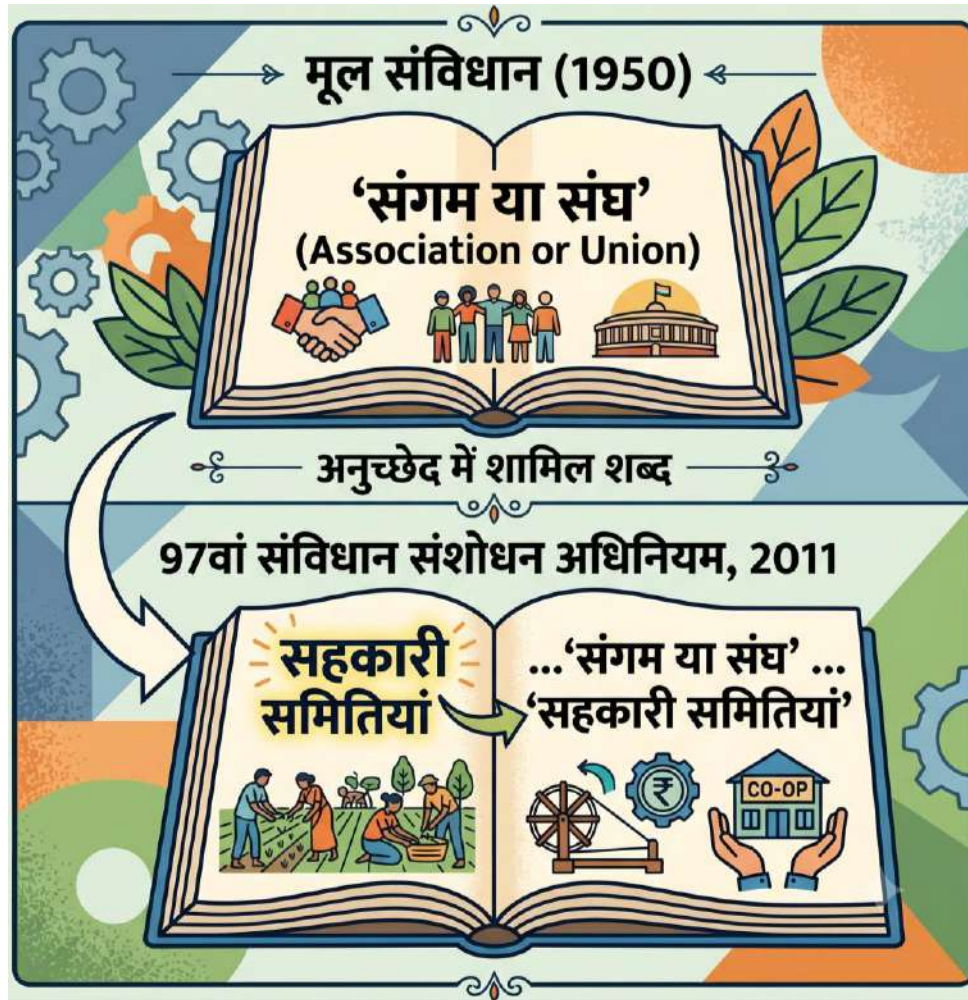
*Unlawful Assembly (Section 189
of BNS): an assembly of five or
more persons shall be deemed
'unlawful' on certain grounds.*

*Power of the Magistrate (BNSS 163): if
an assembly or demonstration poses a
danger to human life, or there is a clear
apprehension of a riot breaking out, the
Magistrate can impose a ban on it*

- BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) and BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)*
- The right to go on a hunger strike has also been held to be included under Article 19(1)(b).*

19(1)(c) → संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार

शांतिपूर्ण ढंग से 'संगम, संघ या सहकारी समितियां' (Associations, Unions or Co-operative Societies) बनाने का अधिकार

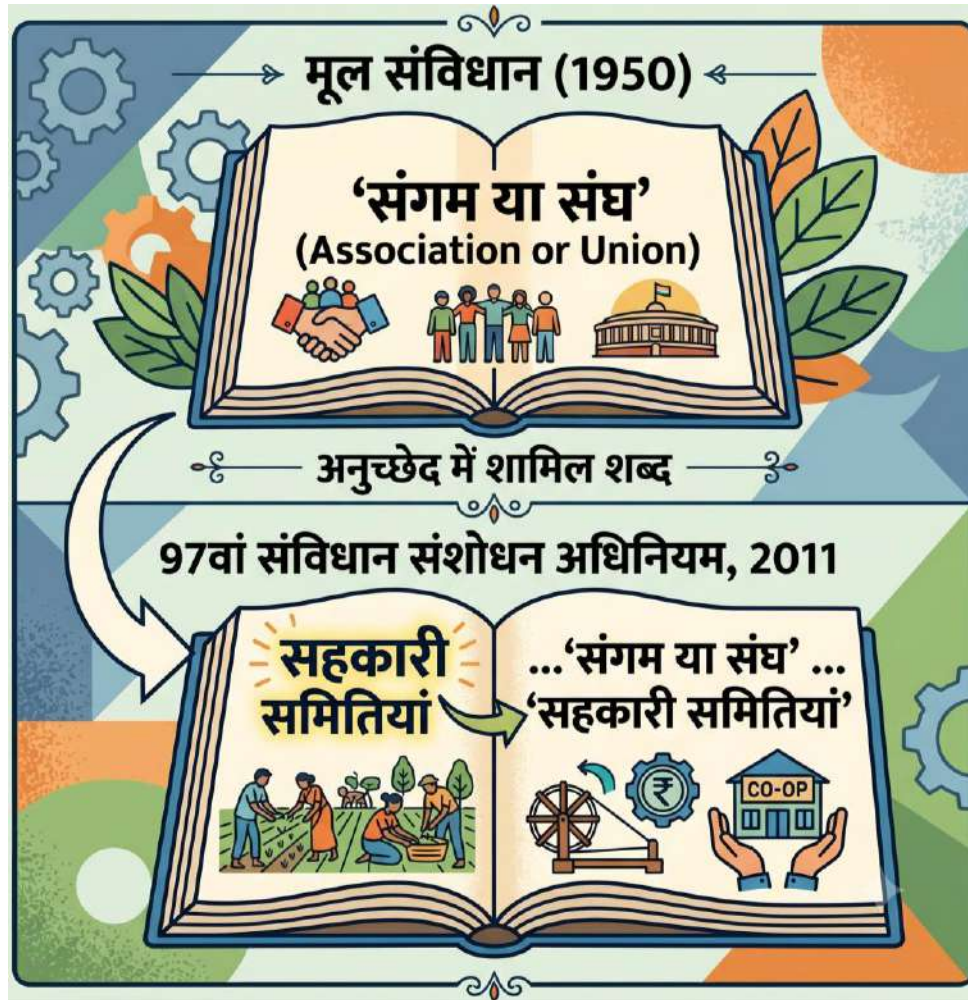


19(4) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- ❑ भारत की संप्रभुता और अखंडता
- ❑ सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- ❑ सदाचार या नैतिकता (Morality)
- ❑ हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
- ❑ अनुच्छेद 33 → सशस्त्र बलों पर विशेष प्रतिबंध
- ❑ संघ या संगठन को सरकार से 'मान्यता' प्राप्त करने का कोई मौलिक नहीं

19(1)(c) → Right to form Associations, Unions or Co-operative Societies

Right to form associations, unions, or cooperative societies in a peaceful manner



19(4) → Reasonable Restrictions

- ☐ Sovereignty and integrity of India
- ☐ Public Order
- ☐ Morality
- ☐ The right to strike is not a fundamental right
- ☐ Article 33 → special restrictions on armed forces
- ☐ No fundamental right for an association or organization to obtain 'recognition' from the government

19(1)(d) → अबाध संचरण का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को "भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में अबाध (बिना किसी बाधा के) संचरण करने का अधिकार"

19(5) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- साधारण जनता के हित में → सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के नियम
- 'अनुसूचित जनजाति' (ST) के हितों के संरक्षण → अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP)

- सर्वोच्च न्यायालय ने 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978) के मामले में स्पष्ट किया कि **विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता)** के तहत संरक्षित है।
- कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश (1964): वेश्याओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र में घूमने और उनके निवास पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक
- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963): रात के समय पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध के घर जाकर बार-बार उसकी निगरानी करना (Domiciliary visits) व्यक्ति के 'अबाध संचरण' और निजता के अधिकार का हनन है।

19(1)(d) → Right to Free Movement

Every citizen has "the right to move freely (without any obstruction) throughout the territory of India"

19(5) → Reasonable Restrictions

- ❑ In the interest of the general public → public health, public safety and order, road safety rules
- ❑ Protection of interests of Scheduled Tribes (ST) → Inner Line Permit (ILP) in Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur

- The Supreme Court clarified in '*Maneka Gandhi v. Union of India*' (1978) that the right to travel abroad is protected under Article 21 (Protection of life and personal liberty)
- *Kaushalya v. Uttar Pradesh* (1964): restricting prostitutes from moving in a specific area and restricting their residence was held constitutional.
- *Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh* (1963): repeated domiciliary visits by police to a suspect's home at night violate a person's right to free movement and right to privacy

19(1)(e) → निवास करने और बस जाने का अधिकार

देश के सभी नागरिकों को "भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार"

निवास करना (To Reside)
→ अस्थायी रूप से रहना।

19(5) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

बस जाना (To Settle) :
घर बनाना और वहां स्थायी
रूप से जीवन यापन करना।

- साधारण जनता के हित में → सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के नियम
- 'अनुसूचित जनजाति' (ST) के हितों के संरक्षण → अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP)

- अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 19(1)(e) आपस में जुड़वां भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये दोनों 'एक ही अधिकार के दो पहलू' हैं, क्योंकि इंसान जहां घूमेगा, वही तो रुकेगा या बसेगा। यही कारण है कि इन दोनों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के आधार [अनुच्छेद 19(5)] बिल्कुल एक समान हैं।
- किसी स्थान पर 'बसने' का अर्थ यह नहीं है कि आपको वहां संपत्ति 'खरीदने' का मौलिक अधिकार मिल गया है।
- अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने से पहले, जम्मू-कश्मीर में स्थायी रूप से बसने या अचल संपत्ति (Land/Property) खरीदने के अधिकार से वंचित थे। लेकिन अब यह संवैधानिक बाधा समाप्त हो गई है, और अनुच्छेद 19(1)(e) वहां भी पूर्ण रूप से लागू होता है।

19(1)(e) → Right to Reside and Settle

All citizens of the country have "the right to reside and settle in any part of the territory of India"

To reside → to live temporarily

19(5) → Reasonable Restrictions

To settle: to build a home and live there permanently.

- ❑ In the interest of the general public → public health, public safety and order, road safety rules
- ❑ Protection of interests of Scheduled Tribes (ST) → Inner Line Permit (ILP) in Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur

- **Article 19(1)(d)** and Article 19(1)(e) are twin provisions. According to the Supreme Court, both are 'two facets of the same right', since wherever a person moves, they will eventually stop or settle there. This is why the grounds for restricting both rights [Article 19(5)] are exactly the same
- 'Settling' in a place does not mean you have acquired a fundamental right to 'purchase' property there
- Before the abrogation of Articles 370 and 35A in August 2019, people were deprived of the right to permanently settle or purchase immovable property in Jammu and Kashmir. But now this constitutional barrier has been removed, and Article 19(1)(e) applies there fully as well

14(1)(g) → वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा (Profession), व्यवसाय (Occupation), व्यापार (Trade) या कारोबार (Business) करने का मौलिक अधिकार

14(6) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- ❑ साधारण जनता के हित में → अवैध, अनैतिक या खतरनाक व्यापार (तस्करी, खतरनाक ड्रग्स या विस्फोटकों)
- ❑ राज्य किसी विशेष पेशे या व्यापार को करने के लिए आवश्यक अर्हताएं (Qualifications) निर्धारित कर सकता है।
- ❑ राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष व्यापार या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं संचालित करे

- 'व्यापार बंद करने का अधिकार' पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। यह श्रम कानूनों द्वारा विनियमित होता है
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शराब या नशीले पदार्थों का व्यापार करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है।
- इसके अंतर्गत एक नागरिक को सड़क किनारे रेहड़ी (Street Hawking) लगाने से लेकर कोई बड़ी कंपनी स्थापित करने तक का अधिकार है।

19(1)(g) → Right to practise any profession, occupation, trade or business

All citizens of the country have the fundamental right to practise any profession, occupation, trade or business of their choice

19(6) → Reasonable Restrictions

- ☐ In the interest of the general public → illegal, immoral or dangerous trade (smuggling, dangerous drugs or explosives)
- ☐ The State can prescribe the necessary qualifications required to practise a particular profession or trade
- ☐ The State has the right to wholly or partly run a particular trade or service itself

- *The 'right to close a business' is not a completely fundamental right. It is regulated by labour laws*
- *The Supreme Court has clarified that trading in liquor or intoxicants is not a fundamental right of any citizen*
- *This right covers everything from a citizen setting up a roadside hawking stall to establishing a large company*

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय वाद

1. प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े वाद

• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950):

- **निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' [19(1)(a)] में 'प्रेस की स्वतंत्रता' और 'विचारों के प्रसार (Circulation)' का अधिकार स्वाभाविक रूप से शामिल है।

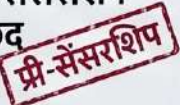


- **महत्व:** न्यायालय ने कहा कि केवल "सार्वजनिक सुरक्षा" के आधार पर अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि इससे देश की सुरक्षा को सीधा खतरा न हो।



• बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950):

- **निर्णय:** न्यायालय ने किसी अखबार पर 'पूर्व-सेंसरशिप' (Pre-censorship) लगाने को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना।



• बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972):

- **निर्णय:** न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश (Newsprint Control Order) को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अखबारों के पृष्ठों की संख्या सीमित करना सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है।



2. इंटरनेट और डिजिटल अधिकारों से जुड़े आधुनिक वाद

• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):

- **निर्णय:** यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की 'धारा 66A' को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया।



- **महत्व:** न्यायालय ने माना कि यह धारा बहुत अस्पष्ट थी और इंटरनेट पर नागरिकों की 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर "शीतलन प्रभाव" (Chilling Effect) डालती थी।



• अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):

- **निर्णय:** जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट निलंबन के संदर्भ में यह निर्णय आया।
- **महत्व:** सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(a)] और इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार या कारोबार करने का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(g)] मौलिक अधिकार हैं। अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद करना असंवैधानिक है।



3. राजद्रोह, आलोचना और असहमति से जुड़े वाद

• केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962):

- **निर्णय:** न्यायालय ने राजद्रोह (IPC की धारा 124A) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए।
- **महत्व:** यह स्पष्ट किया गया कि सरकार की कड़ी आलोचना करना या असहमति जताना तब तक राजद्रोह नहीं है, जब तक कि वह हिंसा न भड़काए या सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को भंग न करे।



4. अन्य महत्वपूर्ण अधिकार (हड़ताल, प्रदर्शन आदि)

• टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (2003):

- **निर्णय:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को 'हड़ताल करने का कोई मौलिक, वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है'। (अनुच्छेद 19 विरोध का अधिकार देता है, हड़ताल का नहीं)।



• नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004):

- **निर्णय:** अपने घर या कार्यालय पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।



• पीयूसीएल (PUCL) बनाम भारत संघ (2003):

- **निर्णय:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपाराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षिक पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार मतदाताओं का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) से ही निकलता है।



KEY SUPREME COURT CASES ON FREEDOM OF EXPRESSION

1. Freedom of Press & Media Cases

- **Romesh Thapar v. State of Madras (1950):**
- **Ruling:** SC clarified that 'Freedom of Speech & Expression' [19(1)(a)] inherently includes 'Freedom of the Press' and 'Right to Circulation'.



- **Significance:** Expression cannot be restricted solely on 'Public Safety' unless there's a direct threat to National Security.



- **Brij Bhushan v. State of Delhi (1950):**

- **Ruling:** Court held imposing 'Pre-~~पूर्व-सेंसर~~ PRE-CENSORSHIP' on a newspaper is a violation of Article 19(1)(a).



- **Bennett Coleman v. Union of India (1972):**

- **Ruling:** Challenged Newsprint Control Order. Court ruled that limiting the number of newspaper pages is a violation of Press Freedom.



2. Modern Cases on Internet & Digital Rights

- **Shreya Singhal v. Union of India (2015):**

- **Ruling:** A landmark decision where SC declared IT Act 'Section 66A' unconstitutional and struck it down.



- **Significance:** Section was too vague, creating a 'Chilling Effect' on internet freedom of speech.



CHILLING EFFECT



- **Anuradha Bhasin v. Union of India (2020):**

- **Ruling:** Decision in the context of internet shutdown in Jammu and Kashmir.

- **Significance:** SC declared that Right to Free Speech via Internet [Art 19(1)(a)] and to conduct Business [Art 19(1)(g)] are Indefinite internet shutdowns are unconstitutional.



3. Cases on Sedition, Criticism, & Dissent

- **Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962):**

- **Ruling:** Court upheld the validity of Sedition (IPC 124A) but gave strict guidelines to prevent its misuse.



- **Significance:** Criticizing the government is not sedition unless it incites violence or public disorder.



4. Other Important Rights (Strikes, Protests, etc.)

- **T.K. Rangarajan v. Govt of Tamil Nadu (2003):**

- **Ruling:** Court clarified that gov employees have no fundamental, statutory, or moral 'right to strike'. (Art 19 gives right to protest, not strike).



- **Navin Jindal v. Union of India (2004):**

- **Ruling:** Flying the national flag respectfully at home or office is a fundamental right under Art 19(1)(a).



- **PUCL v. Union of India (2003):**

- **Ruling:** Voters have a fundamental right under 19(1)(a) to know candidates' criminal records, assets, and education.



अनुच्छेद 20 → अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

20 (1)

कार्येत्तर विधियों से संरक्षण (Protection against Ex-Post-Facto Laws)

20 (2)

दोहरे दंड से संरक्षण (Protection against Double Jeopardy)

20 (3)

स्व-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination)

20 (1)

- किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य न किया हो जो उस कार्य के किए जाने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन हो।
- किसी व्यक्ति को उस सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, जो उस अपराध के किए जाने के समय लागू कानून के तहत निर्धारित थी।

- केवल आपराधिक कानूनों (Criminal Laws) पर लागू → भूतलक्षी विधान' (Retrospective Legislation) या पूर्व-व्यापी कानून नहीं
- यदि कोई नया कानून किसी अपराध की सजा को कम करता है, तो अपराधी उस नए कानून का लाभ मांग सकता है।
- यदि सरकार मुकदमे की प्रक्रिया (trial procedure) या कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव करती है, तो उसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है।

Article 20 → Protection in respect of conviction for offences

20 (1)

*Protection against Ex-Post-Facto
Laws*

20 (2)

*Protection against Double
Jeopardy*

20 (3)

*Protection against Self-
Incrimination*

20 (1)

- No person can be convicted of an offence unless they committed an act that violated a law in force at the time the act was committed
- No person can be given a penalty greater than that prescribed under the law in force at the time the offence was committed.

- **Applies only to criminal laws → not to retrospective civil legislation.**
- **If a new law reduces the punishment for an offence, the offender can claim the benefit of that new law**
- **If the government makes a change to trial procedure or court jurisdiction, it can be applied retrospectively**

20 (2)

एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार "अभियोजित और दंडित" (prosecuted and punished) नहीं किया जाएगा।
न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत "Nemo debet bis vexari" पर आधारित है।

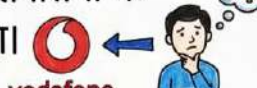
20 (3)

किसी भी अपराध के आरोपी को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

- यह सुरक्षा केवल न्यायालयों या न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है।
- किसी सरकारी कर्मचारी को कोर्ट द्वारा सजा मिलने के बाद, उसका विभाग भी उसे नौकरी से निकाल सकता है। इसे दोहरा दंड नहीं माना जाता है। (मकबूल हुसैन बनाम बंबई राज्य)
- एक ही कृत्य से दो अलग-अलग अपराध बनते हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग मुकदमा चलाया जा सकता है।
- यदि व्यक्ति पर मुकदमा चला (Prosecuted) लेकिन वह बरी हो गया (Not Punished), तो संविधान उसे दोबारा उसी अपराध के लिए अभियोजित होने से सीधे तौर पर नहीं बचाता है।
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) → राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

सबसे चर्चित उदाहरण: वोडाफोन टैक्स केस (2012)

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूतलक्षी कर (Retrospective Taxation) का क्लासिक उदाहरण

→ **विवाद (Controversy)**  भारतीय आयकर विभाग ने वोडाफोन (एक विदेशी कंपनी) पर भारत में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए टैक्स लगाया।   मामला सुप्रीम कोर्ट गया।

→ **सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2012)**  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय मौजूद 'आयकर अधिनियम, 1961' के तहत विदेशी कंपनियों के ऐसे सौदों पर भारत में टैक्स नहीं जा सकता। वोडाफोन केस जीत गई।  

सरकार का कदम (Retrospective Law)

तत्कालीन सरकार ने संसद में 'वित्त अधिनियम 2012' पारित किया और आयकर अधिनियम 1961 में 1962 से (50 साल पीछे से) एक संशोधन लागू कर

   1962 1961

इसका अर्थ था कि अब कानूनन वोडाफोन को टैक्स देना ही होगा।

20 (2)

No person shall be "prosecuted and punished" more than once for the same offence

Based on the well-known jurisprudential principle "Nemo debet bis vexari"

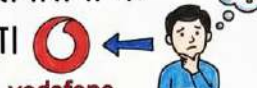
20 (3)

A person accused of any offence cannot be compelled to be a witness against themselves

- This protection applies only to proceedings before courts or judicial tribunals
- After a government employee is punished by a court, their department can also dismiss them from service. This is not considered double punishment. (Maqbool Hussain v. State of Bombay)
- If a single act constitutes two different offences, separate trials can be conducted for both
- If a person was prosecuted but acquitted (not punished), the Constitution does not directly protect them from being prosecuted again for the same offence
- 44th Constitutional Amendment Act (1978) → Articles 20 and 21 cannot be suspended even during a National Emergency

सबसे चर्चित उदाहरण: वोडाफोन टैक्स केस (2012)

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूतलक्षी कर (Retrospective Taxation) का क्लासिक उदाहरण

→ **विवाद (Controversy)**  भारतीय आयकर विभाग ने वोडाफोन (एक विदेशी कंपनी) पर भारत में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए टैक्स लगाया।   मामला सुप्रीम कोर्ट गया।

→ **सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2012)**  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय मौजूद 'आयकर अधिनियम, 1961' के तहत विदेशी कंपनियों के ऐसे सौदों पर भारत में टैक्स नहीं जा सकता। वोडाफोन केस जीत गई।  

→ सरकार का कदम (Retrospective Law)

तत्कालीन सरकार ने संसद में 'वित्त अधिनियम 2012' पारित किया और आयकर अधिनियम 1961 में 1962 से (50 साल पीछे से) एक संशोधन लागू कर

   1962 1961

इसका अर्थ था कि अब कानूनन वोडाफोन को टैक्स देना ही होगा।

अनुच्छेद 21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of life & personal liberty)

- किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (**Procedure established by law**) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- नागरिक एवं विदेशी — दोनों को प्राप्त है।
- मेनका गांधी मामला (1978) अनुच्छेद 21 के इतिहास का सर्वाधिक ऐतिहासिक निर्णय है।
- इसी निर्णय के बाद “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” की व्याख्या “सम्यक् विधिक प्रक्रिया (**Due Process of Law**)” के रूप में होने लगी।
- 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद से, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

तुलना का आधार	ए.के. गोपालन (1950)	मेनका गांधी (1978)
दृष्टिकोण	संकीर्ण व्याख्या।	व्यापक (Broad)
संरक्षण का दायरा	केवल कार्यपालिका के खिलाफ।	कार्यपालिका और विधायिका दोनों।
विधि का सिद्धांत	कठोर रूप से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (जापान) का पालन। कानून कैसा भी हो, यदि वह संसद द्वारा पारित है, तो मान्य है।	अप्रत्यक्ष रूप से "विधि की उचित प्रक्रिया" (अमेरिकी मॉडल) को अपनाया। कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और तार्किक होना चाहिए।
'जीवन' का अर्थ	केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना या पशुवत जीवन माना गया।	'जीवन' का अर्थ "मानवीय गरिमा के साथ जीना" माना गया।
मौलिक अधिकारों का संबंध	अनुच्छेदों को 'वाटर-टाइट कंपार्टमेंट' (अलग-अलग) माना गया। अनुच्छेद 19 और 21 एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं।	"स्वर्णिम त्रिभुज" (Golden Triangle) का सिद्धांत: अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं।

Article 21 → Protection of life and personal liberty

- No person shall be deprived of their life or personal liberty except according to procedure established by law.
- **Available to both citizens and foreigners**
- The Maneka Gandhi case (1978) is the most landmark judgment in the history of Article 21.)
- After this judgment, "procedure established by law" began to be interpreted as "due process of law".)
- Since the 44th Constitutional Amendment (1978), Article 21 cannot be suspended even during an Emergency

Basis of Comparison	A.K. Gopalan (1950)	Maneka Gandhi (1978)
Approach	Narrow interpretation	Broad
Scope of Protection	Only against the Executive	Both Executive and Legislature
Doctrine of Law	Rigidly followed "Procedure Established by Law" (Japanese model). No matter what the law is, if it is passed by Parliament, it is valid.	Indirectly adopted "Due Process of Law" (American model). The law must be fair, just and reasonable.
Meaning of 'Life'	'Life' was interpreted as merely physical existence or animal-like existence.	'Life' was interpreted as "living with human dignity."
Relationship Between Fundamental Rights	Articles were treated as 'water-tight compartments' (separate from each other). Articles 19 and 21 were considered independent of one another.	Principle of the "Golden Triangle": Articles 14, 19 and 21 are interconnected with each other.

तुलना का आधार	सतवंत सिंह साहनी केस (1967)	मेनका गांधी केस (1978)
विवाद का मुख्य कारण	बिना किसी कानून के सरकार द्वारा पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश देना।	पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करना।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय	'विदेश यात्रा का अधिकार' अनुच्छेद 21 (दैहिक स्वतंत्रता) का हिस्सा है।	कानून की प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती, उसे 'उचित, न्यायपूर्ण और तार्किक' होना चाहिए।
किस पर रोक लगाई?	केवल कार्यपालिका (सरकार/अधिकारियों) की मनमानी पर।	कार्यपालिका और विधायिका (संसद के बनाए कानून) दोनों की मनमानी पर।
कानूनी दृष्टिकोण	"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का कड़ाई से (शाब्दिक) पालन किया गया।	अमेरिकी संविधान के "सम्यक विधि प्रक्रिया" (Due Process of Law) के दर्शन को अपनाया गया।
प्राकृतिक न्याय	इस पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी।	प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) को कानून की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा माना गया।
तत्काल प्रभाव / परिणाम	सरकार को विदेश यात्रा रोकने के लिए 'पासपोर्ट अधिनियम, 1967' बनाना पड़ा।	भारत में मौलिक अधिकारों के विस्तार का एक नया और सबसे बड़ा युग शुरू हुआ।

Basis of Comparison	Satwant Singh Sawhney Case (1967)	Maneka Gandhi Case (1978)
Main Cause of Dispute	Government ordering surrender of passport without any law.	Passport impounded without giving reasons under the Passport Act, 1967.
Supreme Court's Decision	'Right to travel abroad' is part of Article 21 (personal liberty).	The procedure of law cannot be arbitrary; it must be 'just, fair and reasonable.'
Whose Power Was Restricted?	Only the arbitrariness of the Executive (Government/officials).	Arbitrariness of both the Executive and the Legislature (laws made by Parliament).
Legal Approach	Strict (literal) adherence to "Procedure Established by Law."	Adopted the American Constitution's philosophy of "Due Process of Law."
Natural Justice	No specific discussion on this aspect.	Natural Justice was held to be an essential part of legal procedure.
Immediate Effect / Outcome	Government had to enact the 'Passport Act, 1967' to restrict foreign travel.	A new and biggest era of expansion of Fundamental Rights in India began.

क्र.	केस (वर्ष)	अनुच्छेद 21 के अंग के रूप में घोषित अधिकार
1.	सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामरत्नम(1967)	विदेश यात्रा का अधिकार : पासपोर्ट अधिनियम, 1967
2.	एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978)	मुफ्त (निःशुल्क) कानूनी सहायता का अधिकार
3.	हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार (1979)	त्वरित (Speedy) सुनवाई का अधिकार
4.	फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली (1981)	कैदी को जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ पाने का अधिकार
5.	शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)	हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार
6.	रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985)	स्वच्छ/सभ्य पर्यावरण का अधिकार
7.	ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (1985)	आजीविका (Livelihood) का अधिकार
8.	परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)	आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार (डॉक्टर की सहायता का अधिकार)
9.	शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम एन.के. टोटेम (1990)	आश्रय (Shelter) का अधिकार
10.	के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)	एकांतता / निजता (Privacy) का अधिकार

S.No.	Case (Year)	Right Declared as Part of Article 21
1.	Satwant Singh Sawhney vs. D. Ramarathnam (1967)	Right to travel abroad: Passport Act, 1967
2.	M.H. Hoskot vs. State of Maharashtra (1978)	Right to free legal aid
3.	Hussainara Khatoon vs. Home Secretary, Bihar (1979)	Right to speedy trial
4.	Francis Coralie Mullin vs. Administrator, Delhi (1981)	Right of prisoners to basic necessities of life
5.	Sheela Barse vs. State of Maharashtra (1983)	Right against custodial torture
6.	Rural Litigation and Entitlement Kendra vs. State of Uttar Pradesh (1985)	Right to a clean/healthy environment
7.	Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corporation (1985)	Right to livelihood
8.	Parmanand Katara vs. Union of India (1989)	Right to emergency medical assistance (right to doctor's aid)
9.	Shantistar Builders vs. N.K. Totame (1990)	Right to shelter
10.	K.S. Puttaswamy vs. Union of India (2017)	Right to privacy

11.	एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ (कई वाद)	स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल-वायु का अधिकार
12.	डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)	हथकड़ी लगाने और हिरासत में यातना के विरुद्ध अधिकार
13.	कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) / अरुणा शानबाग	सम्मान के साथ मरने (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) का अधिकार
14.	अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लछमा देवी (1986)	सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
15.	मोहिनी जैन (1992) व उन्नी कृष्णन (1993)	निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (बाद में इसे 21A बना दिया गया)

11.	M.C. Mehta vs. Union of India (multiple cases)	Right to a clean environment and pollution-free air and water
12.	D.K. Basu vs. State of West Bengal (1997)	Right against handcuffing and custodial torture
13.	Common Cause vs. Union of India (2018) / Aruna Shanbaug	Right to die with dignity (passive euthanasia)
14.	Attorney General of India vs. Lachhma Devi (1986)	Right against public hanging
15.	Mohini Jain (1992) & Unni Krishnan (1993)	Right to free education (later made Article 21A)

श्रेणी (Category)	शामिल अधिकार (Rights)		
1. मानवीय गरिमा और बुनियादी आवश्यकताएँ <i>(Human Dignity & Basic Needs)</i>	- मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार (1) - निजता (Privacy) का अधिकार - आश्रय (Shelter) का अधिकार 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार - प्रतिष्ठा (Reputation) का अधिकार - शयन (नींद) का अधिकार - गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)	2. स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन-रक्षा <i>(Health, Environment & Survival)</i>	- स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण-रहित जल/वायु और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा - जीवन-रक्षा का अधिकार - स्वास्थ्य का अधिकार - आपातकालीन चिकित्सा सुविधा - सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज - शोर-प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार - धारणीय विकास का अधिकार - जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार

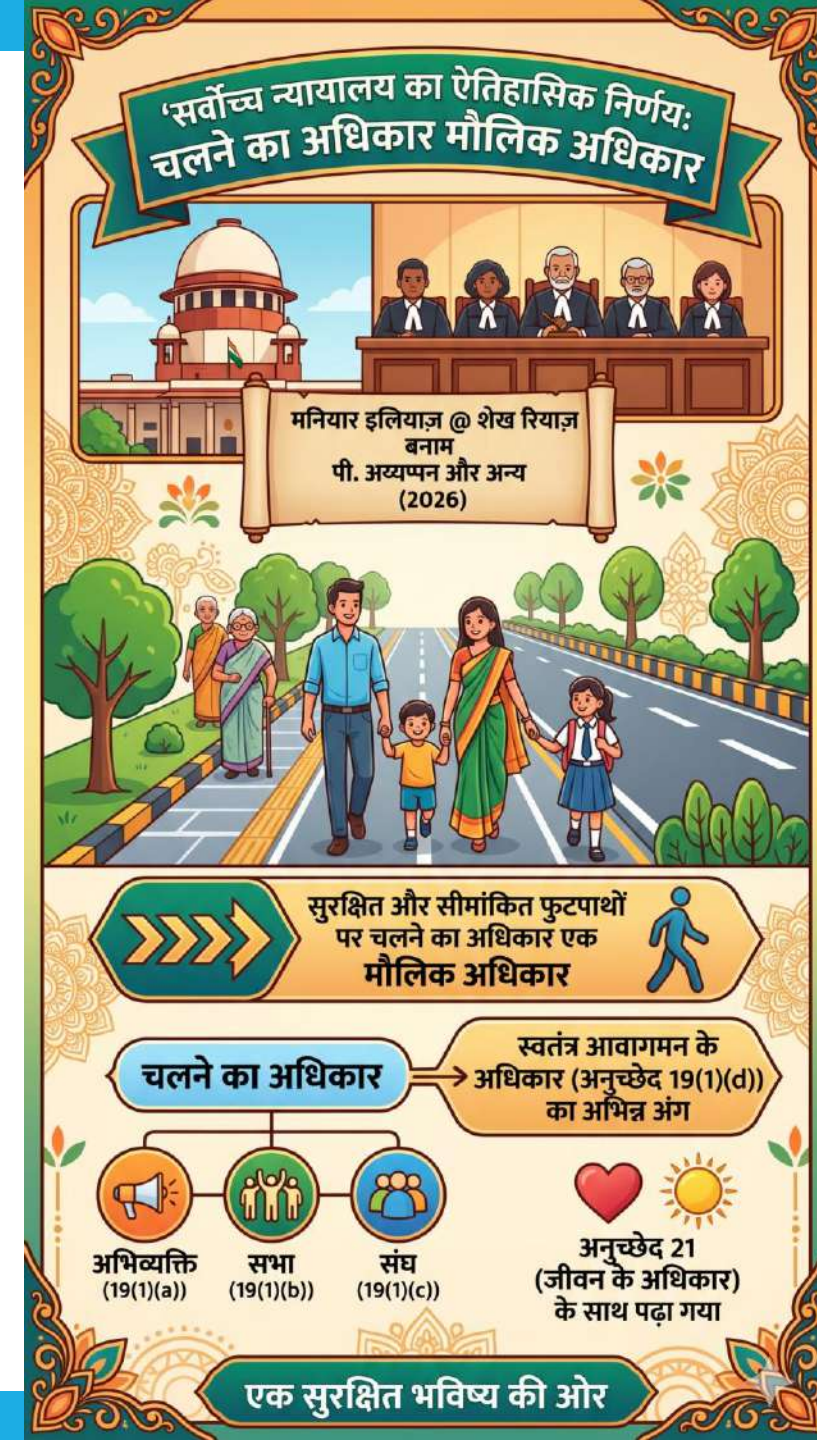
Category	Rights
<i>1. Human Dignity & Basic Needs</i>	○ Right to live with human dignity) ○ Right to privacy ○ Right to shelter ○ Right to free education up to the age of 14 ○ Right to reputation ○ Right to sleep ○ Right to die with dignity (passive euthanasia)

<i>2. Health, Environment & Survival</i>	○ Right to a clean environment, pollution-free water/air, and protection against harmful industries ○ Right to preservation of life ○ Right to health ○ Right to emergency medical aid) ○ Right to timely and proper treatment in government hospitals ○ Right to freedom from noise pollution ○ Right to sustainable development ○ Right against the adverse effects of climate change
--	--

3. कानूनी, न्यायिक और कैदियों के अधिकार

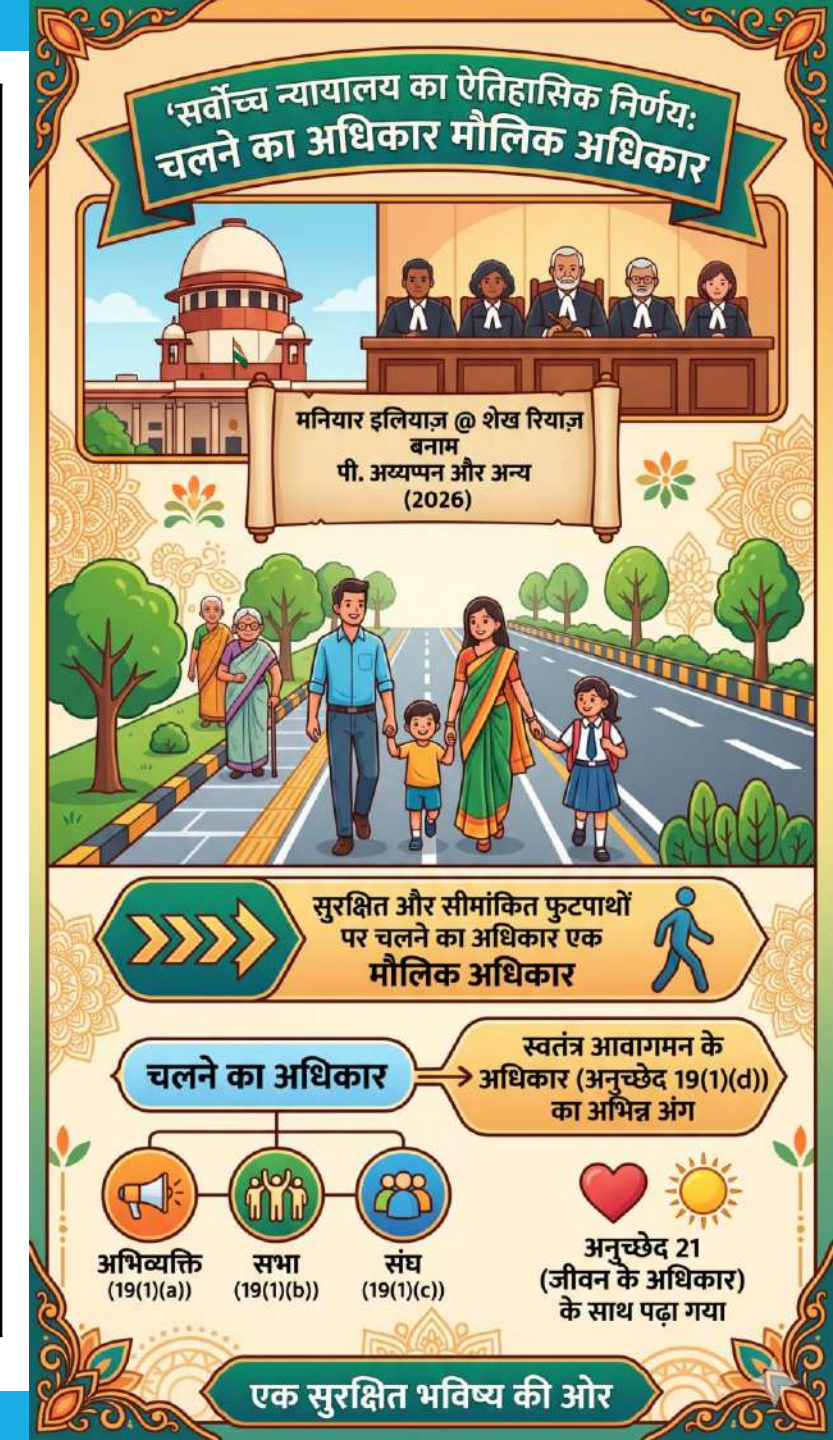
(Legal, Judicial
& Prisoners'
Rights)

- निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
- त्वरित सुनवाई का अधिकार
- हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
- अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
- विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार
- हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- कैदी के लिए जीवन की आधारभूत आवश्यकता
- सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
- दोषसिद्धि करने वाले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील
- बार-बेड़ियों (bar fetters) के विरुद्ध अधिकार



3. Legal, Judicial & Prisoners' Rights

- Right to free legal aid
- Right against solitary confinement
- Right to speedy trial
- Right against handcuffing
- Right against inhuman treatment
- Right against delayed execution
- Right against custodial exploitation
- Right to a fair trial
- Basic necessities of life for a prisoner
- Right against public hanging
- Right to appeal against the order of the convicting court
- Right against bar fetters



**4. सामाजिक-आर्थिक
न्याय और सशक्तिकरण**

**(Socio-Economic
Justice &
Empowerment)**

- बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार
- महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार
- पारिवारिक पेंशन का अधिकार
- सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा सशक्तीकरण का अधिकार
- जीवन-बीमा पॉलिसी के विनियोग (उपयोग) का अधिकार
- अवसर का अधिकार

**5. अन्य महत्वपूर्ण
अधिकार**

**(Other Important
Rights)**

- विदेश यात्रा का अधिकार
- राज्य से बाहर निष्कासित न किए जाने का अधिकार
- पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग (पहुँच) का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- सभ्य अंत्येष्टि / द्वाह-संस्कार का अधिकार
- अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार

4. Socio-Economic Justice & Empowerment

- Right against bonded labour
- Respectful and dignified treatment of women
- Right to family pension
- Right to social and economic justice and empowerment
- Right to maturity/use of a life insurance policy
- Right to opportunity

5. Other Important Rights

- Right to travel abroad
- Right not to be expelled from a State
- Right of access to roads in hilly areas
- Right to information
- Right to a decent burial / cremation
- Right to marry a person of one's choice



अनुच्छेद 21 : Right to Life vs Right to Die

यूथेनेशिया | आत्महत्या का प्रयास | MHCA | Landmark Judgments



1. क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है?

अनुच्छेद 21 के तहत 'Right to Life' में 'Right to Die' शामिल है या नहीं — इस पर भारतीय न्यायपालिका में लंबी बहस रही है।

- 1987** — मारुति श्रीपति दुल्ल वाद (बॉम्बे हाईकोर्ट):
- 'जीने के अधिकार में मरने का अधिकार' शामिल माना।
 - IPC की धारा 309 को असंवैधानिक घोषित किया।

- 1994** — P. Rathinam बनाम भारत संघ:
- सुप्रीम कोर्ट ने इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया।
 - कहा कि अनुच्छेद 21 में Right to Die शामिल है।

- 1996** — ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य:
- 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ।
 - P. Rathinam का फैसला पलट दिया।
 - स्पष्ट किया: 'Right to Life' में Right to Die शामिल नहीं है।

★ UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस



2. यूथेनेशिया (Euthanasia / इच्छा मृत्यु)

सक्रिय यूथेनेशिया (Active Euthanasia):

- किसी बाहरी माध्यम जैसे ज़हरीला इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त करना।
- भारत में पूरी तरह अवैध।



निष्क्रिय यूथेनेशिया (Passive Euthanasia):

- Life Support / Ventilator / Artificial Feeding हटाकर मरीज को प्राकृतिक मृत्यु होने देना।



- 2011** — अरुणा शानबाग वाद:
- सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कड़े दिशा-निर्देशों के साथ Passive Euthanasia को मान्यता दी।



- 2018** — Common Cause बनाम भारत संघ:
- Passive Euthanasia को कानूनी मान्यता दी।
 - 'Living Will / Advance Medical Directive' को भी मान्यता मिली।

सार: Active Euthanasia अवैध, Passive Euthanasia सीमित शर्तों के साथ वैध।

3. आत्महत्या का प्रयास, MHCA और BNS

- **MHCA 2017 (धारा 115):**
 - आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 'Severe Stress' में माना जाएगा।
 - उसे सज़ा देने के बजाय Care, Treatment और Rehabilitation पर जोर।
- **IPC धारा 309:**
 - व्यवहारिक रूप से decriminalize हो गई।
- **BNS 2023:**
 - IPC 309 जैसा सामान्य अपराध नहीं रखा गया।
 - लेकिन धारा 226 के तहत, यदि कोई व्यक्ति public servant को compel या restrain करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करता है, तो वह दंडनीय है।



Current Affairs Value Addition

4. 2018 के अन्य ऐतिहासिक वाद

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- IPC धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया।
- आपसी सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं।
- Article 14 और 21 के तहत गरिमा व समानता की पुष्टि।



जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):

- IPC धारा 497 (Adultery) असंवैधानिक घोषित।
- व्यभिचार अब criminal offence नहीं है। हालांकि यह अब भी divorce का civil ground हो सकता है।
- महिलाओं की गरिमा, समानता और autonomy की रक्षा।



✓ Right to Die = मौलिक अधिकार नहीं

✓ Right to Die with Dignity = सीमित संदर्भ में मान्यता

✓ Passive Euthanasia + Living Will = मान्य

✓ Active Euthanasia = अवैध

— Quick Revision —



Article 21 : Right to Life **vs** Right to Die



Euthanasia | Attempt to Suicide | MHCA | Landmark Judgments

1. Does the Right to Life include the Right to Die?

Under Article 21, whether the 'Right to Life' includes the 'Right to Die' has been a long-standing debate in the Indian judiciary.

1987 Maruti Shripati Dubal Case (Bombay High Court):

- Held that the 'right to die' is included within the 'right to life'.
- Declared Section 309 of the IPC unconstitutional.



1994 P. Rathinam v. Union of India:

- The Supreme Court accepted the same view.
- It held that Article 21 includes the Right to Die.



1996 Gian Kaur v. State of Punjab:

- Decided by a 5-judge Constitution Bench.
- Overruled the decision in P. Rathinam.
- Clearly held: "Right to Life does not include Right to Die."



★ Most Important Case for UPSC

3. Attempt to Suicide, MHCA and BNS

• MHCA 2017 (Section 115):

- A person attempting suicide is presumed to be under "severe stress".
- The focus is on care, treatment and rehabilitation instead of punishment.

• IPC Section 309:

- It was effectively decriminalised in practice.

• BNS 2023:

- The general offence like IPC Section 309 has not been retained.
- However, under Section 226, if a person attempts suicide with the intent to compel or restrain a public servant from discharging lawful power, it remains punishable.



Current Affairs Value Addition

Quick Revision



Right to Die = **Not a Fundamental Right**



Right to Die with Dignity =
Recognised in a Limited Context



Passive Euthanasia +
Living Will = **Valid**



Active Euthanasia = **Illegal**

2. Euthanasia

Active Euthanasia:

- Ending life through an external means such as a lethal injection.
- Completely illegal in India.



Passive Euthanasia:

- Withdrawing life support, ventilator, or artificial feeding so that the patient is allowed to die naturally.



2011

— Aruna Shanbaug Case:

- For the first time, the Supreme Court permitted passive euthanasia in India with strict guidelines.



2018

— Common Cause v. Union of India:

- Granted legal recognition to passive euthanasia.
- Also recognised the validity of a 'Living Will / Advance Medical Directive'.

Summary: **Active Euthanasia** is illegal; **Passive Euthanasia** is valid subject to limited conditions.

4. Other Landmark Judgments of 2018

Navtej Singh Johar v. Union of India (2018):

- IPC Section 377 was partially struck down as unconstitutional.
- Consensual homosexual relations between adults are no longer a crime.
- Affirmed dignity and equality under Articles 14 and 21.



Joseph Shine v. Union of India (2018):

- IPC Section 497 (Adultery) was declared unconstitutional.
- Adultery is no longer a criminal offence.
- However, it may still remain a civil ground for divorce.
- The judgment protected women's dignity, equality and autonomy.





राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन



1. अनुच्छेद 358: अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन

- जब देश में 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएं (जैसे- बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी आदि) स्वतः (automatically) निलंबित हो जाती हैं।
- इसके लिए राष्ट्रपति को कोई अलग से आदेश नहीं निकालना पड़ता।
- ★ महत्वपूर्ण बदलाव (44वें संविधान संशोधन, 1978): यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है।
- आपातकाल हटने के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है।

2. अनुच्छेद 359: अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन

- अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के अधिकार (Enforcement of Fundamental Rights) को निलंबित कर दें।
- इसका मतलब है कि अधिकार स्वयं समाप्त नहीं होते, बल्कि यदि राज्य उनका उल्लंघन करता है तो नागरिक उन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय (Supreme Court या High Court) नहीं जा सकते।
- राष्ट्रपति अपने आदेश में यह स्पष्ट करते हैं कि कौन-कौन से अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा रहा है और यह कितने समय के लिए होगा।



3. सबसे बड़ा अपवाद: अनुच्छेद 20 और 21 (कभी निलंबित नहीं होते)

- आपातकाल के इतिहास (विशेषकर 1975 के आपातकाल) से सबक लेते हुए 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा उपाय जोड़ा गया।
- ★ अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- ★ अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life and Personal Liberty)।
- नियम: चाहे कोई भी आपातकाल हो और उसका कारण कुछ भी हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।



अन्य आपातकालों का प्रभाव

राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356):

- जब किसी राज्य में संबैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- यदि देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तब भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता।



★ याद रखें: अधिकार खत्म नहीं होते, केवल उन्हें लागू कराने का मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो सकता है (अनुच्छेद 359 के तहत)। ★

Suspension of Fundamental Rights During National Emergency

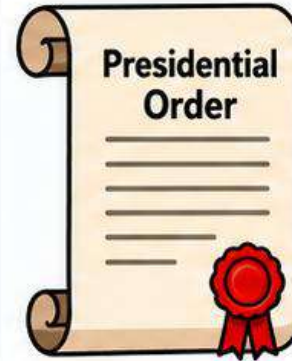


1. Article 358: Automatic Suspension of Article 19



- When a National Emergency under Article 352 is proclaimed on the ground of “War” or “External Aggression”, the 6 freedoms guaranteed under Article 19 (such as freedom of speech, peaceful assembly, etc.) are automatically suspended.
- No separate presidential order is required for this suspension.
- Important Change (44th Constitutional Amendment, 1978):** If the National Emergency is declared on the ground of “Armed Rebellion”, Article 19 is **NOT** suspended.
- Once the Emergency ends, Article 19 automatically revives.

2. Article 359: Suspension of Enforcement of Other Fundamental Rights



- Article 359 empowers the President to issue an order during a National Emergency suspending the right to enforce certain Fundamental Rights.
- This means the rights themselves do not disappear; however, if the State violates them, citizens cannot go to the Supreme Court or High Court for their enforcement during the suspension period.
- The Presidential Order clearly specifies which rights are affected and for how long.

3. Biggest Exception: Articles 20 and 21



- Learning from the experience of the 1975 Emergency, the **44th Constitutional Amendment (1978)** introduced a strong safeguard.
- Article 20:** Protection in respect of conviction for offences.
- Article 21:** Right to Life and Personal Liberty.
- Rule:** No matter what kind of Emergency is in force, Articles 20 and 21 can **never** be suspended.

4. Effect of Other Emergencies



President's Rule / State Emergency (Article 356)

If President's Rule is imposed in a State due to failure of constitutional machinery, the Fundamental Rights of citizens are not affected.



Financial Emergency (Article 360)

Even if a Financial Emergency is declared, there is no effect on the Fundamental Rights of citizens.



Remember: Under Article 359, rights are **not abolished**; only the legal remedy to enforce specified rights may be temporarily suspended.

अनुच्छेद 21 (A) → शिक्षा के अधिकार (Right to Education)

- ❑ राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, उस तरीके से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।
- ❑ शिक्षा का उल्लेख मूल रूप से नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 45 में था, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- ❑ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992): 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
- ❑ उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही मौलिक अधिकार है, इसके बाद यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर।
- ❑ 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 → अनुच्छेद 21A को भाग III
- ❑ संसद ने 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

भारतीय संविधान में संशोधन - 86वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 (86th Constitutional Amendment Act, 2002)

भाग III (मौलिक अधिकार) - अनुच्छेद 21A:
नया अनुच्छेद जोड़ा गया



6-14 वर्ष के बच्चों के लिए
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
(Free & Compulsory
Education for 6-14 years)



भाग IV (DPSP) - अनुच्छेद 45: विषय बदला गया



0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की
शुरुआती देखभाल और
शिक्षा (ECCE)
(Early Childhood Care
and Education for 0-6
years)

भाग IVA (मौलिक कर्तव्य) - अनुच्छेद 51A:
11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया

51A(k): माता-पिता या
अभिभावक का कर्तव्य होगा कि
वे अपने 6-14 वर्ष के बच्चे को
शिक्षा के अवसर प्रदान करें
(Duty of Parent/Guardian
to provide education to their
6-14 year old child)



Article 21A → Right to Education

- ❑ The State shall provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years, in such manner as the State may, by law, determine.)
- ❑ Education was originally mentioned in Article 45 of the Directive Principles of State Policy (DPSP), which stated that the State shall endeavour to provide, within ten years from the commencement of this Constitution, free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.
- ❑ **Mohini Jain v. State of Karnataka (1992)** : the 'right to life' (Article 21) also includes the right to education.
- ❑ **Unnikrishnan v. State of Andhra Pradesh (1993)** : the right to education is a fundamental right only for children aged 6 to 14 years; beyond this, it depends on the economic capacity of the State.
- ❑ **86th Constitutional Amendment Act, 2002** → inserted Article 21A into Part III
- ❑ Parliament passed the 'Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' (RTE Act), which came into effect on 1 April 2010.

भारतीय संविधान में संशोधन - 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 (86th Constitutional Amendment Act, 2002)

भाग III (मौलिक अधिकार) - अनुच्छेद 21A: नया अनुच्छेद जोड़ा गया



6-14 वर्ष के बच्चों के लिए
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
(Free & Compulsory
Education for 6-14 years)



भाग IV (DPSP) - अनुच्छेद 45: विषय बदला गया



0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की
शुरुआती देखभाल और
शिक्षा (ECCE)
(Early Childhood Care
and Education for 0-6
years)

भाग IVA (मौलिक कर्तव्य) - अनुच्छेद 51A: 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया

51A(k): माता-पिता या
अभिभावक का कर्तव्य होगा कि
वे अपने 6-14 वर्ष के बच्चे को
शिक्षा के अवसर प्रदान करें
(Duty of Parent/Guardian
to provide education to their
6-14 year old child)



अनुच्छेद 22 → कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (Protection Against Arrest and Detention)

दंडात्मक निरोध (Punitive)



- 1) अनुच्छेद 22(1) से 22(3) → दंडात्मक निरोध
- 2) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा देने के लिए हिरासत में लेना।
- 3) दंडात्मक और सुधारात्मक (Punitive and corrective)
- 4) सामान्य आपराधिक कानूनों (CrPC, IPC/BNS) द्वारा शासित।

निवारक निरोध (Preventive)



- 1) अनुच्छेद 22(4) से 22(7) → निवारक निरोध
- 2) किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए बिना मुकदमे के हिरासत में लेना।
- 3) एहतियाती और निवारक (Precautionary and preventive)।
- 4) विशिष्ट संसदीय या राज्य कानूनों (जैसे, NSA, PSA) द्वारा शासित।

Article 22 → Protection against arrest and detention in certain cases

Punitive Detention



- 1) **Articles 22(1) to 22(3)** → punitive detention)
- 2) Taking a person into custody to punish them for an offence they have committed
- 3) Punitive and corrective
- 4) Governed by ordinary criminal laws (CrPC, IPC/BNS)

Preventive Detention



- 1) **Articles 22(4) to 22(7)** → preventive detention)
- 2) Taking a person into custody without trial to prevent them from committing an offence in the future
- 3) Precautionary and preventive
- 4) Governed by specific parliamentary or state laws (such as NSA, PSA)

22 (1)

- गिरफ्तारी के **कारणों को जानने का अधिकार**
- व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार

22 (2)

- **24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट** के सामने पेश होने का अधिकार
- इस 24 घंटे की अवधि में अदालत तक यात्रा में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया जाता है

22 (3)

- **सुरक्षा-कवच उपलब्ध नहीं →**
 - 1) विदेशी (शत्रु-विदेशी)
 - 2) निवारक निरोध कानून के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति
- **उच्चतम न्यायालय** → न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन-अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है।"

22 (1)

➤ Right to know the grounds of arrest

➤ Right of a person to consult and be defended by a legal practitioner of their choice

22 (2)

➤ **Right to be produced before a magistrate within 24 hours**

➤ The time taken in travelling to the court is not included in this 24-hour period

22 (3)

➤ **These safeguards are not available to →**

1) Foreigners (enemy aliens)

2) Persons arrested under a preventive detention law

➤ **Supreme Court** → this protection does not apply to arrest under a court order, civil arrest, arrest for non-payment of income tax, or the apprehension of a foreigner. It can apply only in matters of criminal acts, offences of a public-wrong nature, and certain adverse public interest matters.

यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है।

22 (4)

- निवारक निरोध की अवधि 3 माह से अधिक नहीं — जब तक सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए।
- सलाहकार बोर्ड की संरचना : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं, या नियुक्त होने के योग्य हैं।
- यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन विशेष परिस्थितियों या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो वहां **अनुच्छेद 22(4) की 3 महीने वाली** सीमा लागू नहीं होगी।
- **44वें संविधान संशोधन 1978** के द्वारा निवारक निरोध की इस अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन, यह विशेष प्रावधान आज तक आधिकारिक तौर पर लागू (**notify**) नहीं किया गया है।

This protection is available to both citizens and foreigners.

22 (4)

- The period of preventive detention shall not exceed 3 months — unless an Advisory Board reports sufficient cause.)
- Composition of the Advisory Board: persons who are, have been, or are qualified to be appointed as judges of a High Court.
- If Parliament has enacted a law specifying particular circumstances or classes of cases in which a person may be detained beyond 3 months even without the opinion of an Advisory Board, then the 3-month limit under Article 22(4) shall not apply in such cases.
- The 44th Constitutional Amendment, 1978 provided for reducing this maximum period of preventive detention from 3 months to 2 months. However, this particular provision has still not been officially notified/brought into force.

22 (5)

- निरोध के आधार या कारण जानने का अधिकार
- अपना पक्ष रखने का अधिकार : अपना प्रतिवेदन (Representation) या बचाव प्रस्तुत करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

22 (6)

- यदि प्राधिकारी को लगता है कि तथ्यों का खुलासा करना **"सार्वजनिक हित" (Public Interest)** के खिलाफ है, तो वह ऐसा करने से इनकार कर सकता है

22 (7)

निवारक निरोध के संबंध में संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।

- (a) सलाहकार बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना भी तीन महीने से अधिक समय तक निवारक हिरासत में रखा जा सकता है।
- (b) निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखने की अधिकतम समय-सीमा
- (c) जब कोई सलाहकार बोर्ड किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण या निवारक निरोध मामले की जांच करता है, तो उसे किस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

निवारक निरोध का विषय सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में है। लेकिन, अनुच्छेद 22(7) के तहत अधिकतम अवधि तय करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं।

22 (5)

➤ **Right to be informed of the grounds or reasons for detention**

➤ **Right to make a representation:** the earliest possible opportunity must be given to present a representation or defence

22 (6)

➤ If the authority believes that disclosing the facts would be against the "public interest", it may refuse to disclose them.

22 (7)

Confers special power on Parliament to make laws regarding preventive detention

➤ (a) Specifying circumstances and classes of cases under which a person may be detained in preventive custody for more than three months without obtaining the approval of an Advisory Board

➤ (b) The maximum period for which a person may be detained under any law of preventive detention

➤ (c) The procedure to be followed by an Advisory Board when conducting an inquiry into a case of preventive detention.

The subject of preventive detention falls under the 'Concurrent List' of the Seventh Schedule. However, the power to fix the maximum period under Article 22(7) rests solely with Parliament, not with State legislatures

कानून	पूरा नाम	वर्तमान स्थिति	मुख्य उद्देश्य / विशेषता
PDA	निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention) 1950	समाप्त (1969)	आज़ाद भारत का पहला निवारक कानून।
MISA	आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (Maintenance of Internal Security Act)	निरस्त (1978)	आपातकाल के दौरान भारी दुरुपयोग हुआ।
COFEPOSA	विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974)	लागू (Active)	आर्थिक अपराधों (तस्करी और विदेशी मुद्रा की जमाखोरी) को रोकने के लिए।
NSA (रासुका)	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980	लागू (Active)	राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने पर अधिकतम 12 महीने
TADA	आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985	निरस्त (1995)	पंजाब में आतंकवाद रोकने के लिए बना । मानवाधिकार हनन के कारण निरस्त।
POTA	आतंकवाद निवारण अधिनियम (Prevention of Terrorism Act), 2002	निरस्त (2004)	2001 संसद हमले के बाद लाया गया;
UAPA	गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act), 1967	लागू (Active)	1967 — 2004, 2008, 2012 व 2019 में संशोधित

Law	Full Name	Current Status	Main Objective / Feature
PDA	Preventive Detention Act, 1950	Lapsed (1969)	Independent India's first preventive detention law.
MISA	Maintenance of Internal Security Act, 1971	Repealed (1978)	Heavily misused during the Emergency.
COFEPOSA	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974	Active	To curb economic offences (smuggling of foreign exchange).
NSA (Rasuka)	National Security Act, 1980	Active	Maximum 12 months when there is a threat to national security
TADA	Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985	Repealed (1995)	Enacted to curb terrorism in Punjab.
POTA	Prevention of Terrorism Act, 2002	Repealed (2004)	after the 2001 Parliament attack.
UAPA	Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967	Active	Amended in 1967 — 2004, 2008, 2012 and 2019.

10) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

अनुच्छेद 23 और 24 (Articles 23 & 24)

अनुच्छेद 23 →
मानव दुर्व्यापार और
बलात् श्रम का निषेध
(Prohibition of
Human Trafficking
and Forced Labor)



अनुच्छेद 24 →
कारखानों आदि में
बालकों के नियोजन
का प्रतिषेध
(Prohibition of
Child Labor)

10) Right against Exploitation

Articles 23 & 24

Articles 23 →
Prohibition of
traffic in human
beings and forced
labour



Articles 24 →
Prohibition of
employment of
children in
factories, etc

अनुच्छेद 23 → मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध

23 (1)

निषेध और विधि के
अनुसार अपराध दंडनीय

- मानव दुर्व्यापार (Traffic in Human Beings)
- बेगार (Begar)
- अन्य प्रकार का बलात् श्रम (Other forms of Forced Labour)

- ❑ मानव दुर्व्यापार : इंसानों को वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना।
 - दास प्रथा + देवदासी + जोगिनी प्रथा
- ❑ बेगार (Begar) : बिना कोई मजदूरी (पारिश्रमिक) दिए काम
- ❑ बलात् श्रम : किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना।

- ❑ इस प्रथा के अंतर्गत छोटी बच्चियों को जीवन भर के लिए किसी मंदिर, देवता या देवी को 'समर्पित' (Dedicate) कर दिया जाता था।
- ❑ दक्षिण भारत में इसे 'देवदासी' और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 'जोगिनी' या 'मातम्मा' कहा।
- ❑ भरतनाट्यम को पहले 'सदिर', 'सधिर नाट्यम' या 'दासी अट्टम' ।

- ❖ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic Prevention Act): अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति
- ❖ बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- ❖ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act):
- ❖ समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 : समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन।

Article 23 → Prohibition of traffic in human beings and forced labour

23 (1)

Prohibited, and contravention
is an offence punishable in
accordance with law

➤ Traffic in Human Beings

➤ Begar

➤ Other forms of Forced Labour

- ❑ Human trafficking: buying and selling human beings like commodities
 - Slavery system + Devadasi system + Jogini system
- ❑ Begar: forcing labour without paying any wages/remuneration
- ❑ Forced labour: making a person work against their will

- ❑ Under this practice, young girls were 'dedicated' for life to a temple, god, or goddess
- ❑ This was called 'Devadasi' in South India, and 'Jogini' or 'Matamma' in parts of Andhra Pradesh
- ❑ Bharatanatyam was earlier known as 'Sadir', 'Sadhir Nattyam', or 'Dasi Attam'

- ❖ Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956: deals with immoral trafficking and prostitution
- ❖ Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
- ❖ Minimum Wages Act, 1948
- ❖ Equal Remuneration Act, 1976: equal pay for men and women for the same work

23 (2)

अपवाद (Exception -
Public Purpose)

- ❑ "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी।
- ❑ ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।"

- ❑ **सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose)** : राष्ट्र की सुरक्षा या समाज के हित में सरकार नागरिकों से अनिवार्य सेवा ले सकती है।
- ❑ उदाहरण : युद्ध के समय सेना में अनिवार्य भर्ती या किसी प्राकृतिक आपदा के समय नागरिकों से सामाजिक सेवा करवाना।
- ❑ अनिवार्य सेवा के लिए जेंडर के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 24 → कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

- ❑ 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने (Factory), खदान (Mine), या अन्य किसी जोखिम भरे (Hazardous) कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- ❑ सकारात्मक दायित्व (Positive Obligation): यह राज्य पर एक दायित्व डालता है कि वह बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे।
- ❑ बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986

23 (2)

Exception - Public Purpose

- ❑ *Public Purpose* : government may require compulsory service from citizens in the interest of national security or the welfare of society
- ❑ *Example*: compulsory military conscription during war, or requiring citizens to perform social service during a natural disaster
- ❑ Rules may be framed on the basis of gender for compulsory service.

- ❑ ("Nothing in this Article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes
- ❑ In imposing such service, the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class.")

Article 24 → Prohibition of employment of children

- ❑ No child below the age of 14 years shall be employed in any factory, mine, or any other hazardous work
- ❑ Positive Obligation: this places a duty on the State to ensure a safe environment for children
- ❑ Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986



अनुच्छेद 24 को एकाकी रूप में नहीं पढ़ा जा सकता



सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इसे निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए:

1 अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)



- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
(जब बच्चा स्कूल में होगा, तभी वह कारखाने से दूर रह पाएगा)

2 अनुच्छेद 39(e) [DPSP]



राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की 'सुकुमार अवस्था' (Tender age) का दुरुपयोग न हो और उन्हें आर्थिक मजबूरी में ऐसे काम न करने पड़ें जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों।

अनुच्छेद 24

3 अनुच्छेद 39(f) [DPSP]



बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किए जाएं।

4 अनुच्छेद 45



- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा।



❤ अनुच्छेद 24 का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है, जब इसे बाल संरक्षण, शिक्षा और कल्याण के व्यापक दृष्टिकोण के साथ पढ़ा जाए।





Article 24 Cannot Be Read in Isolation



According to the Supreme Court, it should be read together with the following Articles:

1 Article 21A (Right to Education)



- Free and compulsory education for children aged 6 to 14 years.

(When a child is in school, they can stay away from factories.)

Article 24

2 Article 39(e) [DPSP]



The State shall ensure that the tender age of children is not abused and that they are not forced by economic necessity to do work unsuited to their age or strength.

3 Article 39(f) [DPSP]



Children should be given opportunities to develop in a healthy manner and in an atmosphere of freedom and dignity.

4 Article 45



- Early childhood care and education for children below 6 years of age.



♥ The true meaning of Article 24 can be understood only when it is read from the broader perspective of child protection, education, and welfare.





भारत में बाल श्रम कानून



• प्रमुख प्रावधान और संशोधन •

1 संवैधानिक आधार



अनुच्छेद 24:

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार देने पर पूर्णतः रोक लगाता है।



2 मुख्य कानून

बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986



3 विकास और प्रमुख संशोधन

वर्ष	प्रमुख बदलाव	स्थिति
2006	घरेलू काम, होटल, ढाबों और दुकानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।	पूर्ण निषेध
2016	सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध। 'किशोरों' (14-18 वर्ष) को कानूनी मान्यता दी गई और उन्हें खतरनाक व्यवसायों से प्रतिबंधित किया गया।	पूर्ण निषेध

4 छूट: 'घरेलू उद्यम' (Family Enterprise) खंड

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सख्त शर्तों के तहत परिवार के स्वामित्व वाले गैर-खतरनाक उद्यमों में मदद करने की अनुमति है (आंशिक निषेध)।



1. शिक्षा प्राथमिकता: मदद केवल स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान ही दी जा सकती है।



2. समय सीमा: प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे।



3. समय की पाबंदी: शाम 7:00 बजे से सुबह 8:00 बजे के बीच कोई काम करने की अनुमति नहीं है।



4. कलाकारों के लिए छूट: ऑडियो-विजुअल मनोरंजन उद्योग में बाल कलाकार एक दिन में अधिकतम 5 घंटे काम कर सकते हैं।



5 उल्लंघन के लिए दंड

- कारावास: 6 महीने से 2 साल तक।
- जुर्माना: ₹20,000 से ₹50,000 तक।



मुख्य उद्देश्य: बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और गरिमामय बचपन सुनिश्चित करना।





Child Labour Laws in India



•————• Key Provisions and Amendments •————•

1 Constitutional Basis



Article 24:

Completely prohibits the employment of children below 14 years of age in any factory, mine, or other hazardous activity.



2 Main Law

Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986



3 Evolution and Major Amendments

Year	Major Change	Status
2006	Ban on the employment of children below 14 years in domestic work, hotels, dhabas, and shops.	Complete Prohibition
2016	Complete ban on the employment of children below 14 years in all occupations. Adolescents (14–18 years) were legally recognized and prohibited from hazardous occupations.	Complete Prohibition

5 Penalties for Violation



- **Imprisonment:** 6 months to 2 years.
- **Fine:** ₹20,000 to ₹50,000.



4 Exception: 'Family Enterprise' Clause

Children below 14 years are allowed, under strict conditions, to help in family-owned non-hazardous enterprises (partial exception).



1. **Education First:** Help can only be given after school hours or during vacations.



2. **Time Limit:** Maximum 3 hours per day.



3. **Restricted Hours:** No work is allowed between 7:00 PM and 8:00 AM.



4. **Exception for Child Artists:** In the audio-visual entertainment industry, child artists can work up to 5 hours a day.



Main Objective: To ensure education, safety, and a dignified childhood for children.



11) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of religion)

अनुच्छेद 25 से 28 (Articles 25 to 28)

अनुच्छेद 25 → अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.)

अनुच्छेद 26 → धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (Freedom to Manage Religious Affairs)

अनुच्छेद 27 → किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion)

अनुच्छेद 28 → कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions)

11) Right to freedom of religion

Articles 25 to 28

Article 25 → Freedom of
conscience and free
profession, practice, and
propagation of religion

Article 26 →
Freedom to manage
religious affairs

Article 27 → Freedom as to
payment of taxes for
promotion of any particular
religion

Article 28 → Freedom as
to attendance at religious
instruction or worship in
certain educational
institutions

अनुच्छेद 25 → अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

25 (1)

'सभी व्यक्तियों' (नागरिक व गैर-नागरिक)

- अंतःकरण की स्वतंत्रता (Conscience) → आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, या फिर ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, यह सोचने की आपको पूरी आज़ादी है।
- धर्म के मानने का अधिकार (Profess) → अपने धार्मिक विश्वासों की सार्वजनिक रूप से और बिना किसी भय के घोषणा करना।
- धर्म के आचरण का अधिकार (Practice) → धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह करने।
- धर्म के प्रचार का अधिकार (Propagate) → बलपूर्वक या धोखे से अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं

युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- नैतिकता (Morality)
- स्वास्थ्य (Health)
- भाग III (मौलिक अधिकार) के अन्य प्रावधान



Article 25 → Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion

25 (1)

Applies to 'all persons' (citizens and non-citizens)

- **Freedom of Conscience** → You have complete freedom to believe in God in whatever form you choose, or to not believe in God at all.
- **Right to Profess** → Declaring one's religious beliefs publicly and without fear.
- **Right to Practice** → Performing religious worship, rituals, and ceremonies.
- **Right to Propagate** → Does not include the right to convert another person to one's own religion by force or fraud

Reasonable Restrictions

- Public Order
- Morality
- Health
- Other provisions of Part III (Fundamental Rights)



25 (2)

राज्य की नियमन शक्ति (राज्य के द्वारा कानून बनाने की शक्ति)

- धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी **आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक** या **अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन**।
- सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों व अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करे — यह मंदिर प्रवेश जैसे सामाजिक सुधार विधानों का संवैधानिक आधार है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

- सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के आचरण का अंग माना जाएगा।
- "हिंदुओं" के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल माने जाएंगे।

- बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह भ्रम पैदा किया जाता है कि 'क्या सिख, जैन, बौद्ध हिंदू हैं?' –नहीं,
- ये स्वतंत्र धर्म हैं, परंतु अनुच्छेद 25(2)(ख) के प्रयोजन (सामाजिक कल्याण विधान) तथा हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि) के प्रयोजन हेतु इन्हें 'हिंदू' की श्रेणी में रखा गया है।

25 (2)

State's Regulatory Power (power of the State to make laws)

- Regulation of any economic, financial, political, or other secular activity associated with religious practice.
- Providing for social welfare and reform, or opening public Hindu religious institutions to all classes and sections of Hindus — this is the constitutional basis for social reform legislation such as temple entry laws.

Important Clarifications

- The wearing and carrying of a kirpan by Sikhs shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion
- The reference to "Hindus" shall be construed as including persons professing the Sikh, Jain, or Buddhist religion.

- In MCQs, confusion is created by asking 'Are Sikhs, Jains, Buddhists Hindus?' – No,
- these are independent religions, but for the purposes of Article 25(2)(b) (social welfare legislation) and Hindu personal law (Hindu Marriage Act 1955, etc.), they are placed within the category of 'Hindu'.

अनुच्छेद 26 → धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (Freedom to Manage Religious Affairs)

26

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- धार्मिक और धर्मार्थ (Charitable) उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार।
- अपने धर्म के विषय में अपने मामलों का स्वयं प्रबंध (Manage) करने का अधिकार।
- जंगम (movable) और स्थावर (immovable) संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन (Administer) करने का अधिकार।

युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- नैतिकता (Morality)
- स्वास्थ्य (Health)

धार्मिक संप्रदाय की शर्तें → S.P. Mittal बनाम भारत संघ (1983)

- 1) यह उन व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास का एक सामान्य तंत्र (System of beliefs) हो।
- 2) उनका एक सामान्य संगठन (Common organisation) होना चाहिए।
- 3) उनका एक विशिष्ट नाम (Distinctive name) होना चाहिए।

अनुच्छेद 25 'व्यक्तिगत' अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 'सामूहिक' अधिकार है — यह धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को प्राप्त है, व्यक्ति विशेष को नहीं।

Article 26 → Freedom to manage religious affairs

26

Every religious denomination or any section thereof shall have the following rights :

- Right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes
- Right to manage its own affairs in matters of religion.
- Right to own and acquire movable and immovable property
- Right to administer such property in accordance with law.

Reasonable Restrictions

- Public Order
- Morality
- Health

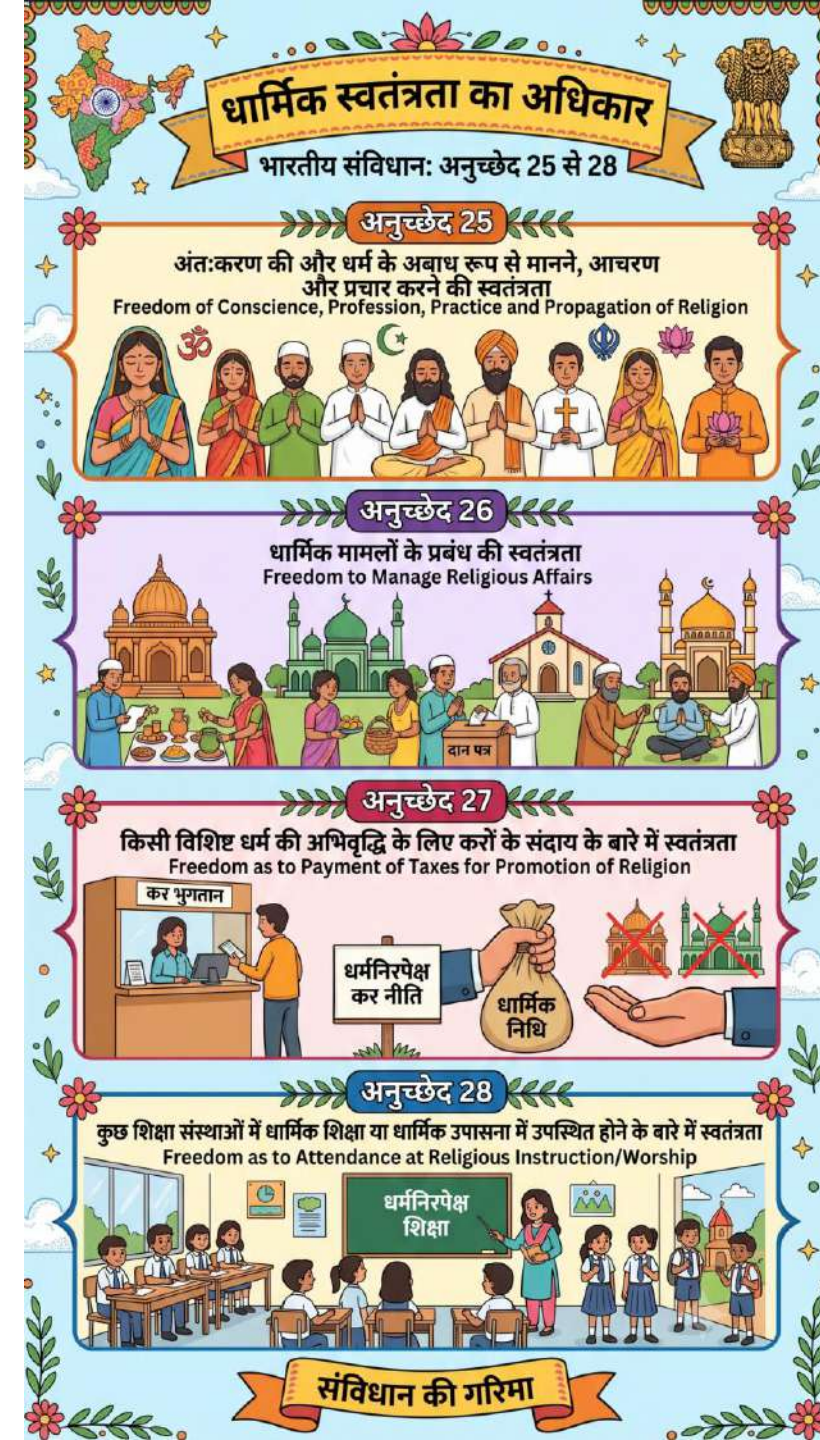
Conditions for a Religious Denomination → S.P. Mittal vs Union of India (1983)

- 1) It must be a collection of individuals having a common system of beliefs.
- 2) They must have a common organisation.
- 3) They must have a distinctive name.

*Article 25
guarantees
'individual' rights,
whereas Article 26
is a 'collective' right
— it is available to
a religious
denomination or its
section, not to an
individual person.*

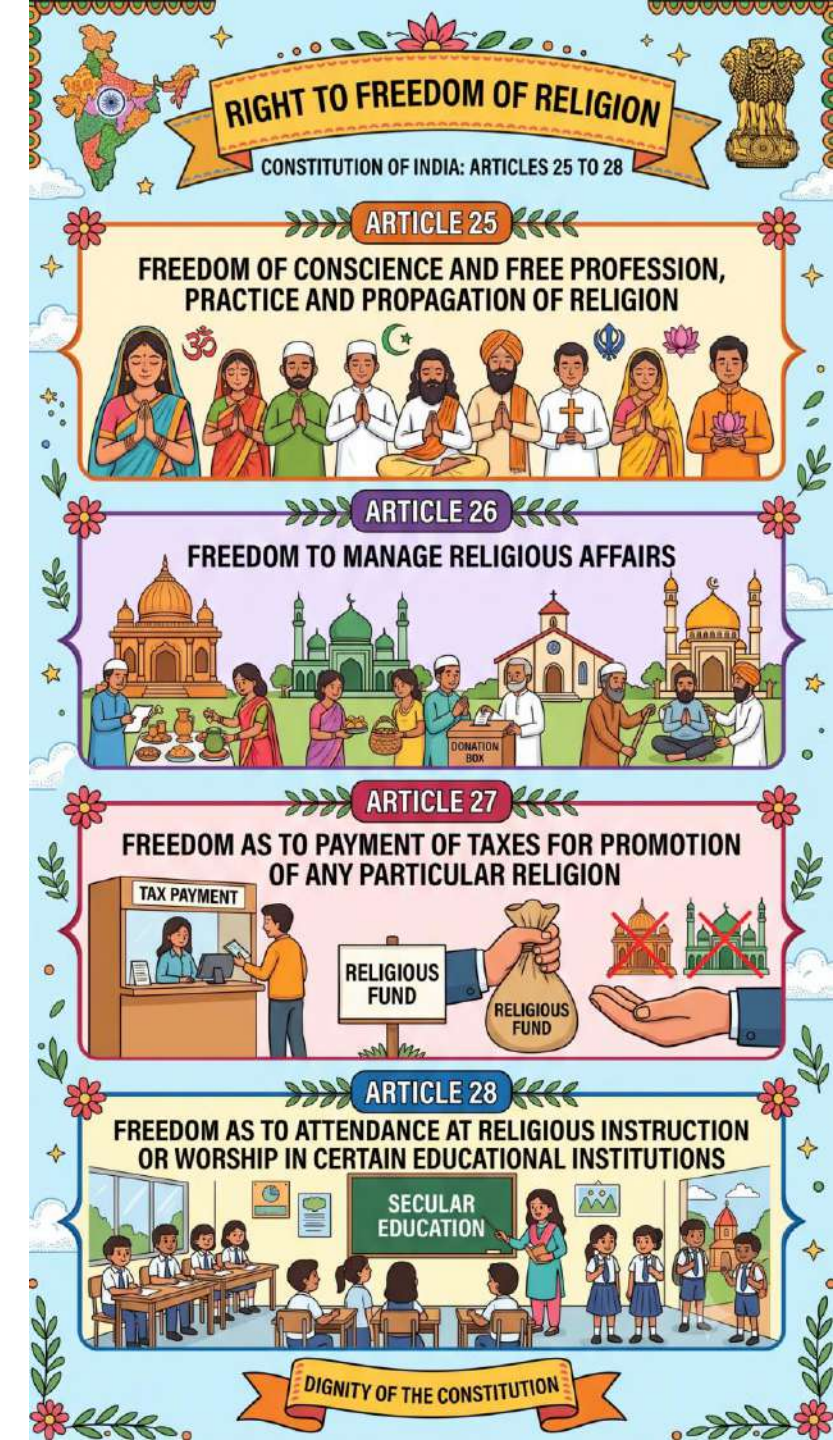
अनुच्छेद 27 → किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संचाय के बारे में स्वतंत्रता

- ❑ राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर (Tax) देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसको विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, प्रचार या रखरखाव के लिए खर्च किया जाना हो।
- ❑ यह व्यवस्था भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष (Secular) प्रकृति को पुष्ट करती है।
- ❑ अनुच्छेद 27 केवल 'कर' (Tax) लगाने पर रोक लगाता है, 'शुल्क' (Fee) लगाने पर नहीं।
- ❑ प्रफुल्ल गोराडिया बनाम भारत संघ (2011) → अनुच्छेद 27 तब टूटता है जब सरकार द्वारा वसूले गए कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में खर्च किया जाए।



Article 27 → Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion

- ❑ The State cannot compel any person to pay any tax whose proceeds are specifically appropriated for the promotion, propagation, or maintenance of any particular religion or religious denomination
- ❑ This provision reinforces the secular character of the Indian Constitution.
- ❑ Article 27 prohibits only the levy of a 'tax', not a 'fee'.
- ❑ **Praphull Goradia vs Union of India (2011)** → Article 27 is violated when a very substantial part of the tax collected by the government is spent on promoting only one religion.



अनुच्छेद 28 → कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

28 (1)

- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- अर्थात् → पूरी तरह से सरकारी स्कूल या कॉलेज में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती।

28 (2)

- खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन जिसकी स्थापना ऐसे ट्रस्ट के अधीन हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- अर्थात् → यदि कोई मदरसा, संस्कृत विद्यालय या अन्य संस्थान किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, लेकिन प्रशासन सरकार देख रही है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

28 (3)

- राज्य से मान्यताप्राप्त अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को
 - ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, अथवा
 - ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए
- तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने (अथवा वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने) इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

Article 28 → Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions

28 (1)

➤ No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

➤ Meaning → No religion can be taught in a fully government-run school or college.

28 (2)

➤ Clause (1) shall not apply to an institution administered by the State but established under a trust which requires that religious instruction be imparted in such institution.

➤ Meaning → If a madrasa, Sanskrit school, or other institution is established by a religious trust but administered by the government, religious instruction may still be given there.

28 (3)

➤ A person attending an educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall not be required -

- to take part in any religious instruction imparted in such institution, or
- to attend any religious worship conducted in such institution or in any premises attached thereto

➤ unless that person (or their guardian, if a minor) has given consent thereto.

शिरूर मठ केस (1954)	- कोई प्रथा तभी संरक्षित होगी जब वह उस धर्म का 'आवश्यक/अभिन्न अंग' सिद्ध हो। - कोर्ट → धर्म सिर्फ मन का विश्वास (Belief) या विचार नहीं है। इसमें वे सभी रीति-रिवाज़, अनुष्ठान (Rituals), खान-पान के नियम और प्रथाएँ शामिल हैं जो उस धर्म को मानने वालों के लिए ज़रूरी हैं।
सरदार सैयदना साहब वाद (1962)	- दाऊदी बोहरा समुदाय में 'बहिष्कार' की प्रथा को धार्मिक आचरण मानते हुए वैध ठहराया 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस 1962 के फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्णय लिया है।
आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत केस (1984)	'तांडव नृत्य' आनंद मार्ग संप्रदाय का आवश्यक धार्मिक आचरण नहीं माना गया। 'आनंद मार्ग' संप्रदाय के अनुयायी कोलकाता की सड़कों पर मानव खोपड़ी, त्रिशूल और छुरों के साथ 'तांडव नृत्य' करना चाहते थे।
बिजोए इमानुएल बनाम केरल राज्य (राष्ट्रगान केस, 1986)	- केरल के एक स्कूल में पढ़ने वाले तीन बच्चे 'यहोवा के साक्षी' (ईसाई धर्म का एक संप्रदाय) समुदाय से थे। - सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया और उनके निष्कासन को रद्द कर दिया। - न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है।
चर्च ऑफ गॉड (2000)	दुनिया का कोई भी धर्म (चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कोई और हो) यह नहीं सिखाता कि प्रार्थना करने के लिए लाउडस्पीकर या ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए और दूसरों की शांति भंग की जाए।
सबरीमाला मंदिर प्रवेश केस, 2018 — 4:1 बहुमत	- केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' माना जाता है। 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। 4:1 के बहुमत से इस प्रतिबंध को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर दिया।

Shirur Mutt Case (1954)	○ A practice will be protected only when it is proved to be an essential/integral part of that religion. ○ Court → Religion is not merely a matter of belief or thought. It includes all the rites, rituals, and food practices that are necessary for the followers of that religion.
Sardar Syedna Saheb Case (1962)	○ Upheld the practice of 'excommunication' in the Dawoodi Bohra community as valid, treating it as religious conduct. ○ In 2023, a 5-judge Constitution Bench of the Supreme Court decided to reconsider this 1962 judgment.
Acharya Jagdishwaranand Avadhut Case (1984)	○ The 'Tandav dance' was not held to be an essential religious practice of the Ananda Marga sect. ○ Followers of the 'Ananda Marga' sect wanted to perform the 'Tandav dance' on the streets of Kolkata carrying human skulls, tridents, and knives.
Bijoe Emmanuel vs State of Kerala (National Anthem Case, 1986)	○ Three children studying in a school in Kerala belonged to the 'Jehovah's Witnesses' community (a Christian sect). ○ The Supreme Court ruled in favour of the children and revoked their expulsion. ○ The Court also held that standing respectfully during the National Anthem is sufficient.
Church of God (2000)	○ No religion in the world (be it Hindu, Muslim, Christian, or any other) teaches that loudspeakers or sound-amplifying instruments should be used for prayer and that it should disturb the peace of others.
Sabarimala Temple Entry Case, 2018 — 4:1 Majority	○ At the Sabarimala Temple in Kerala, Lord Ayyappa is considered a 'Naisthik Brahmachari' (perpetual celibate). ○ The entry of women aged 10 to 50 into the temple was completely prohibited. ○ By a 4:1 majority, this restriction was declared unconstitutional.

‘शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल तीन तलाक) पर ऐतिहासिक निर्णय’

1. मामला शुरू (2015)



15 साल की शादी के बाद तलाक.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी



समानता



भेदभाव के खिलाफ



गरिमा

2. संवैधानिक टकराव

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क
(Article 25 - धार्मिक स्वतंत्रता)



Personal law religion ka maamla hai. Courts interfere nahi kar sakti.

महिलाओं का तर्क

(Article 14 - समानता का अधिकार)



यह पूरी तरह से मनमाना (Arbitrary) और भेदभावपूर्ण है.

3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला (अगस्त 2017)



अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं (शिरूर मठ सिद्धांत)

कुरान के अनुसार ही बुरी प्रथा कानून के लिए वैध कैसे?



तलाक-ए-बिद्दत

4. प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया

प्रथा पूरी तरह असंवैधानिक घोषित



प्रथा पूरी तरह असंवैधानिक घोषित किया



महिलाओं के अधिकारों की जीत

5. परीक्षा के लिए अपडेट (संसद का अधिनियम, 2019)



मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 पारित



संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध

तत्काल तीन तलाक देने पर 3 साल तक की जेल.

अंतर का आधार	धर्मनिरपेक्षता (Western Secularism)	पंथनिरपेक्षता (Panthnirpekshta / Indian Secularism)
दार्शनिक मूल	इसका उदय यूरोप में 'चर्च बनाम राज्य' के संघर्ष से हुआ। यह धर्म और राजनीति के सख्त अलगाव पर आधारित है।	इसका उदय भारत की बहुलवादी संस्कृति (Pluralism) और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से हुआ।
राज्य का दृष्टिकोण	यह एक नकारात्मक अवधारणा (Negative Concept) है। राज्य धर्म से पूरी तरह तटस्थ रहता है।	यह एक सकारात्मक अवधारणा है। राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि सभी पूजा-पद्धतियों को समान संरक्षण और सम्मान देता है।
पारस्परिक निषेध	राज्य और धर्म दोनों एक-दूसरे के मामलों में पूर्ण रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं (Strict Non-interference) करते हैं।	'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance) का पालन। आवश्यकता पड़ने पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
सामाजिक सुधार	राज्य किसी भी धार्मिक कुरीति को सुधारने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है।	राज्य कुरीतियों को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करता है (जैसे: अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत, सबरीमाला मामला, या तीन तलाक पर रोक)।
संवैधानिक शब्दावली	भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल अंग्रेजी शब्द 'Secular' का हिंदी अनुवाद 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं रखा गया, क्योंकि राज्य धर्म (कर्तव्य/न्याय) से निरपेक्ष नहीं हो सकता।	42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जानबूझकर 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया, जो भारत की विविधता के अनुकूल है।
आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण	राज्य धार्मिक संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं देता।	राज्य धार्मिक कार्यों के 'आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक' स्वरूप को नियंत्रित कर सकता है।

Basis	Secularism (Western Secularism)	Panthnirpekshta (Panthnirpekshta / Indian Secularism)
Philosophical Origin	<i>Its origin was in Europe from the conflict of 'Church vs State'. Strict separation of religion and politics.</i>	<i>Its origin was from India's pluralistic culture (Pluralism) and peaceful co-existence.</i>
State's Approach	<i>This is a Negative Concept. The State remains completely neutral towards religion.</i>	<i>This is a positive concept. The State is not opposed to religion, but instead gives equal protection and respect</i>
Mutual Non-interference	<i>Both the State and religion practice Strict Non-interference in each other's matters.</i>	<i>Follows 'Principled Distance'. The State can intervene when necessary.</i>
Social Reform	<i>The State does not intervene to reform any religious malpractice,.</i>	<i>The State intervenes to remove social evils</i>
Constitutional Terminology	<i>The Hindi translation of the original English word 'Secular' in the Preamble of the Indian Constitution was not kept as 'Dharmnirpeksh', because the State cannot be neutral (nirpeksh) towards religion</i>	<i>Through the 42nd Constitutional Amendment (1976), the word 'Panthnirpeksh' was deliberately added to the Preamble, which is suited to India's diversity.</i>
Economic & Administrative Control	<i>The State provides no financial assistance to religious institutions.</i>	<i>The State can regulate the 'economic, financial, and political' aspects of religious functions.</i>

शिक्षण संस्थानों का वर्गीकरण और अनुच्छेद 28 का प्रभाव

इसे सरलता से समझने के लिए शिक्षण संस्थानों को चार श्रेणियों में देखा जा सकता है



- 1. पूरी तरह से सरकारी संस्थान**
धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है।



- 2. राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थान**
धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।



- 3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान**
धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन भाग लेना स्वैच्छिक है।



- 4. राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान**
धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन भाग लेना स्वैच्छिक है।



महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (27 जनवरी 2012)

- मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 'गीता सार' (Essence of Bhagwat Gita) को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया था।
- न्यायालय ने माना कि 'गीता सार' को केवल एक विशिष्ट धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह जीवन दर्शन (Philosophy of Life) और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने वाली शिक्षा है।



सार: अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध या अनुमति संस्थान की प्रकृति पर निर्भर करती है।

— Classification of Educational Institutions and the Impact of Article 28 —

To understand this simply, educational institutions can be viewed in four categories:



1. Fully Government Institutions

Religious instruction is completely prohibited.



2. Institutions Administered by the State but Established by a Trust

Religious instruction is permitted.



3. State-Recognized Institutions

Religious instruction may be given, but participation is voluntary.



4. Institutions Receiving Financial Aid from the State

Religious instruction may be given, but participation is voluntary.



Important Judicial Decision

Catholic Bishop Council v. State of Madhya Pradesh (27 January 2012)

- The Madhya Pradesh Government had directed all government schools in the state to include 'Gita Saar' (Essence of the Bhagavad Gita) in the curriculum.
- The Court held that "Gita Saar" should not be viewed only as being linked to one particular religion, but as education that develops a philosophy of life and social values.



Summary:

Under Article 28, the prohibition or permission of religious instruction depends on the nature of the institution.

12) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 और 30 (Articles 29 & 30)

अनुच्छेद 29 → अल्पसंख्यक-वर्गों
के हितों का संरक्षण (Protection
of Interests of Minorities)

अनुच्छेद 30 → शिक्षा संस्थाओं की
स्थापना और प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
(Right of minorities to
establish and administer
educational
institutions.)

12) Right to Culture and Education

```
graph TD; A[12) Right to Culture and Education] --- B[Articles 29 & 30]; B --> C[Article 29 -> Protection of interests of minorities]; B --> D[Article 30 -> Right of minorities to establish and administer educational institutions];
```

Articles 29 & 30

*Article 29 → Protection of
interests of minorities*

*Article 30 → Right of
minorities to establish and
administer educational
institutions*

अनुच्छेद 29 → अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of Minorities)

29 (1)

- भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले "नागरिकों के किसी भी अनुभाग" को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट **भाषा, लिपि या संस्कृति** है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 29(1) एक **समूह अधिकार (Group Right)** है

29 (2)

- राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 29(2) एक व्यक्तिगत अधिकार (Individual Right) है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग)

1993 (17 मई 1993)	5 समुदाय अधिसूचित: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध व पारसी (जोरोआस्ट्रियन)
2014 (27 जनवरी 2014)	जैन समुदाय को छठे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जोड़ा गया

Article 29 → Protection of interests of minorities

29 (1)

- Any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof, having a distinct language, script, or culture of its own, shall have the full right to conserve it.
- Article 29(1) is a Group Right.

29 (2)

- No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds, on grounds only of religion, race, caste, language, or any of them.
- Article 29(2) is an Individual Right.

National Commission for Minorities Act, 1992 — Section 2(c)

1993 (17 May 1993)

5 communities notified: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Parsis (Zoroastrians)

2014 (27 January 2014)

Jain community added as the 6th notified minority community

अनुच्छेद 30 → शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार

30 (1)

→ धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन (Establish and Administer) का अधिकार होगा।

30 (1A)

→ यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उस संपत्ति के लिए जो मुआवजा (Compensation) तय किया जाए, वह इतना हो जिससे इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकार का हनन न हो।

→ इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था

30 (2)

→ राज्य, अल्पसंख्यक-वर्ग के शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में विभेद नहीं करेगा

- यह अधिकार केवल धार्मिक (Religious) और भाषाई (Linguistic) अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं।
- अनुच्छेद 30 → निरपेक्ष अधिकार नहीं। राज्य इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने, सफाई, और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित नियम बना सकता है।

Article 30 → Right of minorities to establish and administer educational institutions

30 (1)

→ All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

30 (1A)

→ If the State makes a law for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution, the State shall ensure that the compensation fixed for such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under this article.

→ This was added in 1978 by the 44th Constitutional Amendment.

30 (2)

→ The State shall not discriminate against any educational institution managed by a minority in granting financial aid.

- *This right is available only to religious and linguistic minorities.*
- *Article 30 → Not an absolute right. The State can frame reasonable regulations to maintain the standard of education, cleanliness, and to protect the interests of staff in these institutions.*

- ❑ संविधान में **कही भी 'अल्पसंख्यक' शब्द परिभाषित नहीं** है। संविधान केवल अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के लिए भाषिक व धार्मिक आधार देता है।
- ❑ **T.M.A. Pai Foundation केस (2002)** → अनुच्छेद 30 के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण '**राज्य**' (**राज्य-स्तर**) के आधार पर होगा
- ❑ अनुच्छेद 29(1) में इस्तेमाल किया गया शब्द "नागरिकों के किसी भी अनुभाग" में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों शामिल हैं।
- ❑ सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था के अनुसार, नागरिकों द्वारा अपनी भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक आंदोलन करना अनुच्छेद 29(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, भाषा के आधार पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt practice) नहीं माना जाता है।
- ❑ केवल चार आधार: ध्यान दें कि अनुच्छेद 29(2) में भेदभाव रोकने के केवल चार आधार बताए गए हैं— धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। इसमें 'लिंग' (Sex) और 'जन्म स्थान' (Place of birth) शामिल नहीं हैं।

भाषा	बोलने वालों की संख्या (करोड़ में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत (%)
हिंदी	52.83 करोड़	43.63%
बंगाली	9.72 करोड़	8.03%
मराठी	8.30 करोड़	6.86%
तेलुगु	8.11 करोड़	6.70%
तमिल	6.90 करोड़	5.70%

संस्कृत : लगभग 24,821 लोग — 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा।

- 1) अंग्रेजी (English)
- 2) मंदारिन (चीनी)
- 3) हिंदी (Hindi)
- 4) स्पेनिश (Spanish)



- ❑ The term 'minority' is not defined anywhere in the Constitution. The Constitution only provides linguistic and religious grounds for minorities in Articles 29 and 30.
- ❑ **T.M.A. Pai Foundation case (2002)** → For the purposes of Article 30, minority status shall be determined on the basis of the 'State' (state-level).
- ❑ The phrase "any section of citizens" used in Article 29(1) includes both minorities and majorities.
- ❑ As per a Supreme Court ruling, carrying out a political movement by citizens for the protection of their language is a fundamental right under Article 29(1). Therefore, seeking votes on the basis of language is not considered 'corrupt practice' under the Representation of the People Act (RPA), 1951.
- ❑ Only four grounds: Note that Article 29(2) mentions only four grounds for prevention of discrimination — religion, race, caste, and language. 'Sex' and 'Place of birth' are not included.

Language	Number of speakers (in crore)	Percentage of total population (%)
Hindi	52.83 crore	43.63%
Bengali	9.72 crore	8.03%
Marathi	8.30 crore	6.86%
Telugu	8.11 crore	6.70%
Tamil	6.90 crore	5.70%

Sanskrit: About 24,821 people — the least spoken language in the 8th Schedule.

- 1) English
- 2) Mandarin (Chinese)
- 3) Hindi
- 4) Spanish



जनगणना 2011 — धर्म आधारित जनसंख्या आँकड़े

धर्म	जनसंख्या (करोड़)	प्रतिशत
हिंदू	96.63	79.8%
मुस्लिम	17.22	14.2%
ईसाई	2.78	2.3%
सिख	2.08	1.7%
बौद्ध	0.84	0.7%
जैन	0.45	0.4%
अन्य धर्म व निष्ठाएँ	0.79	0.7%
धर्म न बताने वाले	0.29	0.2%

- 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 19–20% भाग हैं।
- जम्मू-कश्मीर व लक्षद्वीप ही ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं;
- पंजाब में सिख तथा मेघालय, मिजोरम व नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं।
- मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर (24.6%) सबसे अधिक तथा जैन समुदाय की वृद्धि दर (5.4%) सबसे कम रही।

Census 2011 — Religion-based population data

Religion	Population (crore)	Percentage
Hindu	96.63	79.8%
Muslim	17.22	14.2%
Christian	2.78	2.3%
Sikh	2.08	1.7%
Buddhist	0.84	0.7%
Jain	0.45	0.4%
Other religions and beliefs	0.79	0.7%
Religion not stated	0.29	0.2%

- The 6 notified minority communities together constitute about 19–20% of India's total population, as per the 2011 Census.
- Jammu & Kashmir and Lakshadweep are the only state/union territories where Muslims are in the majority;
- Sikhs are the majority in Punjab, and Christians are the majority in Meghalaya, Mizoram, and Nagaland.
- The Muslim population growth rate (24.6%) was the highest, and the Jain community's growth rate (5.4%) was the lowest.

अनुच्छेद 31 → संपत्ति का अनिवार्य अर्जन [निरसित]

- 20 जून 1979 — इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों (भाग III) की सूची से हटा दिया गया था। (मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी)।
- संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 300-क (भाग XII) के तहत केवल एक 'संवैधानिक तथा विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) है

- अनुच्छेद 31A (1st Amendment, 1951) → यह कृषि भूमि सुधारों (Land reforms) और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को इस आधार पर अदालती चुनौती से बचाता है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- अनुच्छेद 31B (1st Amendment, 1951) → इसके तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। इसमें डाले गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से मुक्ति प्राप्त थी।
- अनुच्छेद 31C (25th Amendment, 1971) → यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार अनुच्छेद 39(b) या 39(c) (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Article 31 → Compulsory Acquisition of Property [Repealed]

- **20 June 1979** — It was removed from the list of Fundamental Rights (Part III) by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. (This was under the Janata Party government led by Morarji Desai.)
- The Right to Property is no longer a Fundamental Right; it is now merely a 'Constitutional and Legal Right' under Article 300-A (Part XII).

- **Article 31A (1st Amendment, 1951)** → This protects laws related to agricultural land reforms and abolition of the zamindari system from being challenged in court on the ground that they violate Fundamental Rights.
- **Article 31B (1st Amendment, 1951)** → The 9th Schedule was created under this provision. Any law placed in it was granted immunity from Judicial Review.
- **Article 31C (25th Amendment, 1971)** → This provides that if the government makes a law to implement Article 39(b) or 39(c) (Directive Principles of State Policy), it cannot be struck down on the ground of violating Article 14 or 19.

13) अनुच्छेद 32 : संवैधानिक उपचारों का अधिकार

डॉ. अंबेडकर → संविधान का "हृदय और आत्मा"

32(1) → यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) जाने के अधिकार की गारंटी देता है।

32 (2) → 5 प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण)

32 (3) → यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कोई कमी किए बिना, किसी अन्य न्यायालय को भी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।

32 (4) → संविधान में दिए गए विशेष प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल) को छोड़कर, इस अनुच्छेद के तहत मिला अधिकार निलंबित (Suspend) नहीं किया जाएगा।

13) Article 32 : Right to Constitutional Remedies

Dr. Ambedkar → Called it the "Heart and Soul" of the Constitution.

32(1) → This guarantees citizens the right to move directly to the Supreme Court for the enforcement of their Fundamental Rights.

32(2) → 5 types of writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto, and Certiorari).

32(3) → This empowers Parliament to grant any other court, within its own jurisdiction, the power to issue writs, without diminishing the powers of the Supreme Court.

32(4) → Except as otherwise provided by special provisions in the Constitution (such as a national emergency under Article 359), the right guaranteed under this article shall not be suspended.

5 प्रकार की रिटें (Writs)

बंदी प्रत्यक्षीकरण
(Habeas Corpus)

अधिकार पृच्छा (Quo-
Warranto)

परमादेश
(Mandamus)

उत्प्रेषण
(Certiorari)

प्रतिषेध
(Prohibition)

आधार	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
अनुच्छेद	अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226
उद्देश्य (Purpose)	केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए।	मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी।
शक्ति का दायरा	संकीर्ण (Narrow)	व्यापक (Wider)
विवेकाधिकार (Discretion)	चूँकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय राहत देने से मना नहीं कर सकता।	अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति है, इसलिए उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है।

अनुच्छेद 32 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालयों (High Courts) को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।

5 Types of Writs

Habeas Corpus

Mandamus

Quo-Warranto

Certiorari

Prohibition

Basis	Supreme Court	High Court
Article	Article 32	Article 226
Purpose	Only to enforce Fundamental Rights	For Fundamental Rights as well as other legal rights
Scope of power	Narrow	Wider
Discretion	Since Article 32 is itself a fundamental right, the Supreme Court cannot refuse to grant relief	Article 226 is a discretionary power, so the High Court can refuse to issue a writ

Under Article 32, only the Supreme Court can issue writs. High Courts derive their power to issue writs from Article 226.

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

- 1) शाब्दिक अर्थ → **"शरीर को प्रस्तुत किया जाए" (To have the body of)**
- 2) यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया हो।
- 3) अदालत आदेश देती है कि बंदी को उसके सामने पेश किया जाए ताकि गिरफ्तारी की वैधता की जांच हो सके।
- 4) यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकार) और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
- 5) यह रिट कब जारी नहीं की जा सकती?
 - जब हिरासत या गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी (Lawful) प्रक्रिया के तहत हो।

- जब गिरफ्तारी किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना (Contempt) के कारण हुई हो।
- जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हो।
- जब हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।

परमादेश (Mandamus)

- 1) शाब्दिक अर्थ → **"हम आदेश देते हैं" (We command)**
- 2) जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मना कर दे, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उन्हें अपना काम करने के लिए मजबूर करती है।
- 3) अपवाद → राष्ट्रपति, राज्यपालों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती।

Habeas Corpus

- 1) Literal meaning → "To have the body of."
- 2) This writ is issued when a person has been illegally arrested or detained.
- 3) The court orders that the detainee be produced before it so that the legality of the arrest can be examined.
- 4) This writ can be issued against both a public authority (government) and a private individual.
- 5) When can this writ not be issued ?
 - When the detention or arrest is fully in accordance with a lawful process.

- When the arrest is on account of contempt of a legislature or a court.
- When the punishment has been awarded by a competent court.
- When the detention is outside the jurisdiction of the court.

Mandamus

- 1) Literal meaning → "We command."
- 2) When a government official or body refuses to perform its duty, the court compels it to do so through this writ.
- 3) Exception → Cannot be issued against the President, Governors, and private individuals.

प्रतिषेध (Prohibition)

- 1) शाब्दिक अर्थ → "रोकना" या "मना करना" (To forbid)
- 2) यह रिट न्यायालय (Supreme Court या High Court) द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को तब जारी की जाती है जब वे किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
- 3) अपवाद → प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative authorities), विधायी निकायों (Legislative bodies) या निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है।

उत्प्रेषण (Certiorari)

- 1) शाब्दिक अर्थ → "प्रमाणित होना" या "सूचना देना" (To be certified)।
- 2) जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना देती है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो उच्च न्यायालय उस फैसले को रद्द (Quash) करने के लिए यह रिट जारी करता है।
- 3) 'प्रतिषेध' कार्यवाही के दौरान उसे रोकने के लिए (Preventive) जारी की जाती है, जबकि 'उत्प्रेषण' कार्यवाही समाप्त होने और फैसला आ जाने के बाद उसे रद्द करने (Curative) के लिए जारी की जाती है।

Prohibition

- 1) Literal meaning → "To forbid."
- 2) This writ is issued by a court (Supreme Court or High Court) to a lower court or tribunal when it is hearing a matter that does not fall within its jurisdiction.
- 3) Exception → Cannot be issued against administrative authorities, legislative bodies, or private individuals and entities.

Certiorari

- 1) Literal meaning → "To be certified" or "to be informed."
- 2) When a lower court passes a judgment beyond its jurisdiction, or violates the principles of natural justice, the higher court issues this writ to quash that judgment.
- 3) 'Prohibition' is issued to prevent proceedings while they are ongoing (preventive), whereas 'Certiorari' is issued to quash a decision after the proceedings have concluded (curative).

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

- 1) शाब्दिक अर्थ → **"किस अधिकार से?" (By what authority or warrant)**।
- 2) न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस अधिकार या कानून के तहत किसी विशिष्ट सार्वजनिक पद को धारण किए हुए है। यदि व्यक्ति पद पर रहने का कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाता है, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है।
- 3) इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद (Public Office) को अवैध रूप से हड़पने (Usurpation) से रोकना है।
- 4) याचिकाकर्ता → **कोई भी आम नागरिक या रुचि रखने वाला व्यक्ति**
- 5) अपवाद : यह रिट किसी निजी पद (Private Office), निजी संस्थाओं, या किसी मंत्री पद (Ministerial office) के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती।

5 प्रकार की रिटें (Writs)



1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश।



2. परमादेश (Mandamus)

सार्वजनिक अधिकारी को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने आदेश देना।



3. प्रतिषेध (Prohibition)

निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।



4. उत्प्रेषण (Certiorari)

निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना या उसे रद्द करना।



5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

यह पूछना कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किया गया है।

Quo Warranto

- 1) Literal meaning → **"By what authority or warrant?"**
- 2) The court asks a person under what authority or law they hold a particular public office. If the person fails to prove their legal right to hold the office, they are removed from it.
- 3) Its main purpose is to prevent the illegal usurpation of a public office by a person.
- 4) Petitioner → **Any ordinary citizen or interested person.**
- 5) Exception : This writ cannot be issued against a private office, private entities, or a ministerial office.

5 प्रकार की रिटें (Writs)



1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश।



2. परमादेश (Mandamus)

सार्वजनिक अधिकारी को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने आदेश देना।



3. प्रतिषेध (Prohibition)

निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।



4. उत्प्रेषण (Certiorari)

निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना या उसे रद्द करना।



5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

यह पूछना कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किया गया है।

रिट का नाम	शाब्दिक अर्थ	किसके विरुद्ध?	मुख्य उद्देश्य	अपवाद (किसके विरुद्ध नहीं)
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	शरीर को प्रस्तुत करना	सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों	अवैध गिरफ्तारी या हिरासत से नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा	वैध हिरासत, न्यायालय या संसद की अवमानना
परमादेश (Mandamus)	हम आदेश देते हैं	सार्वजनिक अधिकारी , निगम, निचली अदालत , ट्रिब्यूनल या सरकार	कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करने वाले अधिकारी को काम करने के लिए बाध्य करना	भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, निजी व्यक्ति
प्रतिषेध (Prohibition)	रोकना (मना करना)	केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकाय	निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना (यह कार्यवाही के दौरान लागू होती है)	प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	प्रमाणित होना / सूचना देना	न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निकाय (1991 के बाद से)	अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन पर निचली अदालत के आदेश को रद्द करना (फैसले के बाद)	विधायी निकाय, निजी व्यक्ति या संस्थाएं
अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)	किस अधिकार से?	सार्वजनिक या वैधानिक पद धारण करने वाला व्यक्ति	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अधिग्रहण (कब्जे) को रोकना	मंत्री का पद (Ministerial office) और निजी कार्यालय

Name of writ	Literal meaning	Against whom?	Main objective	Exception (not against whom)
Habeas Corpus	To present the body	Both public authority and private individual	Protection of a citizen's liberty from illegal arrest or detention	Lawful detention, contempt of court or Parliament
Mandamus	We command	Public official, corporation, lower court, tribunal or government	To compel an official who refuses to perform duties to carry out the work	President of India, Governors of States, private individual
Prohibition	To forbid	Only judicial and quasi-judicial bodies	To stop a lower court from acting beyond its jurisdiction (this applies during proceedings)	Administrative authorities, legislative bodies, private individual
Certiorari	To be certified / to be informed	Judicial, quasi-judicial, and administrative bodies (since 1991)	To quash the order of a lower court for violation of jurisdiction (after the judgment)	Legislative bodies, private individuals or entities
Quo-Warranto	By what authority?	A person holding a public or statutory office	To prevent the illegal usurpation of a public office by a person	Ministerial office and private office

14) मौलिक अधिकारों के अपवाद

33 → **संसद** को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विशेष बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित (प्रतिबंधित) या समाप्त कर सकती है।



- ❑ सैन्य अधिनियम 1950,
- ❑ पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966
- ❑ सशस्त्र बल (सेना, नौसेना, वायुसेना), अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां (जैसे RAW, IB) और दूरसंचार प्रणाली में काम करने वाले कर्मचारी

34 → सैन्य शासन (मार्शल लॉ) के दौरान व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना या पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को बाद में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।



- ❑ यदि किसी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए सैन्य शासन (Martial Law) लगाया गया है, तो संसद कानून बनाकर केंद्र या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी (या किसी अन्य व्यक्ति) द्वारा किए गए कार्य को वैध करार दे सकती है

14) Exceptions to Fundamental Rights

33 → Empowers Parliament to restrict or abrogate the Fundamental Rights of members of special forces



- ❑ Army Act 1950,
- ❑ Police Forces (Restriction of Rights) Act 1966
- ❑ Armed forces (Army, Navy, Air Force), paramilitary forces, police forces, intelligence agencies (such as RAW, IB), and employees working in telecommunication systems

34 → Steps taken by the Army or Police to restore order during Martial Law cannot later be challenged in any court



- ❑ If Martial Law has been imposed in an area to maintain or restore order, Parliament may, by law, legalize an act done by any employee of the Central or State Government (or any other person)

35 → मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी,

संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है?

- ☐ रोजगार में निवास की शर्त → अनुच्छेद 16(3)
- ☐ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों को रिट (Writ) जारी करने का अधिकार देना (अनुच्छेद 32(3))
- ☐ सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित करना (अनुच्छेद 33)।
- ☐ मार्शल लॉ के दौरान सरकारी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति (अनुच्छेद 34)।
- ☐ अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
- ☐ मानव दुर्व्यापार व बालश्रम का निषेध (अनुच्छेद 23)।

35 → The power to make laws to give effect to Fundamental Rights shall rest only with Parliament

On which subjects can Parliament make laws?

- ☐ Residence requirement for employment → Article 16(3)
- ☐ Empowering courts other than the Supreme Court and High Courts to issue writs (Article 32(3))
- ☐ Restricting the rights of the armed forces (Article 33).
- ☐ Indemnity of government employees during Martial Law (Article 34).
- ☐ Abolition of untouchability (Article 17)
- ☐ Prohibition of human trafficking and child labour (Article 23).